



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

CIN: U17232WB1980GOI032768



४१ वाँ वार्षिक प्रतिवेदन

२०२०-२१

41st ANNUAL REPORT

2020-21



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

CIN: U17232WB1980GOI032768

41वीं वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21

विषय सूची

क्रम सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	वार्षिक साधारण सभा की सूचना	1
2.	बोर्ड के निदेशकगण एवं अन्य विवरण	2
3.	निदेशकों का रिपोर्ट	4
4.	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	19
5.	स्वतंत्र लेखापरीक्षक का रिपोर्ट	20
6.	लेखापरीक्षक के रिपोर्ट का संलग्नक	28
7.	तुलन पत्र	34
8.	लाभ-हानि विवरण	35
9.	नकद प्रवाह विवरण	36
10.	वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ	38



संदर्भ सं.: एनजेएमसी/41वीं वा.सा.स./ 4336

दिनांक: 08.11.2021

41वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड की 41वीं वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित कार्य सम्पादित करने के लिए मंगलवार, 09 नवम्बर, 2021 को पूर्वाह्न 11.30 बजे से कमरा न.162, वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली 110011 में होगी।

साधारण व्यवसाय:

- 1) 31 मार्च 2021 तक के लेखापरीक्षित तुलनपत्र एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि खाता के साथ-साथ लेखापरीक्षकों एवं निदेशकों के रिपोर्ट एवं इस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक(सीएजी) की टिप्पणियों पर विचार करना और उसे पारित करना।
- 2) सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति को नोट करना तथा उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना।

निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा गया तो बिना किसी संशोधन के उसे पारित करना:

संकल्प लिया कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 139 के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स आर.के. पट पेट्री एण्ड कं., सनदी लेखाकार को वर्ष 2021-22 के लिए निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के निदेशानुसार नियुक्त किया गया है जिनका पारिश्रमिक कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के साथ उससे संबंधित नियमों के अनुसार 1,37,000/- रुपये (पॉकेट खर्च एवं जीएसटी को छोड़कर) है।

बोर्ड के आदेशानुसार

(इमान अली मंडल)

मुख्य परिचालन अधिकारी

पंजीकृत कार्यालय:

चार्टर्ड बैंक भवन, 2रा तल,
4, एन. एस. रोड, कोलकाता-700 001

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 08.11.2021

टिप्पणी :

- 1) सदस्य जो बैठक में उपस्थित होने एवं वोट देने के हकदार हैं वे अपने स्थान पर प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित होने एवं वोट देने के लिए नियुक्त कर सकते हैं और उन्हें सदस्य होना आवश्यक नहीं है।



बोर्ड के निदेशकगण
01.04.2020 - 31.03.2021

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	: श्री मल्लोय चंदन चक्रवर्ती (29.11.2019 से)
निदेशकगण	: श्री शशांक प्रिया (16.12.2020 से) श्री विजय कुमार सिंह (23.07.2019 से 16.12.2020 तक) : श्री संजय शरण (14.02.2019 से) : श्रीमती माधवी अग्रवाल (09.03.2020 से)
कंपनी सचिव	: सुश्री मालिनी महापात्र

लेखापरीक्षा समिति का वर्तमान संरचना

श्री शशांक प्रिया	: अध्यक्ष
श्री मल्लोय चंदन चक्रवर्ती	: सदस्य
श्री संजय शरण	: सदस्य
श्रीमती माधवी अग्रवाल	: सदस्य
सांविधिक लेखा परीक्षकगण	: आर. के. पटोदी एंड कंपनी सनदी लेखाकार 2, चर्च लेन, चौथी मंजिल, सुइट नंबर 404ए, कोलकाता - 700 001
बैंकर्स	: इलाहाबाद बैंक यूको बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आई डी बी आई बैंक यूनियन बैंक



पंजीकृत कार्यालय

: चार्टर्ड बैंक भवन, द्वितीय तल
4, नेताजी सुभाष रोड
कोलकाता-700 001

मिल यूनिट

: एलेक्जेंड्रा, पो.ऑ.-जगतदल,
जिला-उत्तर 24 परगना,
पिन-743 125, पश्चिम बंगाल

: खारदाह, पो.ऑ.-टीटागढ़,
जिला-उत्तर 24 परगना,
पिन-700 019, पश्चिम बंगाल

: किन्नीसन, पो.ऑ.-टीटागढ़,
जिला उत्तर 24 परगना,
पिन 700 019, पश्चिम बंगाल

: नेशनल
ग्राम-राजगंज, संक्रैल, पो.ऑ.-बानीपुर, जिला-हावड़ा,
पिन-711 304, पश्चिम बंगाल

: यूनियन
कान्वेंट लेन
कोलकाता 700 015

: आर बी एच एम
कटिहार, पोस्ट एवं जिला-कटिहार,
पिन-854 105, बिहार

सहायक कंपनी

: बर्डस जूट एवं एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : चार्टर्ड बैंक भवन, 1ला तल,
4, नेताजी सुभाष रोड,
कोलकाता 700 001

: मिल यूनिट
200, दक्षिणदारी रोड (नजदीक वी.आई. पी. रोड)
कोलकाता-700 048
(वर्ष 1986 से)



निदेशकों का रिपोर्ट

सेवा में

शेयरधारकगण,

महानुभावों,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षित खातों के साथ आपकी कंपनी के व्यवसाय और परिचालन से संबंधित 41वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. वित्तीय कार्य निष्पादन:

वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2019-20 के कार्य निष्पादन का सार नीचे दिया गया है:

स्टैंडएलोन

क्र.सं.	ब्यौरा	2020-21	2019-20
1.	उत्पादन (मैट्रिक टन में)	शून्य	शून्य
		रू. करोड़ में	रू. करोड़ में
2.	परिचालन से राजस्व	-	-
3.	अन्य आय	3.58	5.49
4.	वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि)	(2.39)	(0.62)
5.	नकद लाभ/(हानि)	(198.98)	(15.54)
6.	संचित लाभ/(हानि)	(285.21)	(278.39)
7.	निवल मूल्य	(224.98)	(222.59)

कंपनी को पिछले वित्तीय वर्ष के 0.62 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि की तुलना में 2.39 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि हुई है।

कंपनी की वर्तमान स्थिति

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 अक्टूबर, 2018 को निगम को बंद करने की मंजूरी दे दी है और इस संबंध में हमें एक पत्र फाइल संख्या 11/18/2014-जूट (खंड III) दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 भेजा गया था। इसके अलावा दिनांक 14.06.2018 के डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार बंद करने की प्रक्रिया के अनुपालन का भी उल्लेख किया गया था। निर्देशों के अनुसार संगठन की सभी चल और अचल संपत्तियों के सत्यापन, मूल्यांकन और आकलन हेतु पूर्व एलएमए गतिविधियां करने के लिए एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को लगाया गया है। इसकी प्रथम ड्राफ्ट रिपोर्ट जमा की गई है। एनजेएमसी लि. ने पहले ही रिपोर्ट का सत्यापन कर लिया है एवं देखी गई विसंगतियों को एनबीसीसी लि. को सूचित किया गया है, उसकी ओर से पुनः सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है।

उसके अनुसार आपका निगम दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है तथा वस्त्र मंत्रालय को बंद करने संबंधी स्थिति रिपोर्ट नियमित रूप से दी जाती है।

2. लाभ-हानि विश्लेषण

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को पिछले वित्तीय वर्ष के 0.62 करोड़ रुपये की हानि की तुलना में 2.39 करोड़ रुपये की हानि हुई है।

3. अनुषंगी कंपनी-बीजेईएल

कंपनी के पास एक अनुषंगी कंपनी है जिसका नाम बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड (बीजेईएल) है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 अक्टूबर, 2018 को संगठन को बंद करने की मंजूरी दे दी है। 31 मार्च, 2020 एवं 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अनुषंगी कंपनी के लेखा को अंतिम रूप नहीं दिया गया था, चूंकि सी एंड एजी लेखापरीक्षा की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और एजीएम का आयोजन होना बाकी है इसलिए 31 मार्च, 2020 एवं 31 मार्च, 2021 तक के लेखों को



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

कंपनी के वित्तीय विवरणों में विलय नहीं किया गया है। हालांकि, हमें 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की हस्ताक्षरित लेखों की एक प्रति प्राप्त हुई है और यह देखा गया है कि कंपनी का निवल मूल्य निगेटिव है और जिसमें से 59% (रु. 8055.42 लाख) एनजेएमसी लिमिटेड द्वारा हिसाब में लिया जाना है।

4. समझौता ज्ञापन (एमओयू)

आपकी कंपनी के प्रस्तावित बंद होने के कारण, वस्त्र मंत्रालय ने आपके निगम को 2016-17 और उसके बाद से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट दी है।

5. कॉर्पोरेट अभिशासन

5.1 कंपनी दर्शन

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कंपनी के दर्शन का उद्देश्य परिचालन के सभी पहलुओं में उच्च स्तर की पारदर्शिता, जवाबदेही और विधि का अनुपालन प्राप्त करना है, जिससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सर्वोत्तम मानकों को प्राप्त किया जा सके।

कंपनी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों, 2010 के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता का अनुपालन करती है।

5.2 31.03.2021 तक निदेशक मंडल और वर्ष के दौरान उपस्थित बैठकों का विवरण

संगठन के अनुच्छेदों के अनुसार सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। बोर्ड की वर्तमान संरचना एवं वर्ष के दौरान संपन्न बैठकें निम्न प्रकार हैं:

निदेशक के नाम	पदनाम	वर्ष (1 अप्रैल, 2020-31 मार्च, 2021) के दौरान संपन्न निदेशक मंडल की बैठकों का विवरण						क्या एजीएम में भाग लिया
		23 जून, 2020	25 जून, 2020 (आस्थिगत बैठक)	22 सितंबर, 2020	18 दिसंबर, 2020	31 दिसंबर, 2020	22 जनवरी, 2021	
श्री मलय चन्दन चक्रवर्ती	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
श्री विजय कुमार सिंह, एएस एवं एफए (16.12.2020 को समाप्त)	सरकार के नामित निदेशक	एलओए	हाँ	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री शशांक प्रिया, एएस एण्ड एफ ए (16.12.2020 को नियुक्त)	सरकार के नामित निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	एलओए	हाँ	हाँ	हाँ
श्री संजय शरण, जेएस	सरकार के नामित निदेशक	एलओए	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
श्रीमती माधवी अग्रवाल (09.03.2020 को नियुक्त)	गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

नोट:

- ❖ श्री शशांक प्रिया, एएस एण्ड एफ ए को श्री विजय कुमार सिंह के स्थान पर 16.12.2020 को सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।



5.3 लेखापरीक्षा समिति

आपके निगम की लेखापरीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 5 तथा एक अच्छे कॉर्पोरेट का पालन करने के लिए इसकी बुनियादी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक/सहायक विनियमों के अनुसार किया गया था। लेखापरीक्षा समिति में चार सदस्य होते हैं और लेखापरीक्षा समिति की गणपूर्ति दो सदस्यों से होती है। लेखापरीक्षा समिति के वर्तमान सदस्यों में शामिल हैं:

क्र.सं.	निदेशकों का नाम
1	श्री शशांक प्रिया, गैर कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष
2	श्री संजय शरण, गैर कार्यकारी निदेशक-सदस्य
3	श्री मल्लोय चंदन चक्रवर्ती, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक-सदस्य
4	श्रीमती माधवी अग्रवाल, गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक-सदस्य

वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की वर्तमान संरचना और बैठकें निम्न प्रकार हैं:

निदेशक के नाम	पदनाम	वर्ष (1 अप्रैल, 2020-31 मार्च, 2021) के दौरान संपन्न लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण				
		23 जून, 2020	25 जून, 2020 (आस्थगित बैठक)	22 सितंबर, 2020	18 दिसंबर, 2020	22 जनवरी, 2021
श्री मल्लोय चन्दन चक्रवर्ती	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
श्री विजय कुमार सिंह, एएस एवं एफए (16.12.2020 को समाप्त)	सरकार के नामित निदेशक	एलओए	हाँ	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री शशांक प्रिया, एएस एवं एफ ए (16.12.2020 को नियुक्त)	सरकार के नामित निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हा (आमंत्रित)	हा
श्री संजय शरण, जे एस	सरकार के नामित निदेशक	एलओए	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
श्रीमती माधवी अग्रवाल (09.03.2020 को नियुक्ति)	गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

- ❖ श्री विजय कुमार सिंह के स्थान पर श्री शशांक प्रिया, एएस एवं एफ ए को समिति के अध्यक्ष के रूप में शामिल करके लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया था।
- ❖ कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ मदों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

- वित्तीय विवरण की जांच और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट।
- कंपनी के लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक के लिए संस्तुति।
- लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता, कार्य निष्पादन एवं लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी।
- संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी के लेनदेन का अनुमोदन या बाद में कोई संशोधन।
- अंतरकॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच।
- कंपनी के कार्य अथवा परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां कहीं भी आवश्यक हो।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन।
- सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों, यदि कोई हो, के माध्यम से जुटाए गए निधियों के अंतिम उपयोग तक निगरानी करना।



5.4 सामान्य निकाय की बैठकें:

		2017-18, 38वीं एजीएम	2018-19, 39वीं एजीएम	2019-20, 40वीं एजीएम
01	दिनांक	07.12.2018	18.12.2019	31.12.2020
02	समय	अपराह्न 1.00 बजे	पूर्वाह्न 11.30 बजे	अपराह्न 3.45 बजे
03	स्थान	वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011	वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011	जूट आयुक्त का कार्यालय, (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से), सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, तीसरी एमएसओ बिल्डिंग, चौथी मंजिल, डीएफ ब्लॉक, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700064

5.5 प्रकटीकरण

- कंपनी अधिनियम, लेखा मानक प्रयोग एवं अन्य लागू अधिनियमों/नियमों के तहत आवश्यक प्रकटीकरण।
- कर्मचारी अपने पर्यवेक्षकों/सीवीओ/सीएमडी को नियमों/विनियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं।
- जहां तक संभव है, लागू दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट आवश्यकता का अनुपालन किया गया है।
- केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- लेखा-बहियों में ऐसा कोई व्यय दर्ज नहीं है जो कारोबार के प्रयोजन के लिए नहीं है।
- ऐसा कोई व्यय नहीं किया गया है जो व्यक्तिगत प्रकृति का हो।

5.6 अन्य जानकारी

- बोर्ड / लेखापरीक्षा समिति की बैठक और प्रक्रिया: बोर्ड के समक्ष आमतौर पर रखी गई जानकारी में शामिल हैं-
 - कार्यवृत्त की पुष्टि।
 - बोर्ड में लिये गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई।
 - विभिन्न मुद्दों से संबंधित स्थिति रिपोर्ट को अद्यतन करना।
 - विधिक मामले।
 - वार्षिक लेखा।
 - समवर्ती लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।
- बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए कार्यसूची: बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की तिथियां निर्धारित होने पर कार्यसूची के कागजात तैयार किए जाते हैं और एक निर्धारित समय के भीतर निदेशकों/सदस्यों को परिचालित किए जाते हैं। इसी प्रकार बैठक का मसौदा कार्यवृत्त निदेशकों/सदस्यों को उनके विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ परिचालित किया जाता है।
- बैठक के बाद अनुवर्ती तंत्र: पिछली बैठकों के मसौदा कार्यवृत्त में दर्ज निर्णयों पर अनुवर्ती रिपोर्टों पर बोर्ड/समिति की आगामी बैठक में चर्चा की जाती है।
- बोर्ड/समिति की बैठकों में कार्यवृत्त की रिकॉर्डिंग: प्रत्येक बोर्ड/समिति की बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त की रिकॉर्डिंग कंपनी सचिव द्वारा दर्ज की जाती है। बाद में बोर्ड/समिति की अगली बैठक में कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है और तदनुसार कार्यवृत्त में दर्ज किया जाता है।

5.7 कारोबार आचार संहिता

कंपनी अपने कारोबार को व्यावसायिक नैतिकता के उच्चतम मानकों के अनुसार संचालित करने तथा सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।



6. लाभांश

चूँकि आपका निगम संसद के निर्णय के अनुसरण में बंद होने की प्रक्रिया में है, इसलिए आपके निदेशक वर्ष 2020-21 के दौरान लाभांश के रूप में किसी राशि की अनुशंसा नहीं करते हैं।

7. आरक्षित निधि में हस्तांतरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल किसी भी राशि को आरक्षित निधि में हस्तांतरित करने की अनुशंसा नहीं करता है।

8. सतर्कता

दिनांक 27.10.2020 से 02.11.2020 तक सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम मनाया गया। उक्त अवधि के दौरान भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु निगम के सभी कर्मचारियों द्वारा गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता लाने के लिए शपथ (प्रत्यक्ष एवं ई-शपथ) लिया गया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान श्री ईमान अली मंडल, सीओओ एनजेएमसी लिमिटेड को दिनांक 05.10.2018 को अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) का प्रभार सौंपा गया था और तब से जारी है।

9. राजभाषा को बढ़ावा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम भारत सरकार की राजभाषा नीति के निर्देशों को लागू करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।

10. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) द्वारा अपेक्षित है, आपके निदेशक कहते हैं कि:

- 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की तैयारी में मटेरियल डिपार्चर से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ प्रयोज्य लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;
- निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च 2021 तक कंपनी के कार्य तथा उस अवधि के लिए कंपनी का लाभ-हानि के बारे में सही और स्वच्छ तस्वीर प्रस्तुत हो सके।
- निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रख-रखाव हेतु उचित और पर्याप्त सावधानी बरती हैं;
- निदेशकों ने वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखों को सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय के आधार पर तैयार किए थे।
- कंपनी के असूचीबद्ध होने के कारण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित करने से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के उप खंड (ई) लागू नहीं होते हैं।
- सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने उचित प्रणाली तैयार की है और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

11. निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

● **निदेशक मंडल**

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री मल्लोय चंदन चक्रवर्ती, जूट आयुक्त और अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	अध्यक्ष
2.	श्री शशांक प्रिया, एएस और एफए	सरकार नामित निदेशक
3.	श्री संजय शरण, संयुक्त सचिव	सरकार नामित निदेशक
4.	श्रीमती माधवी अग्रवाल	गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक



● टिप्पणी:

श्री विजय कुमार सिंह के स्थान पर श्री शशांक प्रिया, एएस और एफए को समिति के अध्यक्ष के रूप में शामिल करके लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया था।

श्री शशि रंजन कुमार, एएस और एफए को सरकार नामित निदेशक के रूप में 01.07.2021 को नियुक्त किया गया है। इस संदर्भ में भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, जूट अनुभाग का पत्र सं. 11/25/2014-जूट दिनांक 1 जुलाई, 2021 का अवलोकन करें।

● प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

16 सितंबर, 2019 को सुश्री मालिनी महापात्रा को निगम के कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। सुश्री मालिनी महापात्रा ने इस्तीफा दे दिया है और 30.09.2021 को संगठन से कार्य मुक्त हो गई।

12. संबंधित पार्टी का लेनदेन

संबंधित पार्टी का लेनदेन जो वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज किए गए थे, वे आर्म्स लेंथ के आधार पर थे और कारोबार के सामान्य क्रम में थे। कंपनी द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी का लेनदेन नहीं किया गया है जिससे कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के उल्लंघन में संबंधित पार्टी के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है।

13. आरटीआई अधिनियम, 2005

आपके निगम ने पंजीकृत कार्यालय में एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति के साथ सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू किया है। मांगी गई जानकारी निर्धारित समय के भीतर प्रदान की जाती है।

14. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम को बंद करने के लिए 10.10.2018 को कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हुई है। इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत सीएसआर प्रावधान और संबंधित नियम आपके निगम पर लागू नहीं होते हैं।

15. जमा राशि

समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके निगम ने न तो कोई जमा राशि स्वीकार की है और न ही उसका नवीनीकरण किया है।

16. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

17. नियामकों/अदालतों/अधिकरणों द्वारा पारित आदेश

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के संबंध में नियामकों/अदालतों/अधिकरणों द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

18. भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

भारत सरकार ने निगम को दिनांक 10.10.2018 से बंद करने की मंजूरी दी है, यह निगम को हद तक प्रभावित करता है।

19. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा का उपार्जन और व्यय

जैसाकि कंपनी अधिनियम के तहत प्रकट करने की आवश्यकता है कि ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा का उपार्जन और व्यय से संबंधित विवरण अनुलग्नक-I में दिए गए हैं और यह इस रिपोर्ट का हिस्सा है।



20. वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92 के तहत अपेक्षित वार्षिक विवरणी के सार का विवरण एमजीटी-9 को अनुलग्नक-II के रूप में इसके साथ संलग्न है और यह इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

21. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण

भारत सरकार ने 10.10.2018 को निगम को बंद करने की मंजूरी दे दी है। वर्तमान में कंपनी की भूमिका में कोई स्थायी कर्मचारी विद्यमान नहीं है। इस प्रकार उपर्युक्त लागू नहीं है।

22. मानव संसाधन नीति और औद्योगिक संबंध

निगम के बंद होने को देखते हुए एनजेएमसी लिमिटेड को संविदात्मक जनशक्ति के साथ कारोबार संचालित करने का सुझाव दिया गया था। तदनुसार संविदागत के आधार पर जनशक्ति लगी हुई है। भर्ती किए गए जनशक्ति का चयन एजेंसियों/सेवा प्रदाताओं के माध्यम से किया जाता है और जनशक्ति का सर्वोत्तम समूह प्राप्त करने के लिए खुले विज्ञापन की पीएसयू चयन प्रक्रिया के अनुरूप होता है।

23. सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के प्रावधानों और समय-समय पर यथा संशोधित लागू नियमों के अनुसार मेसर्स आर के पटोदी एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, कोलकाता को सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

निगम के बंद होने को देखते हुए आपके निगम को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार लागत लेखापरीक्षा का संचालन करने की आवश्यकता नहीं है और कंपनी ने सभी उत्पादन बंद कर दिए हैं।

24. लेखापरीक्षा की टिप्पणियां एवं मन्तव्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियां स्वयं व्याख्यात्मक हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एफ) के तहत आगे की टिप्पणियों की मांग नहीं करती हैं।

25. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

निगम के पास एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जिसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है। आंतरिक नियंत्रण के उपाय के रूप में प्रबंधन ने आंतरिक लेखापरीक्षा की व्यवस्था की है जिसे चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक टीम द्वारा प्रत्येक वर्ष संचालित की जाती है।

26. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की समीक्षा

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने आपकी कंपनी के लेखों की समीक्षा की है और उनकी टिप्पणियों को अनुलग्नक-‘IV’ में दर्शाया गया है।

27. अभिस्वीकृति

आपके निदेशक भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विशेष रूप से वस्त्र मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर कंपनी को दिए गए उनके समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं। वे पश्चिम बंगाल और बिहार



सरकार से मिले सहयोग के लिए भी आभारी हैं। निदेशक कंपनी के बैंकरों, सीएजी, सांविधिक लेखापरीक्षकों और अपने सभी कर्मचारियों से प्राप्त निरंतर सहयोग और समर्थन को भी दर्ज किया है।

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

(मल्लोय चंदन चक्रवर्ती)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 08641793

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 09.11.2021



अनुलग्नक - I

ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय के संबंध में विवरणों का प्रकटीकरण।

क. ऊर्जा का संरक्षण:

जैसा कि निगम ने 10 अक्टूबर, 2018 से इसे बंद करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी प्राप्त की है, सभी मिलों के संचालन और बंद होने के साथ ऊर्जा के संरक्षण खंड ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है।

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण:

जैसा कि निगम को 10 अक्टूबर, 2018 को बंद करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है, सभी मिलों के संचालन और बंद होने के साथ प्रौद्योगिकी अवशोषण खंड ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है।

ग. विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जन या व्यय नहीं हुआ।

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

(मल्लोय चंदन चक्रवर्ती)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

डीआईएन - 08641793

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 09.11.2021



अनुलग्नक - II
फार्म सं.एमजीटी-9

31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक रिटर्न का अंश

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार]

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

II. कंपनी के प्रधान व्यापार का क्रिया-कलाप

सभी व्यापार के क्रिया-कलाप जिसमें कुल कारोबार का 10% अथवा उससे अधिक का अंशदान कर रहा है, को दर्शाया जाए।

i)	सी.आई.एन	यू 17232 डब्ल्यू बी 1980 जी.ओ.आई 032768
ii)	पंजीकरण की तिथि	03.06.1980
iii)	कंपनी का नाम	नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
iv)	कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी	शेयर्स द्वारा कंपनी लिमिटेड/संघ सरकार कंपनी
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग, 4, एन.एस. रोड, 2रा तल, कोलकाता- 700 001, दूरभाष : 033 22306434
vi)	क्या सूचीबद्ध है	नहीं
vii)	रजिस्ट्रार एक हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो का नाम, पता एवं संपर्क विवरण	लागू नहीं

कंपनी की सभी छ: मिलें परिचालन में नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2020-21 के दौरान उत्पादन शून्य है।

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

III . होल्डिंग, सहायक, सह कंपनियों का ब्यौरा

क्र.सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग/सहायक/सह	रखे गये शेयरों का %	लागू धारा
1.	बड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	यू17232डब्ल्यूबी1904 जीओआई001579	सहायक कंपनी	59%	2(87)



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

IV. शेयर होल्डिंग पेटर्न

(कुल इक्विटी की प्रतिशतता के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)

i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डिमेंट	प्रत्यक्ष	कुल शेयर	कुल शेयरों का %	डिमेंट	प्रत्यक्ष	कुल शेयर	कुल शेयरों का %	
ए. प्रोमोटर्स									
(1) भारतीय									
ए) व्यक्तिगत/एचयूएफ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) केन्द्र सरकार	शून्य	557974	557974	100	शून्य	557974	557974	100	शून्य
सी) राज्य सरकार (रॉ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डी) निकायों निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ई) बैंकों/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एफ) कोई अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (ए)(1)	शून्य	557974	557974	100	शून्य	557974	557974	100	शून्य
(2) विदेशी									
ए) एनआरआई-व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) अन्य व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी) निकायों निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डी) बैंकों/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ई) कोई अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (ए)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रोमोटर का कुल शेयर होल्डिंग (ए)=(ए)(1)+(ए)(2)	शून्य	557974	557974	100	शून्य	557974	557974	100	शून्य
बी. सार्वजनिक शेयर होल्डिंग									
1. संस्थानों									
ए) म्यूचुअल फंड्स	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) बैंकों/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी) केन्द्र सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डी) राज्य सरकार (रॉ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ई) वेंचर पूंजी निधि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एफ) बीमा कंपनियों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जी) एफआईआईज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एच) विदेशी वेंचर पूंजी निधि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आई) अन्यान्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (बी)(1)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डिमेंट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों का %	डिमेंट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों का %	
2. गैर संस्थानों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ए) निकायों निगम									
i) भारतीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3. व्यक्तिगत									
i) व्यक्तिगत शेयरधारकगण जिनका नाममात्र शेयर पूंजी 1 लाख रु तक है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) व्यक्तिगत शेयरधारकगण जिनका नाममात्र शेयर पूंजी 1 लाख रु से अधिक है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4. अन्यान्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (बी)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल सार्वजनिक शेयर होल्डिंग (बी)=(बी)(1)+(बी)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी. संरक्षक द्वारा जीडीआर्स व एडीआर्स हेतु रखे गये शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल योग (ए+बी+सी)	शून्य	557974	557974	100	शून्य	557974	557974	100	शून्य

(ii) प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर			वर्ष के अंत में रखे गये शेयर की सं.			वर्ष के दौरान % परिवर्तन
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के गिरवी/ ऋणग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के गिरवी/ ऋणग्रस्त शेयरों का %	
1.	भारत के राष्ट्रपति	557974	100	शून्य	557974	100	शून्य	शून्य
	कुल	557974	100	शून्य	557974	100	शून्य	शून्य

❖ कंपनी पूर्णतः सरकार स्वामित्व वाली कंपनी है, कुल शेयरहोल्डिंग में से 557972 इक्विटी शेयर भारत के माननीय राष्ट्रपति के नामांकित व्यक्ति द्वारा रखा गया है और शेष 2 शेयरों को वस्त्र मंत्रालय, सरकार के नामित अधिकारियों द्वारा रखा गया है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

(iii) प्रोमोटर्स के शेयर होल्डिंग में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो कृपया उल्लेख करें)- कोई परिवर्तन नहीं।

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर		वर्ष के दौरान रखे गये संचित शेयर	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	557974	100	557974	100
	बढ़ोत्तरी/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान प्रोमोटर्स के शेयर होल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/कमी	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	557974	100	557974	100

(iv) शीर्ष के दस शेयरधारकों के शेयर होल्डिंग पेटर्न (निदेशकों, प्रोमोटर्स और जीडीआर्स व एडीआर्स के धारकों के अलावा)

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर		वर्ष के दौरान रखे गये संचित शेयर	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	भारत के राष्ट्रपति				
	वर्ष के प्रारंभ में	557974	100	557974	100
	बढ़ोत्तरी/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/कमी	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में (अथवा अलग होने की तिथि पर यदि वर्ष के दौरान अलग हुआ हो)	557974	100	557974	100

(v) निदेशकगण और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के शेयर होल्डिंग

	प्रत्येक निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर		वर्ष के दौरान रखे गये संचित शेयर	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बढ़ोत्तरी/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में (अथवा अलग होने की तिथि पर यदि वर्ष के दौरान अलग हुआ हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



(V) कर्जदारी

ब्याज का बकाया/अर्जित सहित कंपनी की कर्जदारी परंतु भुगतान हेतु बकाया नहीं

(रु. करोड़ में)

	जमा राशि को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा राशि	कुल कर्जदारी
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कर्जदारी				
i) मूल राशि	-	218.52	-	-
ii) बकाया ब्याज परंतु भुगतान नहीं किया गया	-	12.72	-	-
iii) अर्जित ब्याज परंतु बकाया नहीं	-	-	-	-
कुल (i + ii + iii)	-	231.24	-	231.24
वित्तीय वर्ष के दौरान कर्जदारी में परिवर्तन				
बढ़ोतरी	-	-	-	-
कटौती	-	-	-	-
शुद्ध परिवर्तन	-	231.24		231.24
वित्तीय वर्ष के अंत में कर्जदारी				
i) मूल राशि	-	218.52	-	-
ii) बकाया ब्याज परंतु भुगतान नहीं किया गया	-	12.72	-	-
iii) अर्जित ब्याज परंतु बकाया नहीं	-	-	-	-
कुल (i + ii + iii)		231.24		231.24

(VI) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

आपका निगम एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सरकारी कंपनी) होने के नाते निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। कार्यात्मक निदेशकों को पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार दी जाती है। वर्ष के दौरान गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक को पारिश्रमिक बैठने की फीस रु. 10000 तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (कंपनी सचिव) को रु. 4.31 लाख भुगतान किया गया।

(VII) जुर्माना/दंड/अपराधों का कंपाउंडिंग

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अपने निदेशकों या अन्य अधिकारियों के कसूरवार के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की किसी भी धारा के उल्लंघन के लिए कोई जुर्माना/दंड/अपराधों की कंपाउंडिंग नहीं थी।

कृते एवं बोर्ड के निदेशकगण की ओर से

(मल्लोय चंदन चक्रवर्ती)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 08641793

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 09.11.2021



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

फॉर्म एमजीटी- 8 का अनुलग्नक 'ए'

सेवा में
बोर्ड के निदेशकगण,
नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
चार्टर्ड बैंक भवन, 4 नेताजी सुभाष रोड,
दूसरा, तल, कोलकाता 700001

इस पत्र के साथ उस तिथि का वार्षिक विवरणी (फॉर्म एमजीटी-8) का हमारा प्रमाण पत्र पढ़ा जाना है।

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी का प्रबंधन वार्षिक विवरणी से संबंधित दस्तावेजों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जैसाकि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है। एमजीटी-8 में प्रमाणपत्र प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है और हमारी परीक्षा और हमारी जानकारी और विश्वास और कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण और अभ्यावेदन के आधार पर ईफॉर्म एमजीटी-7 को प्रमाणित करना है।
2. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करने की है।
3. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था यह सुनिश्चित करने के लिए कि वार्षिक रिटर्न (फॉर्म एमजीटी-7) में सही तथ्य परिलक्षित हैं। ऐसा हमें विश्वास है कि हमने जिस प्रक्रिया और प्रथाओं का पालन किया, वह हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।
4. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षा जांच का आधार, अभिलेखों के सत्यापन तक सीमित था।

आर एन पॉल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
फर्म यूनिक कोड नंबर 12011डब्ल्यूबी805400

सीएस रुद्र नारायण पॉल
सदस्यता संख्या एफ8494
सीओपी नंबर 9772

दिनांक: 09.02.2022
स्थान: कोलकाता

यूडीआईएन: एफ008494सी002480788



31 मार्च, 2021 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्ट के कार्य प्रणाली के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड का वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। इस अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक का दायित्व है कि वे स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर इस अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इस वित्तीय विवरणों पर अपना विचार रखे जो इस अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखाकरण मानक के अनुसार हो। यह दर्शाया जाता है कि उनके लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 10 सितम्बर, 2021 में ऐसा ही किया गया होगा।

मैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से इस अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा का संचालन किया हूँ। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य कागजातों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से हुआ है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षक एवं कंपनी कर्मों के पूछताछ व कुछ लेखा रिकार्ड्स का चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरे लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो इस अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक के रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक देना पड़े।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से

(सुपर्णा देव)

प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा (माइन्स)
कोलकाता

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 09.11.2021



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

स्वतंत्र लेखापरीक्षक का रिपोर्ट

सदस्यगण,

राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित रिपोर्ट

सशर्त राय

हमने नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2021 तक तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण और वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के नोट्स शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी रिपोर्ट के उपयुक्त राय के आधार के अनुभाग में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर उपर्युक्त वित्तीय विवरण भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांत, 31 मार्च, 2021 को कंपनी के मामलों की स्थिति, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके नुकसान और नकदी प्रवाह के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

सशर्त राय के लिए आधार

ए) सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय की धारणा:

लेखा को सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय की धारणा के आधार पर तैयार किया गया है, जो निम्नलिखित कारणों से इस परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं है:

ए) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 अक्टूबर, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनजेएमसी) और इसकी सहायक बडर्स जूट एक्सपोर्टर्स लिमिटेड (बीजेईएल) को बंद करने की मंजूरी दी है। सभी संपत्तियों का निपटान डीपीई के दिनांक 14.06.2018 के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा और परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय, देनदारियों को पूरा करने के बाद भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी। एनजेएमसी लिमिटेड के निदेशक मंडल ने अपनी 177वीं बैठक में भवन सहित सभी चल संपत्तियों का निपटान करने के लिए नीलामी एजेंसी के रूप में मेसर्स एमएसटीसी को नामित किया और निश्चित परिसम्पत्तियों के निपटान के लिए एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा डीपीई के मार्ग-दर्शन के अनुसार निपटान करने से पहले परिसम्पत्तियों का सत्यापन, निर्धारण एवं मूल्यांकन करने के लिए प्रि-एलएमए के रूप में एनबीसीसी लि. को नियुक्त किया गया है जो प्रगति पर है।

बी) बंद करने की अधिसूचना के अनुसार कंपनी ने भारत सरकार को 200 करोड़ रुपये ब्याज मुक्त ऋण वापस कर दिए हैं। पिछले वर्षों में मुख्य रूप से कंपनी की आय सावधि जमा पर ब्याज आय से थी जो काफी कम हो गई है।

सी) वित्तीय विवरण यह इंगित करता है कि कंपनी की वर्तमान और गैर-चालू देनदारियां इसकी कुल संपत्ति 22,498.34 लाख रु. (व.व. 22,259.31 लाख रु.) से अधिक है। पूरे वर्ष भर मिलें परिचालन में नहीं थीं।

ये कारक कंपनी को सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय के रूप में जारी रहने और कारोबार के सामान्य कार्यप्रणाली में अपनी देनदारियों का निर्वहन करने में असमर्थता की पुष्टि करते हैं।

बी) लेखा मानकों का अनुपालन न करना:

बी1 लेखा मानक-2 वस्तुसूची का मूल्यांकन

जैसाकि लेखांकन नीति 1.4 में कहा गया है कि वस्तुसूची का मूल्य कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य/बाजार मूल्य पर किया जाता है। अधिकांश वस्तुसूची को लंबे समय से आगे बढ़ाया जा रहा है और कई वर्षों से वस्तुसूची में कोई बदलाव नहीं है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

प्रासंगिक लागत विवरण और निवल वसूली योग्य मूल्य/बाजार मूल्य के निर्धारण का आधार हमें उपलब्ध नहीं कराया गया था और इसलिए यह सुनिश्चित करना संभव नहीं है कि क्या एएस-2 का अनुपालन किया गया है। इसके अलावा वस्तुसूची के आयुवार विश्लेषण के साथ-साथ अप्रचलित और गैर-विपणन योग्य वस्तुसूची की पहचान सुनिश्चित नहीं की गई है। इसलिए यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि इन्वेंट्री का लागू मूल्य उसके उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है या नहीं।

बी.2 लेखाकरण मानक-9 राजस्व का मान्यता

कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी को दिए ऋण से 88.34 लाख रुपये की ब्याज आय को मान्यता दी है और साथ ही खातों में ब्याज प्राप्त करने योग्य शुद्ध टीडीएस के लिए प्रावधान किया गया है। सहायक कंपनी ने 31/03/2021 तक 4818.59 लाख रुपये की सीमा तक ऋण राशि और ब्याज का भुगतान करने में चूक की है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 अक्टूबर, 2018 को बड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को बंद करने को भी मंजूरी दी है। आधारभूत संचयन में महत्वपूर्ण अनिश्चितता को देखते हुए हमारी राय में ब्याज आय को (एएस) 9 “राजस्व मान्यता” के अनुसार राजस्व के रूप में मान्यता नहीं दी जानी चाहिए थी।

बी.3 लेखाकरण मानक-21 समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी की एक सहायक कंपनी है जिसका नाम बड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड है। कंपनी ने (एएस) 21, समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत नहीं किया है। सहायक कं. ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एजीएम आयोजित नहीं किया है और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपने वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देना बाकी है। यह मामला अभी एनसीएलटी के समक्ष लंबित है।

बी.4 लेखाकरण मानक-22 आय पर कर के लिए लेखाकरण

कंपनी ने आय पर कर के लिए एएस-22 लेखाकरण का अनुपालन नहीं किया है। उक्त मानक के शर्तानुसार वित्तीय विवरणों में आस्थगित कर परिसंपत्ति और देयता को सुनिश्चित नहीं किया है और इसकी मान्यता नहीं दी गई है।

बी.5 लेखाकरण मानक-29 ‘प्रावधान, प्रासंगिक देयताएं और प्रासंगिक परिसंपत्ति’

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी विषयांतर मामलों पर विभिन्न पार्टियों के साथ मुकदमेबाजी में है और इस में से कुछ मुकदमे लंबे समय से लंबित हैं। तथापि कंपनी ने ऐसे मामलों के लिए विवादित के संभावित वित्तीय प्रभाव की राशि का आकलन और प्रकटन नहीं किया है जैसाकि (एएस)29 ‘प्रावधान, प्रासंगिक देयताएं और प्रासंगिक परिसंपत्ति’ द्वारा अपेक्षित है।

सी) आय/व्यय और परिसंपत्तियों/देयताओं का कम/अधिक विवरण:

सी.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और मूल्यहास

ए) जैसा कि नोट 10(2) में कहा गया है, अचल संपत्तियों में कंपनी की कुछ मशीनें शामिल हैं, जिनकी डब्ल्यूडीवी रु. 637/- राष्ट्रीयकरण के बाद से किसी तीसरे पक्ष के पास पड़ा हुआ है। लेकिन कंपनी ने बैलेंस शीट की तारीख तक उन मशीनरी के वास्तविक अस्तित्व का पता नहीं लगाया है।

बी) जैसा कि नोट 10(4) में बताया गया है, भूमि और भवन में 5, अलीपुर रोड, कोलकाता की संपत्ति शामिल है, जो कंपनी के कब्जे में नहीं है, हालांकि जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के तहत कंपनी में निहित है। संपत्ति पर मुकदमा चल रहा है और संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में कानूनी विशेषज्ञों के अलग-अलग विचार हैं। हालांकि स्वामित्व विवादित है, कंपनी कोलकाता नगर निगम को देय नगरपालिका करों के संबंध में देयता प्रदान कर रही है, जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 4.45 लाख रुपये (पिछले वर्ष: 4.45 लाख रुपये) थी। संचयी देयता 31.03.2021 तक रु.107.57 लाख (31.03.2020 तक: रु.103.12 लाख) प्रदान किया गया है।



सी) कंपनी की नेशनल मिल यूनिट में चल अचल संपत्तियों की कुछ वस्तुएं, जिनका कुल बुक वैल्यू 31-03-2020 तक 28,422.16 रु. है, वह वर्ष के दौरान मिल प्रबंधन द्वारा किए गए प्रत्यक्ष सत्यापन के समय नहीं पाए गए, जिसके लिए कंपनी द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। इस खाते में नुकसान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि प्रबंधन उक्त मिल में संबंधित सुरक्षा सेवा प्रदाता से इसकी वसूली करना चाहता है। हमें सूचित किया गया है कि उक्त सुरक्षा सेवा प्रदाता के साथ इस मामले का निपटारा करने के बाद इस संबंध में आवश्यक समायोजन किया जाएगा।

डी) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एनजेएमसी के छह मिलों अर्थात् पश्चिम बंगाल में खरदाह, किन्निसन, एलेक्जेंड्रा, नेशनल और यूनियन और कटिहार, बिहार में आरवीएचएम और बंगलो, 5ए, अलीपुर रोड और कलिम्पोंग में गेस्ट हाउस की भूमि का मूल्यांकन मेसर्स एसोसिएटेड वैल्यूअर्स, सरकार द्वारा पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा किया गया था जिन्होंने इन अचल संपत्तियों का कुल बाजार मूल्य रु. 206899.69 लाख जिसमें से अतिक्रमित संपत्तियों का मूल्य 65369.99 लाख रुपये था। हालांकि, इस तरह के मूल्यांकन का प्रभाव जो इन संपत्तियों के कुल बुक वैल्यू और कंपनी की संपत्ति के अतिक्रमण से काफी अधिक है, जिसे बही-खाते में नहीं दिया गया है।

ई) विभिन्न स्थानों पर भूमि के स्वामित्व विलेख हमारे सत्यापन के लिए उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन इसे ठीक से सत्यापित नहीं किया जा सका और अचल संपत्तियों के रिकॉर्ड से जोड़ा जा सका। हालांकि, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तीन मिलों की भूसंपत्ति अर्थात् खरदाह, किन्निसन और एलेक्जेंड्रा का कुछ हिस्सा अभी भी पूर्ववर्ती कंपनियों के नाम पर जारी है। हमें आगे सूचित किया गया है कि उक्त संपत्तियों के संबंध में भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और जिला भूमि और भूमि सुधार अधिकारी, उत्तर 24 परगना, बारासात को अभ्यावेदन दिया गया है, लेकिन मामला अभी भी 31 मार्च 2021 तक लंबित है।

सी.2 निवेश:

ए) कुल 0.74 लाख रु. की सरकारी प्रतिभूतियां का कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जा सका एवं ब्रिटानिया इंजीनियारिंग लि. तथा जे.एफ.लॉ एंड कं. लि. में की गई निवेश की शेयर स्क्रिप को हमारे सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं कराया जा सका एवं सूचित किया कि उसका पता नहीं चल रहा है। ये निवेश बहुत पुराने हैं और हमें बनाया गया कि मूल प्रमाण-पत्र विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों विभागों को सुरक्षा के रूप में प्रदान की गई होगी। तथापि इन निवेशों के लिए पुरा प्रावधान किया गया है।

सी.3 सूची:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की वस्तुसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। चूंकि वर्ष के दौरान इन्वेंट्री में कोई बदलाव नहीं हुई थी इसलिए प्रबंधन द्वारा प्रारंभिक स्टॉक के मूल्य के बराबर अंतिम स्टॉक लिया गया है। चूंकि इन्वेंट्री की अधिकांश वस्तु सूची बहुत पुरानी हैं और प्रत्यक्ष सत्यापन के अभाव में उनकी वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगाया गया है इसलिए इन्वेंट्री का शुद्ध वसूली योग्य मूल्य प्रबंधन द्वारा लिये गए मूल्य के बराबर नहीं हो सकता है।

सी.4 नकद और बैंक में राशि:

यूको बैंक, टीटागढ शाखा के पास पीएफ ट्रस्टी, खरदाह यूनिट का 91,523 रुपये सहित जमा है जो तुलन पत्र की तारीख को एक निष्क्रिय खाता था।

सी.5 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम:

ए) चूंकि 190.71 लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि के लिए पार्टीवार विवरण, आयुवार विश्लेषण और संबंधित दस्तावेज हमें उपलब्ध नहीं कराई गई है जिसमें 11.47 लाख रु. संदेहास्पद समझा गया है और उसे दर्शाया गया है। इसलिए यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि ऐसी कितनी सुरक्षा जमा राशि वास्तव में अच्छी और वसूली योग्य है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

बी) कुल 1143.20 लाख रुपये टीडीएस के रूप में कंपनी द्वारा भुगतान किया गया है लेकिन इसकी तुलना में केवल 408.77 लाख रुपये का ही प्रावधान किया गया है। पिछले वर्षों के लिए निर्धारित रिफंड को कर निर्धारण वर्ष 1990-91 के लिए बकाया मांग के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा समायोजित किया गया है। आयकर विभाग के पास कंपनी का बकाया मांग का सारांश अभी भी ब्याज के रूप में उक्त निर्धारण वर्ष के लिए देय 289.47 लाख रुपये की मांग दिखा रहा है। हमें सूचित किया गया है कि कंपनी उक्त निर्धारण वर्ष के लिए उक्त मांग के संबंध में आवश्यक जानकारी और दस्तावेज प्राप्त करने का प्रयास कर रही है और जल्दी दस्तावेज/सूचना प्राप्त करने के बाद आवश्यक समायोजन/आगे का प्रवाधान किया जाएगा।

सी) कंपनी के लेखा बही के अनुसार कंपनी की सहायक कंपनी बीजेईएल को दी गई ऋण एवं अग्रिम की कुल राशि 4818.59 लाख रु. है जिसमें उसका उपार्जित ब्याज शामिल है। हलांकि सहायक कंपनी से प्राप्त लेखा विवरणी के अनुसार इसकी कुल राशि 4833.77 लाख रु. है। 31.03.2021 तक के अंतर राशि का समाधान किया जाना बाकी है और हमें सूचित किया गया है कि समाधान के बाद इसे समायोजित किया जाएगा।

सी.6 दीर्घावधि ऋण:

ए) कंपनी ने पश्चिम बंगाल सरकार से ऋण लिया है। ऐसे ऋणों के उपयोग और पुनर्भुगतान के लिए नियमों और शर्तों के साथ ऋण समझौते हमें हमारे सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए थे। जैसा कि नोट 4 सी में कहा गया है कि कंपनी ने ऋण की चुकौती में चूक की है और 31 मार्च, 2021 तक कंपनी के बही-खाते के अनुसार ब्याज सहित मूलधन की संचित जमा राशि 1553.73 लाख रुपये (31 मार्च, 2020 तक 1513.58 लाख रु.) है।

बी) उपर्युक्त ऋणों के संबंध में कंपनी द्वारा केंद्र/राज्य सरकारों से कोई शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं की गई है।

सी.7 व्यापार देय राशि:

ए) व्यापार देय की कुल राशि रु. 2085.40 लाख (31.03.2020 तक रु. 2062.35 लाख) है जिसमें पुरानी बकाया राशि कुल रु.1009.10 लाख शामिल है, जिसके लिए हमें कोई पार्टीवार विवरण उपलब्ध नहीं कराया जा सका। चूंकि ये व्यापार देय बहुत पुराने हैं, इसलिए खाते पर कंपनी द्वारा देय वास्तविक राशि लेखा बही में दिखाई गई राशि से भिन्न हो सकती है। इसके अलावा आवश्यक जानकारी के अभाव में एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पार्टियों की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका और इसलिए, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि के विवरण को अद्यतन नहीं किया जा रहा है और पिछले कई वर्षों से एमएसएमईडी अधिनियम के तहत देय ब्याज के खाते में कोई और देयता प्रदान नहीं की जा रही है। इसके फलस्वरूप उक्त अधिनियम के तहत देय ब्याज, व्यापार देय शीर्षक के तहत दिखाई गई ब्याज देयता की राशि से भिन्न हो सकता है।

बी) व्यापार देय राशि में आरबीएचएम के खाते में पूर्व अवधि समायोजन खाते में पड़े 11.12 लाख रुपये भी शामिल हैं। इस राशि के संबंध में किसी विवरण के अभाव में उसका उचित उपाय लेखा बही में नहीं किया गया है।

सी.8 अन्य वर्तमान देयताएं:

ए) नोट 8 में दर्शाए गए 4732.60 लाख रुपये की सांविधिक बकाया राशि में 3550.11 लाख रुपये की क्षति और ईएसआई और भविष्य निधि अधिकारियों द्वारा दावा किए गए 592.24 लाख रुपये शामिल हैं। ये राशियां लंबे समय से बकाया पड़ी हैं। हमें यह स्पष्ट किया गया है कि बीआईएफआर अनुमोदित योजना के अनुसार कंपनी द्वारा मांगी गई छूट के लिए लंबित अनुमोदन के संबंध में कोई समायोजन नहीं किया गया है।

बी) सांविधिक देनदारियों में फ्रिज बेनिफिट टैक्स 8.93 लाख रुपये के लिए देयता, व्यावसायिक कर पर रु 68.69 लाख का ब्याज भी शामिल है जो लंबे समय से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रासंगिक जानकारी के अभाव में यह पता लगाना संभव नहीं है कि इनमें से कितनी देनदारियां अंततः देय हैं।



ग) 40.29 लाख रुपये आयुक्त के असंवितरित दावे, कार्य-निष्पादन गारंटी 57.47 लाख रुपये, सुरक्षा जमा / ईएमडी 85.07 लाख रु और पार्टियों से अग्रिम के रूप में रु 98.83 लाख रुपये के पार्टीवार विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी के अभाव में यह निर्धारित करना संभव नहीं था कि उपर्युक्त उल्लिखित राशियों में से कितनी राशियाँ अंततः देय हैं।

घ) 339.40 लाख रु के उपार्जित मजदूरी और वेतन के लेनदारों में वीआरएस देय, ग्रैच्युटी देय और बकाया वेतन देय के खाते में 226.55 लाख रुपये का पुराना बकाया शामिल है। प्रासंगिक जानकारी के अभाव में यह पता लगाना संभव नहीं है कि इनमें से कितनी देनदारियाँ अंततः देय हैं।

उपर्युक्त टिप्पणियों के मद्देनजर हम कंपनी के कार्य ब्योरे और लाभ-हानि के विवरण पर इन मामलों के प्रभाव को निर्धारित करने में असमर्थ हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और उन पर शासन के आरोपण की जिम्मेदारी

कंपनी के निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार हैं, जो इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में हैं एवं कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकदी प्रवाह के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और आकलन करना, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन और कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य और भौतिक त्रुटियों से मुक्त हैं, चाहे धोखा-धड़ी या त्रुटि के कारण।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक उचित राय व्यक्त करें।

लेखापरीक्षा करते समय हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों और उन मामलों को ध्यान में रखा है जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और इस अधिनियम की धारा 143 (11) के तहत ऑडिट रिपोर्ट में शामिल करना आवश्यक है।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा किया है। उन मानकों के लिए यह आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और वित्तीय विवरण, भौतिक गलत ब्योरे से मुक्त हैं या नहीं, इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरण के गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखा-धड़ी या त्रुटि के कारण हो। उन जोखिम मूल्यांकनों को करने में लेखापरीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए एक सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करता है। लेखापरीक्षा में उपयोग की गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य का मूल्यांकन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर हमारे योग्य लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।



एसए के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर गोपनीयता बनाए रखते हैं। हम यह भी:

- वित्तीय विवरणों के गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारे उचित राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।
- इस परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्य पर आधारित है।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

भौतिकता वित्तीय विवरण में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभावना बनती है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारक पर विचार करते हैं जिसमें (1) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (2) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान किए गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन शामिल हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे, समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में शासन के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन के आरोपित लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में आवश्यकताओं की प्रासंगिक नैतिकता का अनुपालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जो हमारी स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, से संबंधित सुरक्षा उपायों को उचित रूप से सहन करने के लिए विचार किया जा सके।

अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित है, हम अनुलग्नक-ए में मामलों पर एक विवरण देते हैं जो आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट है।
2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है कि हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर लागू सीमा तक, कि:
(ए) हमने बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ में वर्णित मामलों को छोड़कर सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

(बी) बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ में वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों को छोड़कर हमारी राय में कंपनी द्वारा कानूनन अपेक्षित उचित लेखा बहियों को रखा गया है, जैसा कि बहियों की जांच से प्रतीत होता है;

(सी) इस रिपोर्ट के साथ तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण लेखा बहियों के अनुरूप है।

(डी) बेसिस फार क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर हमारी राय में बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण अधिनियम की धारा 133, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ें, के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करता है।

(ई) हमारी राय में बेसिस फार क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ में वर्णित मामले कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

(च) हमें सूचित किया गया है कि निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार यह एक सरकारी कंपनी है।

(छ) लेखों के रखरखाव से संबंधित योग्यता और उससे जुड़े अन्य मामले उम्र दिए गए क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ के आधार पर बताए गए हैं।

(ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में हमारी अलग रिपोर्ट अनुबंध बी में देखें।

(i) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

ए. पूर्ण विवरण के अभाव में हम यह टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं कि क्या कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के पूर्ण प्रभाव का खुलासा किया है।

बी. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई वास्तविक नुकसान हुआ था।

सी. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

3. अधिनियम की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के उत्तर में हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) कंपनी के पास अपनी इकाइयों और कॉर्पोरेट कार्यालय के बीच कोई ईआरपी लेखाकरण प्रणाली या पूरी तरह से एकीकृत आईटी प्रणाली नहीं है। लेखांकन सॉफ्टवेयर पर प्रत्येक इकाई और कॉर्पोरेट कार्यालय के लेखों का रखरखाव किया जाता है। कॉर्पोरेट कार्यालय और विभिन्न प्रभागों के लेखों का समेकन एक अलग डेटा प्रविष्टि मोड के माध्यम से किया जाता है।

कंपनी द्वारा अपनाई गई वर्तमान प्रणाली डेटा अखंडता के अभाव की गुंजाइश छोड़ती है और लेखापरीक्षा के जोखिम को बढ़ाती है।

(ii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और कंपनी के हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार, कंपनी की अक्षमता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।

(iii) (ए) कंपनी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) और बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित कंपनी के पुनर्गठन/पुनरुद्धार के लिए अतिरिक्त बजटीय सहायता के रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ब्याज मुक्त ऋण ले रही है जो दीर्घकालिक उधार के रूप में है।



(बी) कंपनी ने पिछले वर्षों में पश्चिम बंगाल सरकार से 281.48 लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया है, 31 मार्च 1994 से ऋण और इसके ब्याज की अदायगी की चूक हुई है। 31.03.2021 तक कुल ऋण और भुगतान नहीं किए गए ब्याज की राशि 1553.73 लाख रुपये है। ऋण दस्तावेजों, शर्तों एवं नियमों के अभाव में बनाए गए ब्याज प्रावधान की पर्याप्तता पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

(सी) जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 3 में बताया गया है कि कंपनी ने 1988-89 में बिहार सरकार और आईजेआईआरए से अनुदान प्राप्त किया था और 1982-83 में पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम से सब्सिडी प्राप्त की थी। ऐसे अनुदान/सब्सिडी के विस्तृत कागजात तथा ऐसे अनुदान से अर्जित संपत्तियां हमें उपलब्ध नहीं कराई गईं।

कृते आर के पटोदी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन: 305091ई

सैबल गंगोपाध्याय

साझेदार

सदस्यता संख्या: 300680

यूडीआईएन: 21300680एएएएडी6255

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 10.09.2021



स्वतंत्र लेखापरीक्षक के रिपोर्ट का संलग्नक-ए

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक-

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(ए) कंपनी ने अचल संपत्तियों का रिकॉर्ड बनाए रखा है जिसमें पहचान को संभव बनाने के लिए पर्याप्त विवरण, स्थान/ स्थिति, खरीद का वर्ष, पुनर्मूल्यांकन के लिए समायोजन, उपयोगी जीवन, हानि और अचल संपत्तियों के घटकों जैसे विवरणों का अभाव है।

(बी) कंपनी की नेशनल यूनिट को छोड़कर वर्ष के दौरान किसी भी समय प्रबंधन द्वारा अचल संपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है। इस तरह के सत्यापन के दौरान उक्त यूनिट में स्थित अचल संपत्तियों की कुछ वस्तुएं जिनका बुक वैल्यू रु. 28,422/- है जो 31.03.2020 तक प्रत्यक्ष रूप से नहीं पाए गए जिसके लिए कंपनी द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। इस संबंध में हमें प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि कंपनी संबंधित सुरक्षा सेवा एजेंसी से इस खाते में हुए नुकसान की वसूली करना चाहती है और तदनुसार, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने यूनियन मिल को छोड़कर विभिन्न मिलों में पड़े अपने संयंत्र और मशीनरी और फर्नीचर और फिक्स्चर के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए एक मूल्यांकक की नियुक्ति की। यद्यपि उक्त मूल्यांकक ने मिल परिसर में प्रत्यक्ष रूप से पाई गई अचल संपत्तियों की विभिन्न मदों की एक सूची तैयार की है, इसे अचल संपत्तियों के रिकॉर्ड के साथ सत्यापित नहीं किया गया था और इसलिए, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या इन मिलों की अचल संपत्ति में कोई प्रत्यक्ष विसंगति मौजूद थी। मैं इसके अलावा, हम कंपनी के प्रधान कार्यालय में पड़ी अचल संपत्तियों में विसंगति, यदि कोई हो, पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं क्योंकि वर्ष के दौरान कोई प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था।

(सी) विभिन्न स्थानों पर भूमि के स्वामित्व विलेख, हालांकि हमें उपलब्ध कराया गया है, के उचित विवरण के अभाव में पूरी तरह से उसका सत्यापन और अचल संपत्ति रजिस्टर से जोड़ा नहीं जा सकता है। तीन मिलों जैसे खडदह, किन्सिन और एलेक्जेंड्रा की भूमि संपत्ति अभी भी पूर्व कंपनियों के नाम पर जारी है। हमें सूचित किया गया है कि भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और जिला भूमि और भूमि सुधार उत्तर 24 परगना, बारासात को अभ्यावेदन दिया गया है लेकिन अद्यतन अभी भी लंबित है।

ii) वर्ष के दौरान कंपनी के वस्तुसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं हुआ है, इसलिए हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या भौतिक इन्वेंट्री और बुक इन्वेंट्री के बीच कोई विसंगति थी।

इसके अलावा, अधिकांश इन्वेंट्री बहुत पुरानी हैं और कई वर्षों से इन्वेंट्री की कोई आवाजाही नहीं है। इसके अलावा, इन्वेंट्री का आयुवार विश्लेषण और अप्रचलित, क्षतिग्रस्त और गैर-बिक्री योग्य इन्वेंट्री की पहचान नहीं की गई है। वस्तुसूचियों का शुद्ध वसूली योग्य मूल्य भी निर्धारित नहीं किया गया है। इसलिए हमारे लिए यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि इन्वेंट्री का वहन मूल्य उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है और क्या कोई अन्य विसंगति है।

iii. ए) कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी को गैर जमानती ऋण दिया था, जो कि 31.03.2021 को 4818.59 लाख रुपये था जिसमें उस तिथि तक उपाजित ब्याज की राशि रु. 3735.46 लाख रु. शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उक्त सहायक कंपनी को बंद करने की मंजूरी दे दी है और परिणामस्वरूप उक्त ऋण को संदिग्ध माना जा रहा है लेकिन कंपनी अपनी सहायक कंपनी को प्रदान किए गए ऋण पर सहमत दर पर ब्याज प्रभार कर रही है और उस राशि के लिए पूर्ण प्रावधान भी बनाया गया है क्योंकि वह राशि अपूरणीय समझा गया है, इसके अलावा सहायक कंपनी को दी गई अग्रिम राशि एवं प्राप्ति योग्य ब्याज के बीच अंतर का समाधान करने की आवश्यकता है और समायोजन किया जाना है। इसकी सहायक कंपनी को दिए गए ऋण के नियम और शर्तों में उपलब्ध नहीं कराई गई और इसलिए, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या ये कंपनी के हित के प्रतिकूल थे। इसके अलावा, कंपनी ने एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को गैर-ब्याज वाला ऋण भी दिया है जिसकी बकाया राशि 31.03.2021 तक 10.78 लाख रुपये है। स्वीकृति की शर्तों के अनुसार उक्त ऋण अपनी संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि से ऋण के वितरण की तारीख से अधिकतम दो वर्ष



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

की अवधि के भीतर चुकाने योग्य है। इनके अलावा, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल किसी भी कंपनी, फर्म, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को कोई भी ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है।

बी. कंपनी अपनी सहायक कंपनी को प्रदान किए गए ऋण के लिए ब्याज चार्ज कर रही है और उसके लिए पूर्ण प्रावधान भी कर रही है क्योंकि राशि को अपूरणीय माना गया है।

सी. सहायक इकाई को दिया गया ऋण ब्याज सहित 90 दिनों से अधिक समय से अतिदेय है। कई वर्षों तक ऋण और ब्याज की कोई वसूली नहीं हुई है। चूंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहायक कंपनी को बंद करने की मंजूरी दे दी है, इसलिए ऋण राशि और ब्याज की वसूली की कोई वास्तविक संभावना नहीं है।

iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है, कहीं निवेश किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है, जो अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों को आकर्षित करती है।

v) कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत वर्ष के दौरान जनता से किसी भी जमा को अधिसूचित सीमा तक स्वीकार नहीं किया है और 31 मार्च, 2021 तक किसी जमा राशि का दावा किया गया है और इसलिए आदेश के खंड 3(v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

vi) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं थी जो अधिनियम की धारा 148 के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को आकर्षित करता है।

vii) ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी आमतौर पर अपने निर्विवाद वैधानिक बकाया को उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा करने में नियमित थी। हमें दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष के अंत में उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई निर्विवाद वैधानिक बकाया नहीं था;

बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, विवाद के कारण 31 मार्च, 2021 तक निम्नलिखित वैधानिक बकाया राशि जमा नहीं किया गया है:

संवधि की प्रकृति	देय राशि की प्रकृति	फोरम जहां विवाद लंबित है	देय राशि (रु. लाख में)	वह अवधि जिससे देय राशि संबंधित है
वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	उपायुक्त, सेवा कर	0.10	बहुत पुराना
पश्चिम बंगाल मूल्य वर्धित कर, 2003	सीएसटी	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	223.08	2010-11 से 2017-18

उपर्युक्त के अलावा, निम्नलिखित पुराने वैधानिक बकाया जिन्हें विवादित बताया गया है, 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की बही में बकाया हैं, जिसके लिए विवरण उपलब्ध नहीं हैं:

ए) भविष्य निधि रु.903.05 लाख

बी) कर्मचारी राज्य बीमा रु.3727.35 लाख

सी) व्यवसाय कर रु.69.40 लाख

डी) अनुषंगी लाभ कर रु.8.92 लाख

ई) वैट/सीएसटी रु.9.74 लाख

viii) हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने 31.03.2021 तक पश्चिम बंगाल सरकार से लिये गए 1553.73 लाख रुपये (उस पर ब्याज 1272.25 लाख रुपये सहित) के ऋण की चुकौती में चूक की है। कंपनी ने भूमि के अधिग्रहण के लिए कंपनी द्वारा प्राप्य मुआवजे के खिलाफ मूल राशि के समायोजन के लिए अनुरोध किया



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

हे और सॉफ्ट लोन में देय ब्याज में से 922 लाख रुपये का रूपांतरण करने का अनुरोध किया है जैसाकि वित्तीय विवरण के नोट 4 की अतिरिक्त जानकारी में उल्लेख किया गया है।

ix) कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। कंपनी ने पिछले वर्षों में पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार दोनों से ऋण प्राप्त किया है। हालाँकि, जिन नियमों और शर्तों के अधीन कंपनी ने ऋण प्राप्त किया है, जिसके लिए ऐसे ऋण स्वीकृत किए गए थे, हमें उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसलिए, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या ऋण उन उद्देश्यों के लिए लागू किए गए थे जिनके लिए उन्हें प्राप्त किया गया था।

x) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी या कंपनी द्वारा उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का पता नहीं चला है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

xi) प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xii) लागू नहीं होता है।

xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो, और ऐसे लेनदेन का विवरण किया गया है लागू लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

xiv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेरों का कोई अधिमाम्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक स्ब से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं बनाया है।

xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xv) लागू नहीं होता है।

xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1ए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

कृते आर के पटोदी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन: 305091ई

सैबल गंगोपाध्याय

साझेदार

सदस्यता संख्या: 300680

उडीन: 21300680एएएएडी6255

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 10.09.2021



अनुलग्नक बी

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2021 को नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (“कंपनी”) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-जोखा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग (“मार्गदर्शन नोट”) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए ऑडिटिंग मानकों के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित समझे जाने के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा का संचालन किया है जिसमें आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होते हैं और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा निदेश जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और रख-रखाव किया गया था और ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि क्या एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखा-धड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं



शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण के साथ कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और प्रकृति को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं;

(2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा

(3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरसाइड शामिल हैं, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, परिस्थितियों में परिवर्तन का कारण, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

उपयुक्त राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के आधार पर या मानदंड पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपना आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित नहीं किया है। वित्तीय रिपोर्टिंग, जैसे नियंत्रण पर्यावरण, जोखिम मूल्यांकन, नियंत्रण गतिविधियां, सूचना प्रणाली और संचार और निगरानी आईसीएआई द्वारा जारी किए गए हैं। बोर्ड की रिपोर्ट में जोखिम के तत्वों की पहचान सहित कंपनी के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति भी शामिल नहीं है।

उपर्युक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए 31.03.2021 को कंपनी में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर अपर्याप्त हैं, जैसा कि आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में कहा गया है।

हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अपनी राय में लागू किए गए लेखा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में उम्र बताए गए उपयुक्त राय पर विचार किया है।

कृते आर के पटोदी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन: 305091ई

सैबल गंगोपाध्याय

साझेदार

सदस्यता संख्या: 300680

उडीन: 21300680एएएएडी6255

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 10.09.2021



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)

तुलन पत्र
31 मार्च 2021



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

31 मार्च 2021 तक का तुलन पत्र

(रु. लाख में)

	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2021 तक		31 मार्च 2020 तक	
(ए) इक्विटी एवं देयताएं					
(1) शेयरधारकों की निधि:					
(क) शेयर पूंजी	2	5,579.74		5,579.74	
(ख) रिजर्व एवं अधिशेष	3	(28,078.08)	(22,498.34)	(27,839.04)	(22,259.30)
(2) गैर चालू देयताएं					
(क) दीर्घावधि उधार	4	23,125.14		23,085.00	
(ख) दीर्घावधि प्रावधान	5	11.52	23,136.66	11.52	23,096.52
(3) चालू देयताएं					
(क) अल्पावधि उधार	6	-		-	
(ख) व्यापारिक देय	7	-		-	
(i) सुक्ष्म एवं लघु संस्थाओं का बकाया राशि		112.58		112.58	
(ii) सुक्ष्म एवं लघु संस्थाओं के अलावा बकाया राशि		1,972.82		1,949.77	
(ग) अन्य चालू देयताएं	8	5,596.63		5,615.57	
(घ) अल्पावधि प्रावधान	9	189.08	7,871.11	189.08	7,867.00
कुल			8,509.43		8,704.21
(बी) परिसंपत्तियां					
(1) गैर चालू परिसंपत्तियां					
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण					
(i) प्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	10	918.02		957.90	
(ii) पूंजी कार्य प्रगति पर	10	-		-	
(ख) गैर चालू निवेश	11	-	918.02	-	957.90
(2) चालू परिसंपत्तियां					
(क) वस्तुसूची	12	627.31		627.31	
(ख) व्यापारिक प्राप्य	13	-		-	
(ग) नकद एवं बैंक में जमा राशि	14	4,755.58		4,994.34	
(घ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	15	1,992.30		1,964.36	
(ङ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	16	216.22		160.29	
(च) आई एस डी एस परियोजना	17	-	7,591.41	-	7,746.32
कुल			8,509.43		8,704.22

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार

1

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

1-26

कृते एवं बोर्ड की ओर से

आर के पटोदी एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 305091ई

(श्री मलॉय चंदन चक्रबर्ती)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08641793

सैबल गंगोपाध्याय
साझेदार
सदस्यता सं. 300680
यूडीआईएन: 21300680एएएएडी6255

(मालिनी महापात्र)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. ए39997

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 10.09.2021



31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ-हानि विवरण

(रु. लाख में)

	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
1 परिचालन से राजस्व	18	-	-
2 अन्य आय	19	357.90	549.46
3 कुल राजस्व (1 + 2)		357.90	549.46
व्यय			
(क) खपत किये गये कच्चे माल की लागत	20	-	-
(ख) निर्मित वस्तुओं की वस्तुसूची में परिवर्तन एवं कार्य प्रगति पर	21	-	-
(ग) कर्मचारी लाभ व्यय	22	67.74	78.42
(घ) वित्त लागत	23	35.53	32.39
(ङ) मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	10	39.96	46.18
(च) अन्य व्यय	24	453.60	454.20
कुल व्यय (क+ख+ग+घ+ङ+च)		596.83	611.20
5 आपवादिक एवं असाधारण मदों तथा कर से पहले लाभ/(हानि) (3-4)		(238.94)	(61.72)
6 आपवादिक मदें		-	-
7 असाधारण मदों तथा कर से पहले लाभ/(हानि) (5+6)		(238.94)	(61.72)
8 आपवादिक मदें		-	-
9 कर से पहले लाभ/(हानि) (7-8)		(238.94)	(61.72)
10 कर खर्च			
(क) वर्तमान कर		-	-
(ख) आस्थगित कर		-	-
11 वर्ष हेतु लाभ/(हानि) (9+10)		(238.94)	(61.72)
12 प्रति इक्वीटी शेयर उपार्जन (रु. में प्रति इक्वीटी शेयर रु. 1,000/-)			
मूल (रु.)	25	(42.82)	(11.06)
मिश्रित (रु.)	25	(42.82)	(11.06)

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार 1

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है 1-26

कृते एवं बोर्ड की ओर से

आर के पटोदी एंड कं.

सनदी लेखाकार

पंजीकरण सं. 305091ई

(श्री मलॉय चंदन चक्रवर्ती)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 08641793

सैबल गंगोपाध्याय

साझेदार

सदस्यता सं. 300680

यूडीआईएन: 21300680एएएएडी6255

(मालिनी महापात्र)

कंपनी सचिव

सदस्यता सं. ए39997

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 10.09.2021



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नकद प्रवाह विवरण

(रु. लाख में)

		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	
ए.	परिचालन के क्रिया-कलापों से नकद प्रवाह				
	असाधारण मद एवं कर से पहले शुद्ध लाभ/(हानि)		(238.94)		(61.72)
	समायोजन हेतु :				
	उधार पर ब्याज	40.14		32.39	
	मूल्यहास	39.96		46.18	
	पूर्व अवधि का मूल्यहास	-		0.14	
	ब्याज आय	(267.55)		(403.86)	
	सरकारी अनुदान (आरक्षित) हेतु समायोजन	(0.10)	(187.54)	(0.10)	(325.26)
	कार्यकारी पूंजी के परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ		(426.48)		(386.98)
	वस्तुसूची में परिवर्तन	-		-	
	व्यापारिक प्राप्य में कमी	-		-	
	अल्प ऋण एवं अग्रिम में बढ़ोत्तरी	(27.94)		(61.18)	
	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में बढ़ोत्तरी	(55.93)		(94.57)	
	व्यापारिक देय में बढ़ोत्तरी/(कमी)	23.67		(6.02)	
	अन्य वर्तमान देयताओं में कमी	(18.94)		(37.24)	
	दीर्घावधि प्रावधानों में कमी	-		(11.83)	
	आईएसडीएस निधि व्यय	-		-	
कार्यकारी पूंजी के परिवर्तन से शुद्ध नकद प्रवाह		(79.14)		(210.84)	
परिचालन के क्रिया-कलापों से शुद्ध नकद (ए)		(505.62)		(597.81)	
बी.	निवेश क्रिया-कलापों से नकद प्रवाह				
	सावधि जमा राशि में बढ़ोत्तरी/(कमी)	(831.91)		1,219.45	
	निश्चित परिसंपत्तियों की खरीद	(0.71)		-	
	सावधि जमा राशि पर ब्याज	267.55	(565.06)	403.86	1,623.31
		(565.06)		1,623.31	
सी.	वित्तीय क्रिया-कलापों से नकद प्रवाह				
	निवेश क्रिया-कलापों से शुद्ध नकद (बी)		-		-
	निवेश क्रिया-कलापों से शुद्ध नकद (सी)		-		-
	नकद एवं नकद समतुल्य में शुद्ध बढ़ोत्तरी/(कमी) (ए+बी+सी)		(1,070.68)		(1,025.50)
	वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य		1,202.06		176.56
वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकद समतुल्य		131.38		1,202.06	



31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नकद प्रवाह (जारी)

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
ए) नकद एवं नकद समतुल्य के घटक		
(i) बैंक खाते में	130.94	1,201.72
(ii) नकद हाथ में	0.44	0.34
	<u>131.38</u>	<u>1,202.06</u>

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार 1

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है 1-26

आर के पटोदी एंड कं.

सनदी लेखाकार

पंजीकरण सं. 305091ई

सैबल गंगोपाध्याय

साझेदार

सदस्यता सं. 300680

यूडीआईएन: 21300680एएएएडी6255

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 10.09.2021

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(श्री मल्लोय चंदन चक्रवर्ती)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 08641793

(मालिनी महापात्र)

कंपनी सचिव

सदस्यता सं. ए.39997



31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी-1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1.1 वित्तीय विवरणों को तैयार करने के आधार

यह वित्तीय विवरण साधारणतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है एवं कंपनी लेखाकरण की मर्केन्टाइल प्रणाली का अनुसरण करता है तथा आय एवं व्यय को वास्तविक आंकड़ों के आधार मान्यता देता है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के साथ-साथ कंपनी (लेखा) नियम 2014 (यथा संशोधित) के नियम 7 और कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य संबंधित प्रावधानों जहां तक लागू है, के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया है।

1.2 सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण:

1.2.1 वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान पुनर्मूल्यांकन किए गए अचल संपत्तियों की कुछ वस्तुओं के मामले में, अचल संपत्तियों को जिसका लागत/पुनर्मूल्यांकन राशि में दर्शाया गया है राष्ट्रीयकरण के समय अर्जित अचल संपत्तियों को राष्ट्रीयकरण की तिथि पर उनके बुक वैल्यू में बताया जा रहा है।

1.2.2 मूल्यहास

निश्चित परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का प्रभार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार लिखित मूल्य पर किया गया है। कंपनी ने अनुसूची-II के अनुसार अपने वर्तमान निश्चित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन का पुनर्मूल्यांकन किया है तथा लिखित मूल्य विधि पर मूल्यहास की नई दर प्राप्त की है ताकि शेष उपयोगी जीवन के उम्र परिसंपत्तियों का मूल्यहास किया जा सके। चूंकि अधिकांश परिसंपत्तियां बहुत पहले खरीदी गई हैं तथा उपयोगी जीवन पहले ही समाप्त हो चुका है इसलिए सिर्फ 5% अवशिष्ट मूल्य बही में दिखाई पड़ता है और उस निश्चित परिसंपत्तियों पर फिर मूल्यहास नहीं किया गया है।

1.3 विनिवेश

निवेश राष्ट्रीयकरण की तारीख को बुक वैल्यू पर या बाद में किए गए निवेश के संबंध में अधिग्रहण खरीद की लागत पर किए जाते हैं। कुल निवेश में से, विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों, ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और जेएफ लॉ एंड कंपनी लिमिटेड में किए गए निवेश के संबंध में दस्तावेज राष्ट्रीयकरण से पता नहीं हैं।

विनिवेश का मूल्यांकन राष्ट्रीयकरण की तारीख तक के लागत/बही मूल्य पर किया गया है और विनिवेश के खरीद की लागत उसके बाद किया गया है।

1.4 स्टॉक का मूल्यांकन

1.4.1 कच्चे जूट का मूल्यांकन लागत पर किया गया है, एफआईएफओ के आधार पर निर्धारित किया गया है अथवा बाजार मूल्य पर किया गया है, इसमें से जो भी कम हो।

1.4.2 निर्मित वस्तुओं का मूल्यांकन लागत अथवा बाजार मूल्य पर, जो भी कम हो, किया गया है। लागत में सभी प्रत्यक्ष लागत एवं लागू निर्माण करने में आनेवाले बंधे खर्च शामिल हैं।

1.4.3 प्रगति पर कार्य का मूल्यांकन एकरूपता के आधार पर प्रसंस्करण के विशिष्ट चरण की प्रतिशतता के आधार पर आकलित लागत पर किया गया है अथवा वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है, इसमें से जो कम हो।

1.4.4 भंडार एवं अतिरिक्त सामानों का मूल्यांकन लागत पर किया गया है।

1.5 राजस्व अभिज्ञान

महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान (डीजीएस एंड डी) के पास विक्रय को वस्तुओं की आपूर्ति के आधार पर लेखा में दर्शाया गया है तथा अन्य मामलों के लिए प्रदत्त आपूर्ति आदेश के सृजन पर किया गया है। अन्य आय को वास्तविक आंकड़ों के आधार पर लेखा में दर्शाया गया है।



टिप्पणी-1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (जारी)

1.6 आकस्मिक एवं अन्य देयताएं

जब कंपनी के दृष्टिकोण से विचार करने के बाद सरकार/राजस्व प्राधिकारियों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध मांग की गई तो इन मांगों का या तो भुगतान किया गया है या देयता के रूप में समझा गया है यदि कंपनी द्वारा स्वीकार किया गया है और आकस्मिक देयता के रूप में समझा गया है, यदि कंपनी द्वारा विवादित समझा गया है।

1.7 सेवानिवृत्ति लाभ

1.7.1 ग्रेच्युटी: तुलना पत्र की तारीख तक पंजी में दर्ज कर्मचारियों के संबंध में ग्रेच्युटी हेतु देयता वास्तविक देयता के आधार पर प्रदान की गई है।

1.7.2 छुट्टी भुनाने का लाभ: तुलना पत्र की तारीख तक छुट्टी भुनाने के लाभ हेतु देयता वास्तविक देयता के आधार पर प्रदान की गई है।

टिप्पणी-2 शेयर पूंजी

	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
प्राधिकृत		
1,000 रु का प्रत्येक शेयर की 600000 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष 600000 इक्विटी शेयर)	6000.00	6000.00
जारी, अभिदत्त और पूर्णतः चुकता		
1,000 रु का प्रत्येक शेयर की 557974 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष 557974 इक्विटी शेयर)	5579.74	5579.74
कुल	5579.74	5579.74

अतिरिक्त सूचना

- क) कुल 557974 शेयर में से रु.1000/- का प्रत्येक शेयर की 366000 इक्विटी शेयर का आवंटन पूर्णरूपेण चुकता शेयर के रूप में राष्ट्रीयकरण समायोजन लेखा के विरुद्ध किया गया है जो नकद में प्राप्त किए गए का भुगतान किये बिना है।
- ख) वर्ष के प्रारंभ एवं समाप्ति तक बकाया शेयरों की संख्या में कोई परिवर्तन/प्रचलन नहीं हुआ है।
- ग) कंपनी के पास रु.1000/- प्रति शेयर का अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों का सिर्फ एक ही वर्ग है। इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है एवं लाभांश हेतु समान अधिकार है।
- घ) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयरों के शेयरधारकगण:

शेयर धारकों का नाम	31 मार्च 2021 तक		31 मार्च 2020 तक	
	शेयरों की संख्या	(%)	शेयरों की संख्या	(%)
माननीय भारत के राष्ट्रपति	557972	99.99	557972	99.99



31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी-3 रिजर्व एवं अधिशेष

	(रु. लाख में)	
	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
सरकारी अनुदान के विस्द्ध पूंजी रिजर्व		
प्रारंभिक जमा शेष राशि	0.99	1.09
योग: वर्ष के दौरान योग/हस्तांतरित	-	-
बाद: वर्ष के दौरान उपयोग किया/हस्तांतरित	0.10	0.10
अंतिम जमा शेष राशि	0.89	0.99
पुनर्मूल्यांकन रिजर्व		
प्रारंभिक जमा शेष राशि	441.81	441.81
योग: वर्ष के दौरान योग	-	-
बाद: वर्ष के दौरान उपयोग किया/हस्तांतरित	-	-
अंतिम जमा शेष राशि	441.81	441.81
लाभ-हानि के विवरण में (कमी)		
प्रारंभिक जमा शेष राशि	(28,281.84)	(28,220.11)
लाभ-हानि के विवरण में जमा शेष राशि	(238.94)	(61.72)
अंतिम जमा शेष राशि	(28,520.78)	(28,281.84)
कुल	(28,078.08)	(27,839.04)

अतिरिक्त सूचना

पूंजी रिजर्व

क) आरबीएचएम के संबंध में बिहार सरकार से वर्ष 1988-89 में निश्चित परिसंपत्तियों के अधिग्रहण करने के लिए प्राप्त अनुदान की जमा शेष राशि रु.150 लाख के विस्द्ध जो उक्त निधि से ऐसी खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का समायोजन करने के बाद है एवं यूनिट किन्निसन के संबंध में आईजेआईआरए से वर्ष 1988-89 में यूएनडी परियोजना के अंतर्गत रिंग स्पिनिंग फ्रेम की स्थापना करने हेतु प्राप्त अनुदान की जमा शेष राशि रु.5.44 लाख के विस्द्ध जो उपरोक्त निधि से ऐसी खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का समायोजन करने के बाद है।	0.77	0.87
ख) यूनिट किन्निसन के संबंध में प. बं. औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से वर्ष 1982-83 में कैप्टिव डीजल पावर जनरेशन सेट की स्थापना करने हेतु प्राप्त अनुदान राशि रु.6.97 राशि में से आर्थिक सहायता के रूप में जमा शेष राशि रु.0.01 लाख जो अधिग्रहण की तारीख से मूल्यहास का समायोजन करने के बाद है (विगत वर्ष रु.0.01 लाख)।	0.01	0.01
ग) यूनिट आरबीएचएम के संबंध में राष्ट्रीयकरण की तारीख तक निवेश का बाजार मूल्य एवं बही मूल्य के बीच अंतर।	0.11	0.11
	<u>0.89</u>	<u>0.99</u>

पुनर्मूल्यांकन रिजर्व

31.03.1993 तक के पुनर्मूल्यांकित राशि (वर्ष 1997-98 में मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार) एवं बही मूल्य के बीच अंतर जो यूनिट आरबीएचएम से संबंधित कटिहार में स्थित भूमि तथा कलिम्पोंग एवं फारबिसगंज में स्थित भूमि एवं भवन के संबंध में है (संदर्भ: निश्चित परिसंपत्तियों से संबंधित टिप्पणी सं.10 में अतिरिक्त सूचना सं.5 एवं 6)।	441.81	441.81
	<u>441.81</u>	<u>441.81</u>



31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी-4 दीर्घावधि उधार

	(रु. लाख में)	
	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
क) अन्य ऋण और पेशगियां (असुरक्षित)		
i) भारत सरकार से	21,571.41	21,571.41
ii) पश्चिम बंगाल सरकार से	281.48	281.48
iii) पश्चिम बंगाल सरकार से उधार पर उपार्जित ब्याज एवं बकाया	1,272.25	1,232.11
कुल	23,125.14	23,085.00

अतिरिक्त सूचना

- क) भारत सरकार से अतिरिक्त बजटीय सहायता के स्वरूप में प्राप्त ऋण आर्थिक मामले से संबंधित कैबिनेट समिति (सीसीईए) एवं बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित एनजेएमसी की पुनर्संरचना/पूनर्जीविता योजना के अनुसार ब्याज रहित है। 2018-19 के दौरान कंपनी ने बंद से संबंधित अधिसूचना के शर्तानुसार 20000 लाख रु. वापस कर दिया है।
- ख) कंपनी ने भारत सरकार एवं पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त उपरोक्त ऋण के लिए कोई प्रतिभूति अथवा गारंटी नहीं दी है।
- ग) कंपनी ने निम्नलिखित के लिए ऋण एवं ब्याज को वापस करने में चूक की है।

	(रु. लाख में)			
	31 मार्च 2021 तक		31 मार्च 2020 तक	
	चूक की अवधि	राशि (रु. लाख में)	चूक की अवधि	राशि (रु. लाख में)
पश्चिम बंगाल सरकार से ऋण :				
i) मूलधन	31.03.1994 से	281.48	31.03.1994 से	281.48
ii) ब्याज	31.03.1994 से	1,272.25	31.03.1994 से	1,232.11
कुल		1,553.73		1,513.59

कंपनी को पश्चिम बंगाल सरकार से निम्नलिखित के लिए औपचारिक सहमति अभी भी प्राप्त करना शेष है:

- i) उनके द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु प्राप्ति योग्य प्रतिपूर्ति के विरुद्ध उपरोक्त मूलधन राशि रु.281.48 लाख का समायोजन जैसाकि निश्चित परिसंपत्तियों पर टिप्पणी संख्या 10 में अतिरिक्त सूचना 3 में दर्शाया गया है एवं
- ii) बीआईएफआर अनुमोदित योजना के अनुसार साफ्ट ऋण में उपरोक्त ब्याज की राशि रु.1272.25 लाख (वि. व. रु.1232.11 लाख) में शामिल उपार्जित ब्याज रु.922 लाख का रूपांतरण।



31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी-5 दीर्घावधि प्रावधान

	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
		(रु. लाख में)
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान		
i) छुट्टी भुनाने हेतु प्रावधान	-	-
ii) ग्रेच्युटी हेतु प्रावधान	11.52	11.52
कुल	<u>11.52</u>	<u>11.52</u>

अतिरिक्त सूचना

1. ग्रेच्युटी : चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रेच्युटी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि सभी कर्मचारीगण संविदात्मक आधार पर हैं।
2. छुट्टी भुनाना : उपरोक्त में दर्शाये गये आधार पर छुट्टी भुनाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मगर जब कभी भुगतान होता है तो वास्तविक भुगतान के प्रभार को राजस्व खाता में दर्शाया जाता है।

टिप्पणी-6 अल्पावधि उधार

	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
		(रु. लाख में)
कुल	<u>-</u>	<u>-</u>

टिप्पणी - 7 व्यापारिक देय

	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
		(रु. लाख में)
i) सामान, व्यय एवं सेवा हेतु ऋणदाता	1,958.79	1,935.74
ii) व्यापारिक देय पर अर्जित ब्याज	126.61	126.61
कुल	<u>2,085.40</u>	<u>2,062.35</u>

अतिरिक्त सूचना

i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटीकरण

ए) वर्ष के अंत तक किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई मूलधन राशि	55.06	55.06
बी) विगत वर्ष के अंत तक बकाया एवं देय ब्याज	57.52	57.52
कुल	<u>112.58</u>	<u>112.58</u>



31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां
टिप्पणी-8 अन्य चालू देयताएं

	31 मार्च 2021 तक	(रु. लाख में) 31 मार्च 2020 तक
i) सांविधिक बकाया राशि (पीएफ एवं ईएसआईसी, कर रोकना, उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर, पीएफ पर ब्याज आदि में अंशदान)	4732.60	4727.18
ii) भुगतान आयुक्त का असंवितरित दावे	40.29	40.29
iii) कार्य-निष्पादन गारंटी	57.47	57.47
iv) प्रतिभूति जमा/ई एम डी	85.07	80.75
v) आई एस डी एस निधि पर ब्याज हेतु प्रावधान	19.02	19.02
vi) पार्टियों से अग्रिम	98.83	98.83
vii) संपत्ति कर/नगरपालिका कर एवं महसूल एवं कर	223.95	246.60
viii) उपाजित मजदूरी एवं वेतन हेतु ऋणदातागण	339.40	345.42
कुल	5,596.63	5,615.57

अतिरिक्त सूचना

- ए) सांविधिक देयताओं में ईएसआई निगम एवं पीएफ आयुक्त द्वारा दावा की गई क्षति राशि क्रमशः रु.3550.11 लाख (वि.व. रु.3550.11 लाख) एवं रु.592.24 लाख (वि.व. रु.592.24 लाख) सम्मिलित है जिसका बीआईएफआर अनुमोदित योजना के अनुसार सक्षम अधिकारी से माफी हेतु अनुरोध किया गया है।
- बी) सांविधिक बकाया राशि में लंबे समय का फ्रिज बेनिफिट टैक्स की राशि रु.8.93 लाख (वि.व. रु.8.93 लाख), वृत्तिक कर पर ब्याज की राशि रु.68.69 लाख (वि.व. रु.68.69 लाख) शामिल है।
- सी) संपत्ति कर के.एम.सी द्वारा परिसर 5, अलीपुर रोड, कोलकाता के लिए की गई मांग दर्शाता है जो न्यायाधीन है। जिसका ब्रेकअप निम्न प्रकार है।

	(रु. लाख में)			
	मूलधन	दंड	ब्याज	कुल
डी) संपत्ति कर में अन्य यूनियों की राशि रु. 2.82 लाख (वि.व. 29.92 लाख) भी शामिल है।	61.78	7.21	38.58	107.57
ई) उपाजित मजदूरी और वेतन के लेनदारों में रु. 226.55 लाख बीआरएस, ग्रैच्युटी और बकाया वेतन देय शामिल है जो अभी भी सुलह के अधीन हैं।	57.33	7.21	38.58	103.12

टिप्पणी-9 अल्पकालिक प्रावधान

	31 मार्च 2021 तक	(रु. लाख में) 31 मार्च 2020 तक
आकस्मिकता हेतु प्रावधान (समाधान होने के उपरांत कामगारों को देय ग्रैच्युटी के खाते में)	189.08	189.08
कुल	189.08	189.08



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां
टिप्पणी-10 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (रु. लाख में)

मूर्त परिसंपत्तियां	कुल ब्लॉक			मूल्यहास				शुद्ध ब्लॉक	
	31 मार्च, 2020 तक	योग (+)	कटौती (-)	31 मार्च, 2021 तक	वर्ष हेतु (+)	समायोजन (-)	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक	
(क) भूमि - पूर्ण स्वामित्व	605.59	-	-	605.59	-	-	-	605.59	605.59
(ख) भवन एवं सड़क	1,003.41	-	-	1,003.41	14.12	-	848.39	155.02	169.13
(ग) संयंत्र एवं उपकरण	3,730.16	-	-	3,730.16	23.92	-	3,581.16	149.00	172.91
(घ) फर्निचर एवं फिक्सचर	88.71	0.09	-	88.80	1.37	-	84.30	4.50	5.78
(ङ) वाहन	47.21	-	-	47.21	0.56	-	44.94	2.27	2.83
(च) कंप्यूटर	67.90	-	-	67.90	-	-	66.29	1.61	1.61
(छ) रेलवे साइडिंग	1.55	-	-	1.55	-	-	1.51	0.04	0.04
कुल - मूर्त परिसंपत्तियां (ए)	5,544.53	0.09	-	5,544.62	39.96	-	4,626.59	918.03	957.89
विगत वर्ष (ए)	5,543.92	0.62	-	5,544.54	46.18	0.13	4,586.64	957.90	1,003.60
पूंजी कार्य प्रगति पर	24.86	-	-	24.86	-	-	-	24.86	24.86
बाद : प्रावधान	24.86	-	-	24.86	-	-	-	24.86	24.86
कुल पूंजी कार्य प्रगति पर (बी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विगत वर्ष (बी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल निश्चित परिसंपत्तियां (ए+बी)	5,544.53	0.09	-	5,544.62	39.96	-	4,626.59	918.03	957.89
विगत वर्ष (ए+बी)	5,543.92	0.62	-	5,544.54	46.18	0.13	4,586.64	957.90	1,003.60



टिप्पणी-10 निश्चित परिसंपत्तियां (जारी)

अतिरिक्त सूचना

1. भारत सरकार ने 10.10.2018 को एनजेएमसी को बंद करने की अनुमति दे दी है। सक्षम प्राधिकारी के निदेशानुसार डीपीई द्वारा जारी मार्गदर्शन O.M. सं. डीपीई/5(1)/2014-वित्त (भाग-1) दिनांक 14.06.2018 के अनुसार बंद की जानी है। एनजेएमसी लि. के बोर्ड के निदेशागण के अनुमोदन से संयंत्र एवं मशीनरी आदि का निपटान करने के लिए एनबीसीसी (इंडिया) लि. को भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) के रूप में नियुक्त किया गया है और मेसर्स एमएसटीसी लि. को इ-निलामी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

दिनांक 14.06.2018 के डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप बंद करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। साथ ही एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को निदेशक मंडल के अनुमोदन से एनजेएमसी लिमिटेड की संपत्तियों के सत्यापन, निर्धारण और मूल्यांकन करने के लिए पूर्व एलएमए गतिविधियों के लिए सौंपा गया है जो प्रक्रियाधीन है।

2. संयंत्र एवं उपकरणों में यूनिट एलेकजेंड्रा से संबंधित 8 हेराक्ल मशीनें शामिल है जो राष्ट्रीयकरण की तिथि से तृतीय पक्ष के पास पड़ा है।
3. भूमि में यूनिट खरदाह से संबंधित लीजहोल्ड भूमि शामिल है जिसका मूल्य निर्धारित नहीं हो सका है।
- 3ए. भूमि में कलकत्ता विद्युत आपूर्ति निगम लि. के टीटागढ़ थर्मल पावर प्लांट की स्थापना करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अधिगृहित खड़दाह यूनिट की 4.48 एकड़ भूमि शामिल है। प्रतिपूर्ति राशि की प्राप्ति पर आवश्यक समायोजन किया जाएगा।
4. जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान के अंतर्गत राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लि. में दिनांक 20 दिसम्बर 1980 को निहित निश्चित परिसंपत्तियों में यूनिट एलेकजेंड्रा से संबंधित 5, अलीपुर रोड, कलकत्ता स्थित भूमि एवं भवन शामिल है परंतु यह कंपनी के कब्जे में नहीं है। इस संपत्ति को औद्योगिक (विकास एवं विनियमावली) अधिनियम, 1951 [आई(डी एवं आर) अधिनियम, 1951] के अंतर्गत एलेकजेंड्रा जूट मिल के प्रबंधन द्वारा ग्रहण किये जाने की तिथि से पूर्व गिरवी रखा गया था तथा इसे ग्रहण करने की तारीख को यह 'विक्रय करार' के अंतर्गत था। हालांकि विक्रय करार का समापन नहीं हुआ था तथा प्रबंधन द्वारा औद्योगिक (विकास एवं विनियमावली) अधिनियम, 1951 के प्रावधान के अंतर्गत अलीपुर कोर्ट, कलकत्ता में चुनौती दी गई थी। दिनांक 8 सितंबर 1981 को हाई कोर्ट द्वारा अंततः निषेधाज्ञा का एक अंतरिम आदेश जारी किया गया था तथा निर्देश दिया गया था कि अलीपुर कोर्ट में अगली सभी कार्यवाहियां स्थगित रहेगी। इसके उपरांत गिरवीग्राही द्वारा कोलकाता हाई कोर्ट में एक रीट पिटिशन दायर किया गया था जिसमें आई(डी एवं आर) अधिनियम 1951 के प्रावधानों की प्रयोज्यता को चुनौती दी गई थी। तत्पश्चात् जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत दिनांक 20.12.1980 को एलेकजेंड्रा जूट मिल लि. को राष्ट्रीयकृत किया गया था तथा परिसंपत्तियां सभी बाधाओं से मुक्त इस निगम में निहित हो गई थी। इसके उपरांत गिरवीग्राही द्वारा एक और रीट पिटिशन कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर किया गया जिसमें जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों एवं इसकी वैधता को चुनौती दी गई। औद्योगिक (विकास एवं विनियमावली) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों की प्रयोज्यता को चुनौती देते हुए गिरवीग्राही द्वारा दायर रीट पिटिशन को माननीय हाई कोर्ट, कलकत्ता द्वारा खारिज कर दिया गया तथा इसके उपरांत यथा स्थिति का एक अंतरिम आदेश माननीय हाई कोर्ट, कलकत्ता द्वारा पास किया गया।

स्थायी काउंसिल, मेसर्स फॉक्स एंड मंडल का यह राय है कि परिसर सं. 5, अलीपुर, कोलकाता केंद्र सरकार में निहित है जिसे पुनः जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 की धारा 6 के अंतर्गत एनजेएमसी में निहित कर दिया गया एवं एनजेएमसी सभी बंधकों या ग्रहणाधिकार या बाधाओं से मुक्त उक्त संपत्ति का स्वामी है, तथापि वस्त्र मंत्रालय के अनुदेश पर एनजेएमसी द्वारा राय मांगी गई है, कृपया उनके पत्र एफ सं.17/16/2006-जेई दिनांक 24/12/2007 का अवलोकन करें जिसमें वस्त्र मंत्रालय द्वारा एनजेएमसी को इस मुद्दे का विधिक दृष्टिकोण से जांच करने को कहा गया है। तदनुसार एनजेएमसी ने इस विषय को विधि, न्याय तथा कंपनी-कार्य के पास भेजा एवं विधि, न्याय तथा कंपनी-कार्य व बैरिस्टर श्री अनिंदय कुमार मित्रा से प्राप्त पत्र को एमओटी को अपने पत्र संख्या एनजेएमसी/सीएमडी/8 दिनांक 28/01/2008 के द्वारा अग्रेषित किया गया साथ-ही-साथ उसकी एक प्रति बैरिस्टर श्री अनिंदय कुमार मित्रा को भी अग्रेषित किया गया। वस्त्र मंत्रालय ने अपने पत्र सं.17/01/2006-जेई दिनांक



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

30 अप्रैल 2008 के माध्यम से कहा है कि श्री अनिंद्य कुमार मित्रा, बैरिस्टर एवं वरिष्ठ एडवोकेट और विधि तथा न्याय मंत्रालय के शाखा सचिवालय, कोलकाता की राय है कि परिसर सं.5, अलीपुर रोड का स्वामित्व राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार/एनजेएमसी में निहित नहीं समझा जा सकता है। दूसरी ओर एनजेएमसी की ओर से स्थायी परिषद् ने भिन्न राय व्यक्त की है। वस्त्र मंत्रालय ने फिर निदेश दिया है कि एनजेएमसी एवं भारत संघ (वस्त्र मंत्रालय) की ओर से प्रत्युत्तर स्वरूप उपरोक्त अधिसंख्यक विधिक राय के आधार पर माननीय हाई कोर्ट, कलकत्ता में ऐफीडेविटों को संशोधित किया जाए जिसमें विधि एवं न्याय मंत्रालय के शाखा सचिवालय, कोलकाता की राय शामिल है कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम उक्त संपत्ति पर लागू नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह संपत्ति राष्ट्रीयकरण करने के दौरान एलेकजेंड्रा की संपत्ति नहीं थी। तथापि ऐफीडेविट जून, 2019 में दर्ज किए गए थे।

2019 में 1981 की रिट याचिका 5292 को बहाल किया गया, हलफनामों का आदान-प्रदान पूरा हो चुका है और सुनवाई होने वाला है। महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोई प्रगति नहीं हुई।

चूंकि यह विषय न्यायाधीन है, इसलिए लेखा में कोई समायोजन नहीं किया गया है।

- आईआईबीआई द्वारा नियुक्त मेसर्स एसजे कंसलटेंट्स प्रा. लि. के 31.03.1993 तक के मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 21.06.2000 को बोर्ड के निदेशकगण के अनुमोदन से वर्ष 1999-2000 में यूनिट आरबीएचएम से संबंधित 96 बीघा 15 कड्डा एवं 5 धुर भूमि का मूल्य रु 373.02 लाख पूंजीकृत किया गया है।
- आईआईबीआई द्वारा नियुक्त मेसर्स एसजे कंसलटेंट्स प्रा. लि. के 31.03.1993 तक के मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार यूनिट आरबीएचएम की कलिम्पोंग एवं फारबिसगंज स्थित भूमि का मूल्य जिसमें रु41.55 लाख का 4.03 एकड़ भूमि शामिल है एवं भवन का मूल्य जिसमें रु27.24 लाख का भवन शामिल है, का विधिवत अनुमोदन 24 दिसम्बर, 1997 को बोर्ड के निदेशकगण द्वारा किया गया है और उसे वर्ष 1997-98 के दौरान पूंजीकृत किया गया है।
- वर्ष 2006-07 के दौरान कंपनी द्वारा भूमि का टाइटिल डीड जिसे आईआईबीआई के पास गिरवी रखा गया था, प्राप्त किया गया। टाइटिल डीड में से कुछ फटे एवं संदिग्ध अवस्था में हैं। इसलिए उसका प्रत्यक्ष सत्यापन करना संभव नहीं है। कंपनी के प्रबंधन कंपनी के नाम पर राष्ट्रीयकरण की तिथि को अर्जित अचल संपत्तियों के साथ अपने टाइटिल डीड के रिकॉर्ड का मेल-मिलाप करने की स्थिति में नहीं है।
- बेकार एवं/या अप्रिचलित घोषित किए गए संयंत्र तथा उपकरण को अपने बही में रु8.14 लाख (विगत वर्ष रु10.01 लाख) मूल्य की राशि को चालू परिसंपत्तियों के रूप में दिखलाया गया है जिसे पूरी तरह से प्रदान किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी द्वारा एलेकजेंड्रा तथा नेशनल की निश्चित परिसंपत्तियों में से पर्याप्त अंशों का निपटान कर दिया गया है जो सभी बंद इकाईयां हैं।

मिलों का नाम	निश्चित परिसंपत्तिया का नाम	31.03.2017 तक का कुल ब्लॉक (रु.)	31.03.2017 तक का डब्ल्यूडीवी (रु.)
एलेकजेंड्रा	संयंत्र तथा उपकरण	148,276.00	1,483.75
नेशनल	संयंत्र तथा उपकरण	3,745,379.30	61,424.22
कुल		3,893,655.30	62,907.97



31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां
टिप्पणी-11 गैर चालू निवेश

31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक		31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
			(रु. लाख में)	
संख्या	संख्या			
		(ए) इक्विटी उपकरणों में निवेश-इक्विटी सहायक कंपनियों में इक्विटी शेयर-अनुद्धत		
14415	14415	बर्ड्स जूट एवं एक्सपोर्ट्स लि., साधारण शेयर (अंकित मूल्य रु. 100/- प्रत्येक)*	-	-
10	10	बर्ड्स जूट एवं एक्सपोर्ट्स लि., साधारण शेयर (अंकित मूल्य रु. 100/- प्रत्येक)*	-	-
143	143	बर्ड्स जूट एवं एक्सपोर्ट्स लि., 7% संचित तरजीह वाले शेयर (अंकित मूल्य रु. 100/- प्रत्येक)	0.01	0.01
			0.01	0.01
		सहकारी समितियों में इक्विटी शेयर-अनुद्धत		
250	250	यूनियन नार्थ जूट मिल्स इंप्लॉइज कॉर्पोरेटिव स्टोर्स लि., (अंकित मूल्य रु. 100/- प्रत्येक)*	-	-
			-	-
		संबद्ध कंपनियों में इक्विटी शेयर-अनुद्धत		
5	5	किन्निसन जूट मिल्स कं. लि., (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक)*	-	-
			-	-
		अन्य कंपनियों में इक्विटी शेयर-उद्धत		
180	180	डनकंस एग्रो इंडस्ट्रीज लि. (अंकित मूल्य रु.10/- प्रत्येक)	0.01	0.01
111	111	बिडुला कार्पोरेशन लिमिटेड (अंकित मूल्य रु.10/- प्रत्येक)	0.01	0.01
63	63	चेविओट कंपनी लि. (अंकित मूल्य रु.10/- प्रत्येक)*	-	-
			0.02	0.02
		अन्य कंपनियों में इक्विटी शेयर-अनुद्धत		
180	180	हाथोगीरा टी कं. लि., (अंकित मूल्य रु.10/- प्रत्येक)*	0.01	0.01
1200	1200	जयपुर उद्योग लि., (अंकित मूल्य रु.10/- प्रत्येक)*	0.02	0.02
95	95	बज बज कं. लि., (अंकित मूल्य रु.10/- प्रत्येक)*	0.01	0.01
95	95	डेल्टा जूट एवं इंडस्ट्रीज लि., (अंकित मूल्य रु.4/- प्रत्येक)*	-	-
20	20	दि गंगेज मैनुफैक्चरिंग कं. लि., (अंकित मूल्य रु.100/- प्रत्येक)	-	-
2	2	एंग्लो इंडिया जूट मिल्स कं. लि., (अंकित मूल्य रु.100/ प्रत्येक)	-	-
26	26	दि एम्पायर जूट कं. लि., (अंकित मूल्य रु.10/- प्रत्येक)	-	-
600	600	विलाड इंडिया लि. 600 सं. (अंकित मूल्य रु.10/- प्रत्येक)*	0.01	0.01
3	3	लाउरेंस इन्वेस्टमेंट एंड प्रोपर्टी कं. लि. 3 सं. (अंकित मूल्य रु.100/- प्रत्येक)	0.01	0.01
100	100	वेभरली जूट कं. लि., (अंकित मूल्य रु.50/- प्रत्येक)	0.01	0.01
36972	36972	ब्रिगानिया इंजीनियरिंग कं. लि., (परिसमापन में) (अंकित मूल्य रु.100/- प्रत्येक)	-	-
2700	2700	टीटांगढ़ जूट फैक्टरी पी एल सी में 1 पांड का 2700 स्टॉक (अंकित मूल्य रु.1/- प्रत्येक)*	0.11	0.11
			0.18	0.18



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी-11 गैर चालू निवेश (जारी)

शेयर/प्रतिभूति/बॉण्ड्स/
यूनिट्स की संख्या

		(रु. लाख में)	
700	700		
(बी) तरजीह वाले शेयरों में निवेश			
जे.एफ.लॉ एंड कं. लि. (अंकित मूल्य रु.100/- प्रत्येक)*		-	-
		-	-
(सी) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश			
3% रूपांतरण ऋण 1986 (अंकित मूल्य रु.700/- परिपक्व)		0.01	0.01
3% रूपांतरण ऋण 1986 (अंकित मूल्य रु.5,300/-)		0.04	0.04
7 वर्षों का नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट :			
पुराना सिरीज		0.05	0.05
नया सिरीज		0.15	0.15
पश्चिम बंगाल इस्टेट एक्ज्यूजिशन कॉमपेंसेशन बॉण्ड्स		0.01	0.01
12 वर्षों का नेशनल प्लान सेविंग सर्टिफिकेट		0.01	0.01
भारत सरकार 5.5% ऋण 1999 (अंकित मूल्य रु. 42,500/-)		0.42	0.42
12 वर्षों का नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेट		0.01	0.01
12 वर्षों का नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट		0.04	0.04
		0.74	0.74
(डी) डिबेंचर में निवेश-अनुद्धृत			
ईस्ट इंडियन क्लिनिक लि., 5% गैर प्रतिदेय डिबेंचर		0.36	0.36
		0.36	0.36
कुल		1.31	1.31
बाद: प्रावधान		1.31	1.31
कुल		-	-
*बही मूल्य दर्शाया गया है जिसका रु.1,000/- से कम है			
उद्धृत गैर चालू निवेश का कुल बही मूल्य		-	-
अनुद्धृत गैर चालू निवेश का कुल बही मूल्य			
बाद: प्रावधान		-	-
कुल उद्धृत एवं अनुद्धृत गैर-चालू निवेश		-	-
उद्धृत गैर-चालू निवेश का कुल बाजार मूल्य		लागू नहीं	लागू नहीं

अतिरिक्त सूचना

	यूनिट	(रु. लाख में)	(रु. लाख में)
(1) वसूली के संदेहास्पद के लिए बनाये गये प्रावधान	नेशनल	7857	7857
	यूनियन	31172	31172
	किन्निसन	65328	65328
	खाड़दाह	4883	4883
	आर बी एच एम	21340	21340
	कॉरपोरेट	903	903
	एलेकजेंड्रा	3	3
	कुल	131486	131486

(2) कुल निवेश में से विभिन्न सरकारी प्राधिकरण, ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और जेएफ लॉ एंड कंपनी लिमिटेड में किए गए निवेश के संबंध में दस्तावेज लंबे समय से पता लगाने योग्य नहीं हैं। इस मामले को बोर्ड के साथ उठाया गया है और इसे शीघ्र ही होने वाली फॉरेंसिक ऑडिट में शामिल करने की सलाह दी गई है। हालांकि लेखा बही में पूरा प्रावधान किया गया है।



31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां
टिप्पणी-12 वस्तुसूचियां

	31 मार्च 2021 तक		31 मार्च 2020 तक	
(क) कच्चा माल (कम लागत या बाजार मूल्य पर) जोड़: ट्रांजिट में	138.57		138.57	
	-	138.57	-	138.57
(ख) कार्य प्रगति पर (आकलित लागत से कम या वसूली योग्य मूल्य पर)		63.38		63.38
(ग) निर्मित वस्तुएं (कम लागत या बाजार मूल्य पर)		199.48		199.48
(घ) भंडारण एवं स्पेयर्स (लागत पर) बाद: मूल्य में हास हेतु प्रावधान	380.81		380.81	
	154.93	225.88	154.93	225.88
कुल		627.31		627.31

अतिरिक्त सूचना

क) कोविड 19 महामारी के कारण दिनांक 31.03.2021 तक भौतिक वस्तुसूची लेना संभव नहीं था। चूंकि वित्तीय वर्ष 20-21 के दौरान इन्वेंट्री में कोई बदलाव नहीं हुई थी और इन्वेंट्री की सभी वस्तुएं कंपनी की सुरक्षित अभिरक्षा में हैं इसलिए इन्वेंट्री का मूल्य वही लिया गया जो 31.03.2020 के आंकड़े थे।

ख) अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन कंपनी की अनुमोदित नीतियों के अनुसार किया गया है, टिप्पणी सं.1.4 का अवलोकन करें।

टिप्पणी-13 ट्रेड प्राप्तियां

	31 मार्च 2021 तक		31 मार्च 2020 तक	
छ: महीने से अधिक के लिए बकाया				
(क) असुरक्षित - खारा समझा गया	-		-	
- संदेहास्पद समझा गया	283.36		283.36	
	283.36		283.36	
बाद: संदेहास्पद व्यापारिक प्राप्य हेतु प्रावधान	283.36	-	283.36	-
(ख) अन्य प्राप्य- खारा समझा गया		-		-
कुल		-		-



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां
टिप्पणी-14 नकद एवं बैंक में जमा शेष राशि

	31 मार्च 2021 तक	(रु. लाख में) 31 मार्च 2020 तक
(क) नकद एवं नकद समतुल्य		
(i) बैंक खाते में जमा शेष राशि	130.94	1,201.72
(ii) हाथ में नकदी	0.44	0.34
	<u>131.38</u>	<u>1,202.06</u>
(ख) अन्य बैंक बैलेंस		
(i) बैंकों में सावधि जमा खातों में		
(ए) 12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि होना	223.90	1,521.98
(बी) बैंक के साथ अन्य सावधि जमा	4,400.29	2,270.31
(ii) मार्जिन राशि	3.10	3.10
	<u>4,627.30</u>	<u>3,795.39</u>
बाद: मार्जिन राशि के विरुद्ध प्रावधान	3.10	3.10
	<u>4,624.20</u>	<u>3,792.29</u>
कुल	<u>4,755.58</u>	<u>4,994.35</u>

अतिरिक्त सूचना

- क) प्रमाणपत्र अधिकारी, ग्रेच्यूटी द्वारा उनके बकाया राशि की वसूली हेतु रु.18.10 लाख (विगत वर्ष रु.18.10 लाख) जब्त कर ली गई है जो बैंक ऑफ इंडिया के चालू खाता में शामिल है।
- ख) रु.3.10 लाख का मार्जिन राशि बहुत पुराना जमा शेष राशि है जिसे बिना किसी विवरण के आगे अग्रसित किया गया है। तदनुसार पूरा प्रावधान किया गया है।



31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां
टिप्पणी-15 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

	(रु. लाख में)	
	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
ए) ऋण एवं अग्रिम	1,078.21	1,078.21
असुरक्षित - खारा समझा गया (संबंधित पार्टी के अलावा)	-	-
असुरक्षित-संदेहास्पद समझा गया (संबंधित पार्टी के)	4,818.59	4,739.09
	5,896.80	5,817.30
बाद: प्रावधान	4,818.59	4,739.09
	1,078.21	1,078.21
बी) स्रोत के रूप में आय कर की कटौती की गई		
- खारा समझा गया	734.43	706.44
- संदेहास्पद समझा गया	408.77	408.77
	1,143.20	1,115.21
बाद: प्रावधान	408.77	408.77
	734.43	706.44
सी) नकदी या इसी प्रकार या प्राप्त होने वाले मूल्य हेतु वापसी योग्य अग्रिम		
i) प्रतिभूति जमा राशि		
असुरक्षित - खारा समझा गया	179.24	179.24
- संदेहास्पद समझा गया	11.47	11.47
	190.71	190.71
बाद: प्रावधान	11.47	11.47
	179.24	179.24
ii) सरकारी प्राधिकारियों के पास जमा शेष राशि		
असुरक्षित - खारा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद समझा गया	12.10	12.10
बाद: प्रावधान	12.10	12.10
	12.10	12.10
	-	-
iii) अन्यान्य		
असुरक्षित - खारा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद समझा गया	414.64	414.70
	414.64	414.70
बाद: प्रावधान	414.22	414.22
	0.41	0.47
कुल	1,992.29	1,964.36



**31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां
टिप्पणी-15 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम (जारी)**

अतिरिक्त सूचना

ए) बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड (बीजेईएल) एनजेएमसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। बीजेईएल के वित्तीय संकट के कारण एनजेएमसी लिमिटेड के बोर्ड ने 29 दिसंबर 1986 से समय-समय पर अस्थायी ऋण दिए थे। वर्ष 2004-05 में बोर्ड द्वारा ऋण की अंतिम किस्त दी गई थी। एनजेएमसी लिमिटेड ने 23 दिसंबर 1991 को आयोजित उनकी बोर्ड की बैठक में वर्तमान पर 01.04.1991 से 18.50% ब्याज लेने का भी संकल्प किया और भविष्य में ऋण बीजेईएल को अग्रिम रूप से देना पड़ सकता है।

संचित ऋण के साथ-साथ उस पर ब्याज की वापसी में विफलता और बीजेईएल को बंद करने के लिए भारत सरकार की मंजूरी को देखते हुए, एनजेएमसी लिमिटेड के बोर्ड ने बीजेईएल से प्राप्य राशि के लिए संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान करने का निर्णय लिया और तदनुसार, बीजेईएल को दिए गए ऋणों पर टीडीएस के शुद्ध अर्जित ब्याज के संबंध में हर साल प्रावधान किया जा रहा है।

बीजेईएल जो कंपनी की सहायक कंपनी है, को दी गई ऋण एवं अग्रिम की कुल राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज सहित कंपनी के लेखा बही के अनुसार 4818.59 लाख रुपये है। हालांकि, सहायक कंपनी से प्राप्त लेखों के विवरण के अनुसार, ऐसी राशि का योग रु.4833.77 लाख होता है। अंतर का समाधान किया जाना बाकी है। समाधान के बाद, मामले में उचित निर्णय के लिए लेखा को प्रबंधन के समक्ष रखा जाएगा।

बी) सुरक्षा जमा राशि में रु.1.87 लाख की राशि शामिल है जिसे भविष्य निधि प्राधिकरण द्वारा बीआईएफआर पुनरुद्धार योजना में क्षति के छूट के प्रावधान एवं डब्ल्यू.पी.सं.471(डब्ल्यू)/2016 के विस्तर उच्च न्यायालय, कोलकाता द्वारा निषेधाज्ञा का अस्तित्व में रहने के बावजूद वसूल किया गया है। पूरे रु.1.87 लाख का प्रावधान लेखा में किया गया है।

सी) अन्यान्य शामिल

- i) यूनिट खाड़दाह के संबंध में रु.11.33 लाख की राशि (विगत वर्ष रु.11.33 लाख) जो वर्ष 1982-83 में रेलवे किराया के जमा/भुगतान के मामले में धन का दुस्प्रयोग दर्शाता है। मामला न्यायाधीन है। तथापि लेखा में पूरा प्रावधान किया गया है।
- ii) यूनिट नेशनल के संबंध में नेशनल कंपनी लिमिटेड जूट मिल कामगारों की भविष्य निधि के ट्रस्टी को प्रदत्त रु.24 लाख की राशि (विगत वर्ष रु.24 लाख) ब्याज रहित ऋण के रूप में निधि में ब्रोकरों से प्रतिभूतियों की गैर प्राप्ति के कारण हुई ब्याज की हानि की वसूली के लिए इस शर्त पर दिया गया था कि ब्रोकरों से उक्त प्रतिभूतियों से प्राप्तियां प्राप्त की जाए जो उक्त ऋण की वापसी के लिए उपयुक्त होगा। चूंकि अभी तक कोई प्राप्तियां वसूल नहीं हुई हैं, इसलिए कोई समायोजन नहीं किया गया है तथा लेखा में पूरा प्रावधान किया गया है।
- iii) यूनिट नेशनल से संबंधित दिनांक 31 अगस्त, 1986 को आग लगने के कारण नष्ट हुए निर्मित वस्तुओं के स्टॉक के मूल्य के लिए दावे की शेष राशि एवं निश्चित परिसंपत्तियों के मूल्य हेतु दावे की शेष राशि क्रमशः रु.32.76 लाख (विगत वर्ष 32.76 लाख) एवं रु.2.24 लाख (विगत वर्ष 2.24 लाख) है। उपरोक्त शेष राशि को अस्वीकार करते हुए बीमा दावे का अंततः निपटारा नेशनल बीमा कंपनी द्वारा किया गया है। कंपनी ने इस मामले को आर्बिट्रेटर के पास फिर भेजने के लिए इसे संबंधित मंत्रालय, नई दिल्ली के पास प्रेषित किया है जैसाकि दो लोक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच विवादों का निपटारा करने के मार्गदर्शनाधीन अपेक्षित है। इस मामले का अभी तक समाधान नहीं हुआ है एवं इसके विरुद्ध लेखा में पूरा प्रावधान किया गया है।
- iv) रु.10.39 लाख कंपनी के अधिकारियों को वीआरएस पैकेज के लिए अग्रिम का प्रतिनिधित्व करता है। लेखा में संपूर्ण राशि रु.10.39 लाख के लिए प्रावधान किया गया है।



टिप्पणी-15 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम (जारी)

- v) लेनदेन के खाते में बीजेईएल से रु.4818.59 लाख प्राप्त योग्य है जिसे आगामी वर्ष में लाया गया है एवं लेखा में पूरा प्रावधान किया गया है।
- vi) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने हैंडिक्राफ्ट एंड हैंडलूमस एक्सपोर्ट्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. को रु.1200.00 लाख ब्याज मुक्त ऋण दिया है। यह ऋण वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के निदेश के आधार पर दिया गया है, इस संबंध में उनका पत्र सं.एफ.सं.21/2/2018/एचएचईसी/पीएसयू दिनांक 03.07.2018 का अवलोकन करें। 31.03.2021 तक बकाया राशि रु.1078.21 लाख था। समझौता ज्ञापन के शर्तानुसार ऋण के संवितरण की तिथि से 2 वर्ष के अंदर कंपनी के परिसंपत्तियों की बिक्री कर ऋण चुकाया जाएगा।
- डी)i) श्रोत पर आयकर कटौती (टीडीएस) की राशि रु.1141.19 लाख है। उक्त कर निर्धारण का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	कर निर्धारण वर्ष	टीडीएस राशि (रु लाख में)
पुराना जमा शेष राशि		13.10
2014-15	2015-16	167.73
2015-16	2016-17	161.76
2016-17	2017-18	412.38
2017-18	2018-19	173.19
2018-19	2019-20	130.52
2019-20	2020-21	54.51
2020-21	2021-22	28.01
कुल		1141.19

पिछले निर्धारण वर्षों के संबंध में आयकर विभाग द्वारा निर्धारित आयकर रिफंड, उस पर स्वीकार्य ब्याज के साथ, विभाग द्वारा निर्धारण वर्ष 1990-91 के संबंध में बकाया मांगों के खिलाफ समायोजित किया जा रहा है। कंपनी द्वारा ऐसी मांग के संबंध में विवरण/दस्तावेजों का पता नहीं लगाया जा सका। तदनुसार, कंपनी ने इस मामले को क्षेत्राधिकार वाले आयकर प्राधिकरण के साथ उठाया, जिसने संबंधित आदेशों की प्रतियां प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त की, जिसके द्वारा उक्त निर्धारण वर्ष की मांग उठाई गई और कंपनी को सीपीसी बेंगलोर से संपर्क करने की सलाह दी गई।

सीपीसी-बेंगलोर से भी आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत संपर्क किया गया था, जिनसे स्पष्टीकरण प्राप्त होना बाकी है।

कंपनी इस मामले से उचित तरीके से निपटने का इरादा रखती है और इस संबंध में आवश्यक समायोजन आयकर विभाग से आवश्यक जानकारी/विवरण प्राप्त करने के बाद किया जाएगा।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां टिप्पणी-16 अन्य चालू परिसंपत्तियां

	31 मार्च 2021 तक		(रु. लाख में) 31 मार्च 2020 तक	
(ए) उपार्जन				
जमा राशि पर उपार्जित ब्याज	8.17		44.54	
बाद: प्रावधान	1.80	6.37	1.80	42.74
(बी) अन्यान्य				
अन्य चालू परिसंपत्तियां	454.47		362.17	
बाद: प्रावधान	244.62		244.62	
		209.85		117.55
कुल		216.22		160.29

अतिरिक्त सूचना

ए) 454.47 लाख रुपये (पिछले वर्ष 362.17 लाख रुपये) की अन्य वर्तमान संपत्ति में 164.56 लाख रुपये (पिछले वर्ष रु.107.80 लाख) का इनपुट जीएसटी क्रेडिट शामिल है जिसे भविष्य की जीएसटी देनदारियों के खिलाफ समायोजित किए जाने की उम्मीद है।

टिप्पणी-17 आई एस डी एस परियोजना

	31 मार्च 2021 तक		(रु. लाख में) 31 मार्च 2020 तक	
	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां टिप्पणी-18 परिचालन से राजस्व

	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	
जूट उत्पादों की बिक्री		-		-
अन्य परिचालन राजस्व		-		-
कुल		-		-

अतिरिक्त सूचना

तीन पुनरुद्धार मिलें अर्थात् किन्नीसन, खाड़दाह एवं आरबीएचएम (कटिहार) 2016 के मध्य से अपरिचालित रहा। भूतपूर्व बीआईएफआर के अनुरूप भारत सरकार ने नेशनल, यूनिथन एवं एलेकजेंड्रा मिलों को बंद करने का निर्णय लिया। इसलिए वि.व. 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के लिए परिचालन से कोई राजस्व नहीं है।



टिप्पणी-19 अन्य आय

	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु		(रु. लाख में) 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	
ए) ब्याज आय				
जमा राशि पर बैंकों से ब्याज	267.55		403.86	
सहायक कं. को दी गई ऋण पर ब्याज आय	88.34	355.89	88.25	492.10
बी) अन्य गैर परिचालन आय		2.01		57.36
कुल		357.90		549.46

अतिरिक्त सूचना

- ए) भारत सरकार ने एनजेएमसी लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए रु. 48,362 लाख ब्याज मुक्त ऋण की मंजूरी दी। इनमें से 31.03.18 तक रु.41,571.41 लाख दे दी गई है। उसमें से खर्च न की गई राशि को फिलहाल सावधि जमा में निवेश किया गया है जिसने वर्ष के दौरान रु.267.55 लाख (विगत वर्ष रु.403.86 लाख) ब्याज अर्जित की है। इसे 2011-12 से लगातार कंपनी के आय के रूप में समझा जा रहा है। 31 मार्च 2016 को दी गई आईएसडीएस के फंड की राशि रु.144.00 लाख को भी आवधिक जमा में निवेश किया गया है। इसके ब्याज को भी आवधिक जमा पर बैंक से ब्याज आय में शामिल किया गया है।
- बी) सहायक कंपनी को दी गई ऋण पर ब्याज आय को चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर गणना की गई है, जबकि इसकी गणना सहायक कंपनी द्वारा सामान्य ब्याज के आधार पर की गई है। कंपनी के लेखा बही के अनुसार 31.03.2021 तक कंपनी की सहायक कंपनी को दिए गए ऋण एवं अग्रिम की कुल राशि तथा उस पर अर्जित ब्याज 4818.59 लाख रु. है। हालांकि सहायक कंपनी से प्राप्त लेखा विवरणी के अनुसार इस तरफ की कुल राशि 4833.79 लाख रुपये है। अंतर राशि का समाधान किया जाना शेष है।
- ए) अन्य गैर परिचालन आय में निम्नलिखित समाविष्ट है :

	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु		(रु. लाख में) 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	
i) सरकारी अनुदान से अर्जित परिसंपत्ति हेतु मूल्यह्रास का समायोजन	0.10		0.10	
ii) सीईएससी से ब्याज	-		-	
iii) प्रावधान लिखित वापसी	1.11		51.52	
iv) आई टैक्स रिफंड पर ब्याज	-		3.45	
v) अन्यान्य	0.80	2.01	2.29	57.36
कुल		2.01		57.36



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां
टिप्पणी-20 उपयोग की गई कच्चे सामग्री का लागत

	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	(रु. लाख में) 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रारंभिक स्टॉक	138.57	138.57
जोड़: खरीद	-	-
	138.57	138.57
बाद: जूट की क्षति	-	-
बाद: अंतिम स्टॉक	138.57	138.57
उपयोग की गई कच्चे सामग्री का लागत (प्रक्रिया में क्षति सहित)	-	-
अतिरिक्त सूचना		
i) उपयोग की गई कच्चे सामग्री में समाविष्ट :- कच्चा जूट		
ii) देशज	-	100%

तीन पुनरुद्धार मिलें अर्थात् किन्नीसन, खाड़दाह एवं आरबीएचएम (कटिहार) 2016 के मध्य से अपरिचालित रहा। भूतपूर्व बीआईएफआर के अनुरूप भारत सरकार ने नेशनल, यूनियन एवं एलेकजेंड्रा मिलों को बंद करने का निर्णय लिया। इसलिए कच्चे सामग्री का कुछ भी खपत नहीं हुआ है।

टिप्पणी-21 निर्मित वस्तुओं के वस्तुसूचियों में परिवर्तन एवं कार्य प्रगति पर

	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	(रु. लाख में) 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्ष के प्रारंभ में वस्तुसूचियां निर्मित वस्तुएं	199.48	199.48
कार्य प्रगति पर	63.38	63.38
	262.86	262.86
स्टॉक का समायोजन	-	-
	262.86	262.86
वर्ष की समाप्ति पर वस्तुसूचियां निर्मित वस्तुएं	199.48	199.48
कार्य प्रगति पर	63.38	63.38
	262.86	262.86
शुद्ध बढ़ोत्तरी/(कमी)	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी-22 कर्मचारी लाभ व्यय

	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	(रु. लाख में) 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन	66.40	79.97
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान	1.32	1.41
ग्रेच्युटी	-	-
स्टॉफ कल्याण व्यय	0.02	0.04
कुल	67.74	78.42



31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां
टिप्पणी-23 वित्त लागत

	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	(रु. लाख में) 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
पश्चिम बंगाल सरकार से उधार पर ब्याज	35.53	32.39
कुल	<u>35.53</u>	<u>32.39</u>
टिप्पणी - 24 अन्य व्यय		
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	(रु. लाख में) 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
ए) निर्माण व्यय		
पावर एवं ईंधन (विद्युत)	3.82	5.58
मरम्मत एवं रख-रखाव - बिल्डिंग	-	0.04
मरम्मत एवं रख-रखाव - मशीनरी	-	-
मरम्मत एवं रख-रखाव - अन्यान्य	1.32	0.14
	<u>5.14</u>	<u>5.76</u>
बी) प्रशासनिक व्यय		
भाड़ा	16.78	16.94
महसूल एवं कर	4.74	4.83
बीमा	3.37	6.77
सुरक्षा व्यय	1.20	5.25
पेशेवर प्रभार	1.85	1.26
कार भाड़ा प्रभार	3.49	4.55
यात्रा एवं वाहन	2.84	5.11
संचार	0.52	0.55
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	1.10	0.48
डिजिटिकरण प्रभार	-	-
कंप्यूटर व्यय	0.25	-
शाखा विभाजन व्यय	302.71	293.63
कानूनी प्रभार	5.37	2.76
बैंक प्रभार	0.13	0.14
संदेहास्पद व्यापारिक एवं अन्य प्राप्ति योग्य हेतु प्रावधान	79.50	70.14
इनपुट जीएसटी हेतु प्रावधान	-	-
पूर्व अवधि मर्दे(शुद्ध)	6.51	10.12
विविध व्यय	11.89	14.13
विलंब से भुगतान पर ब्याज एवं दंड	2.80	5.82
विज्ञापन	1.68	3.85
	<u>446.73</u>	<u>446.31</u>



31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां
टिप्पणी-24 अन्य व्यय (जारी)

	(रु. लाख में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक:		
ए) सांविधिक लेखापरीक्षा		
i) सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	1.37	1.37
ii) कर लेखापरीक्षा शुल्क	-	-
बी) अन्यान्य लेखापरीक्षक		
i) कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.36	0.36
ii) अन्यान्य लेखापरीक्षा शुल्क	-	0.38
	<u>1.73</u>	<u>2.11</u>
कुल	<u>453.60</u>	<u>454.20</u>
अतिरिक्त सूचना		
i) पूर्व अवधि के मदों में शामिल (शुद्ध)		
पूर्व अवधि के खर्चे	6.51	9.98
मूल्यहास	-	0.14
कुल	<u>6.51</u>	<u>10.12</u>

टिप्पणी - 25 प्रति शेयर उपार्जित

	(रु. लाख में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
लाभ-हानि विवरण के अनुसार कर के उपरांत		
लाभ/(हानि) (रु. लाख में)	(238.94)	(61.72)
इक्विटी शेयर की वेटेड औसत संख्या	557974	557974
प्रति शेयर उपार्जित (रु.) - मूल	(42.82)	(11.06)
प्रति शेयर उपार्जित (रु.) - मिश्रित	(42.82)	(11.06)



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां
टिप्पणी-26

- 10.10.2018 को भारत सरकार ने एनजेएमसी को बंद करने की मंजूरी दी है। सक्षम प्राधिकारी के दिशानिदेशानुसार डीपीई के द्वारा जारी मार्गदर्शानुसार बंद की जानी है, इस संदर्भ में का.ज्ञा.सं.डीपीई/5(1)/2014 - वित्त (भाग-I) दिनांक 14.06.2018 का अवलोकन करें। दिशा-निदेश के अनुरूप ब्याज मुक्त ऋण को चुकाने के लिए भारत सरकार को 20,000 लाख रुपये वापस की गई है और एनबीसीसी (इंडिया) लि. को भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) के रूप में नियुक्त किया गया है और एनजेएमसी लि. के बोर्ड के निदेशकगण के अनुमोदन से संयंत्र व मशीनरी आदि का निपटान करने के लिए मेसर्स एमएसटीसी लि. को ई-नीलामी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। डीपीई मार्गदर्शन दिनांक 14.06.2018 के अनुरूप बंद करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। साथ ही एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को निदेशक मंडल के अनुमोदन से एनजेएमसी लिमिटेड की संपत्तियों के सत्यापन, निर्धारण और मूल्यांकन के लिए पूर्व एलएमए गतिविधियों के लिए सौंपा गया है जो प्रक्रियाधीन है। एनबीसीसी इंडिया ने असाइनमेंट शुरू कर दिया है और 21 सितंबर, 2020 को अपनी पहली मसौदा रिपोर्ट जमा कर दी है। रिपोर्ट के सत्यापन के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने कुछ विसंगतियां देखी हैं जिन्हें एनबीसीसी इंडिया को अवगत कराया गया था। संपत्तियों का पुनः सत्यापन प्रक्रियाधीन है।
- इन वित्तीय विवरणियों में कंपनी के कार्पोरेट कार्यालय के यूनिट एवं 6 मिलों अर्थात् किन्निसन, आरबीएचएम, खारदाह, नेशनल, यूनियन और अलेक्जेंड्रा से संबंधित लेखा समाविष्ट हैं।
- संबंधित पार्टी के लेनदेन
 - पार्टियों का ब्यौरा :

संबंध का वर्णन	संबंधित पार्टियों का नाम
सहायक कंपनी	बडर्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	श्री मलॉय चंदन चक्रवर्ती (सीएमडी)
	सुश्री मालिनी महापात्र (सीएस)

नोट : संबंधित पार्टियों की पहचान प्रबंधन द्वारा की गई है।

ii) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी के लेनदेन एवं 31 मार्च, 2020 तक के बकाया राशि का ब्यौरा:

ए) सहायक कंपनी के साथ:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
सहायक कंपनी को ऋण की प्रारंभिक जमा राशि	4,739.09	4,668.95
वर्ष के दौरान लेनदेन	-	-
ब्याज प्रभार	88.34	88.25
बाद: टीडीएस वि.व. 2020-21	(8.83)	-
बाद: टीडीएस वि.व. 2019-20	-	(8.82)
बाद: टीडीएस वि.व. 2018-19	-	(9.28)
अंतिम जमा राशि	4,818.60	4,739.09

उपरोक्त जमा राशि के विरुद्ध प्रावधान को टिप्पणी सं.15(ए) में दर्शाया गया है।

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक : कंपनी सचिव के रूप में भुगतान की गई पारिश्रमिक	4.39	2.56
---	------	------

4) निदेशक के पारिश्रमिक सहित कर्मचारी के लाभ खर्च निम्न प्रकार है:

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
पारिश्रमिक	शून्य	शून्य
भविष्य निधि में अंशदान	शून्य	शून्य
ग्रेच्युटी	शून्य	शून्य



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी-26 (जारी)

(रु. लाख में)

5	विवरण	31 मार्च 2021 तक समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
ए)	विदेशी मूद्रा में व्यय	शून्य	शून्य
बी)	विदेशी मूद्रा में आय	शून्य	शून्य

- 6) कंपनी का परिचालन केवल घरेलू बाजार में विक्रय करने के लिए एकल जूट उत्पाद का निर्माण और बिक्री करने से संबंधित है। इस प्रकार से लेखाकरण मानक-17 (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत खंड रिपोर्टिंग) के अंतर्गत रिपोर्ट करना लागू नहीं है।
- 7) कंपनी द्वारा उसके प्रारंभ से निरंतर वहन की जा रही हानि को ध्यान में रखते हुए आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि यथोचित निश्चितता नहीं है कि भविष्य में पर्याप्त आयकर योग्य आय होगा जिसके विरुद्ध ऐसे आस्थगित कर परिसंपत्तियों का समायोजन किया जा सके।
- 8) लेखाकरण मानक-28 के अनुसार कंपनी ने अपनी निश्चित परिसंपत्तियों पर क्षीणता हानि का आकलन नहीं किया है।
- 9) विवादित आकस्मिक देयताओं एवं प्रतिबद्धताओं को नहीं दर्शाया है।

(रु. लाख में)

Sl. No.	विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
ए) आकस्मिक देयताएं			
i)	कंपनी ने यूनिट किन्सिन के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क हेतु ऋण के रूप में दावे को स्वीकार नहीं किया है।	21.35	21.35
ii)	कंपनी के विरुद्ध पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर प्राधिकारी एवं बिहार वाणिज्यिक कर प्राधिकारी द्वारा 'सी' फार्म को जमा नहीं करने से संबंधित दावा किया गया है जिसे कंपनी द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया है और तदनुसार अपील को तरजीह दिया है। (वित्तीय वर्ष 2011-12 किन्सिन 0.002 लाख रु, खारदाह 2.88 लाख रु, वित्तीय वर्ष 2012-13 किन्सिन 43.96 लाख रु, खारदाह 38.04 लाख रु, वित्तीय वर्ष 2013-14 किन्सिन 67.02 लाख रु, खारदाह 40.18 लाख रु एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 किन्सिन 27.47 लाख रु, वित्तीय वर्ष 2015-16 किन्सिन 3.18 लाख रु एवं 0.01 लाख रु, वित्तीय वर्ष 2017-18 खारदाह 0.11 लाख रु एवं किन्सिन 0.22 लाख रु)।	223.09	220.18
iii)	सेवा कर की मांग	0.10	0.10
iv)	इस राशि का भुगतान श्री शिओ कुमार शुक्ला की अपील के मामले में यूनिट के लिए पीएओ(डीजीएमएस), धनबाद को किया गया है।	-	-
v)	बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा राशि 18.10 लाख रु और इंडियन बैंक के पास जमा राशि 1.87 लाख रु को क्रमशः प्रमाणपत्र अधिकारी, ग्रेच्युट 1 एवं भविष्य निधि आयुक्त द्वारा उनके बकाया राशि की वसूली करने के लिए जब्त किया गया है।	19.97	19.97



31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी-26 (जारी)

(रु. लाख में)

vi)	उस तिथि तक सीपीसी वेबसाइट के अनुसार आयकर प्राधिकारी द्वारा कंपनी के विस्द्ध दावे 436.80 लाख रु है। इस मामले को न्यायिक आयकर प्राधिकारी के पास उठाया गया है जिन्होंने सूचित किया है कि उन्हें मांग से संबंधित कोई जानकारी नहीं है और हमें सलाह दी कि इस विषय को सीपीसी-बंगलोर के पास उठाएं। तदनुसार एनजेएमसी लि. ने आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत स्पष्टीकरण मांगा है। एनजेएमसी लि. को अभी उत्तर पाना शेष है। उपरोक्त के अतिरिक्त सीपीसी-बंगलोर के पोर्टल में टीडीसी से संबंधित 3.21 लाख रु की मांग को दर्शाया गया है जो विगत वर्ष से संबंधित है परंतु न्यायिक कर निर्धारण अधिकारी से कोई मैनुअल मांग नहीं की गई है। तदनुसार कंपनी ने उस तिथि तक उसे स्वीकार नहीं किया है और उसे सीपीसी-बंगलोर के पास उठाया जा रहा है।	440.01	440.01
बी) प्रतिबद्धयता		-	-
	कुल	704.51	701.61

10) आकस्मिक देनदारियों और प्रतिबद्धताओं के लिए प्रदान नहीं किया गया

क्र. श.	विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
	आकस्मिक देयताएं		
i)	इस निगम के कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस देने के लिए कॉर्पोरेशन द्वारा एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड को दी गई गारंटियां	0.97	0.97
ii)	कंपनी की ओर से बैंकों द्वारा बिक्री कर प्राधिकरण को जारी की गई गारंटी	0.50	0.50
	कुल	1.47	1.47

अन्य आकस्मिक देयताएं प्रदान नहीं की गई हैं:

- iv) विभिन्न कानूनी मंचों के समक्ष लंबित कंपनी के पूर्व कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा किए गए दावे: पता नहीं
 - v) विभिन्न कानूनी मंचों के समक्ष लंबित कंपनी के लेनदारों द्वारा मांगे गए ब्याज के लिए दावे: निश्चित नहीं
 - vii) “पिछले निर्धारण वर्षों के संबंध में निर्धारित आयकर रिफंड और बकाया मांग के लिए आयकर विभाग द्वारा समायोजित किए गए इंटरसेट की अनुमति: आयकर विभाग से पूरी जानकारी के अभाव में राशि का पता नहीं लगाया जा सका। आयकर विभाग के पोर्टल के अनुसार पूर्व निर्धारण वर्षों के लिए पहले से ही एकत्र की गई मांगों के संबंध में देय ब्याज की बकाया मांग की राशि रु. 28947064/- है।”
- 11) पिछले वर्ष के आँकड़ों को चालू वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हो पुनर्वर्गीकृत / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।



31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों एवं अन्य का सार 1
टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है 1-26

आर के पटोदी एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 305091ई

सैबल गंगोपाध्याय
साझेदार
सदस्यता सं. 300680
यूडीआईएन: 21300680एएएएडी6255

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 10.09.2021

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(श्री मल्लोय चंदन चक्रवर्ती)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08641793

(मालिनी महापात्र)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. ए39997



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

(A Government of India Undertaking)

CIN: U17232WB1980GOI032768

41st ANNUAL REPORT 2020-21

CONTENTS

Sl. No.	Description	Page No.
1.	Notice of Annual General Meeting	1
2.	Board of Directors & Other Details	2
3.	Director's Report	4
4.	Comments of the Comptroller and Auditor General of India	19
5.	Independent Auditors' Report	20
6.	Annexure to Auditors' Report	28
7.	Balance Sheet	34
8.	Statement of Profit & Loss	35
9.	Cash Flow Statement	36
10.	Notes to the Financial Statement	38



Ref No.: NJMC/41stAGM/ 4336

Date: 08.11.2021

Notice of 41st Annual General Meeting of NJMC Ltd.

Notice is hereby given that the 41st Annual General Meeting of National Jute Manufactures Corporation Ltd. will be held on Tuesday, the 09th day of November, 2021 at 11:30 am at room no 162, Ministry of Textiles, Udyog Bhawan, New Delhi-110011, to transact the following business.

Ordinary business:

- 1) To consider and adopt the audited Balance Sheet as at 31st March, 2021 and Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2021 together with the Reports of Auditors and Directors and comments of Comptroller and Auditor General of India (CAG) thereon.
- 2) To take note of the appointment of Statutory Auditors and to fix their remuneration.

To consider, and if thought fit to pass, with or without modification the following resolution as an Ordinary Resolution

“Resolved that pursuant to the provisions of Section 139 of the Companies Act, 2013 (“The Act”) M/s R.K.Patodi & Co., Chartered Accountants has been appointed as the Statutory Auditors of the Corporation for the year 2021-22 as per directives of the Comptroller & Auditor General of India at a remuneration of Rs. 1,37,000/- (excluding out of pocket expenses and GST) pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with the related rules thereon.”

By Order of the Board

Iman Ali Mandal
Chief Operating Officer

Regd. Office:

Chartered Bank Building,
2nd Floor, 4, N.S. Road,
Kolkata-700001

Place: Kolkata
Date: 08.11.2021

Note:

- 1) A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint an authorized representative to attend and vote instead of himself and he need not be a member.



**BOARD OF DIRECTORS
FROM 01.04.2020-31.03.2021**

Chairman-cum-Managing Director : Shri Moloy Chandan Chakrabortty (From 29.11.2019)

Directors : Shri Shashank Priya (From 16.12.2020)
Shri Vijoy Kumar Singh (From 23.07.2019-16.12.2020)
Shri Sanjay Sharan (From 14.02.2019)
Smt. Madhavi Agarwal (From 09.03.2020)

Company Secretary : Ms. Malini Mahapatra

PRESENT COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE

Shri Shashank Priya : Chairman
Shri Moloy Chandan Chakrabortty : Member
Shri Sanjay Sharan : Member
Smt. Madhavi Agarwal : Member

Statutory Auditors : R. K. Patodi & Co.
Chartered Accountants
2, Church Lane, 4th Floor,
Suite No. 404A,
Kolkata-700 001

Bankers : Allahabad Bank
UCO Bank
Central Bank of India
State Bank of India
IDBI Bank
Union Bank

NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.



- Registered Office** : Chartered Bank Building, 2nd floor,
4, Netaji Subhash Road
Kolkata-700001
- Mill Units** : Alexandra, P.O. Jagatdal,
Dist. North 24-Parganas,
Pin - 743 125, West Bengal
- : Khardah, P.O. Titagarh
Dist. North 24-Parganas,
Pin - 700 019, West Bengal
- : Kinnison, P.O. Titagarh
Dist. North 24-Parganas,
Pin - 700 019, West Bengal
- : National
Vill-Rajgunj, Sankrail, Dist. Howrah, P.O. Banipur
Pin - 711 304, West Bengal
- : Union
Convent Lane,
Kolkata-700015
- : RBHM
Katihar, Post & Dist - Katihar,
Pin - 854 105, Bihar
- Subsidiary Company** : Birds Jute & Exports Limited
Regd. Office: Chartered Bank Building, 1st Floor,
4, Netaji Subhash Road,
Kolkata-700001
- : Mill Unit
200, Dakshindari Road, (Near V.I.P. Road)
Kolkata-700048
(since 1986)



DIRECTORS' REPORT

To
The Shareholders,
Gentlemen,

Your Directors have pleasure in presenting the 41st Annual Report on the business and operation of your Company together with the audited accounts for the year ended March 31, 2021.

1. Financial Performance

The performance for the financial years 2020-21 and 2019-20 are summarized below:

STANDALONE

SI. No.	PARTICULARS	2020-21	2019-20
I	Production (in M. Ton)	NIL	NIL
		₹ in Cr.	₹ in Cr.
II.	Revenue from Operations	-	-
III	Other Income	3.58	5.49
IV.	Net Profit / (Loss) for the year	(2.39)	(0.62)
V.	Cash profit / (Loss)	(198.98)	(15.54)
VI.	Accumulated Profit / (Loss)	(285.21)	(278.39)
VII.	Net Worth	(224.98)	(222.59)

The company has earned a net loss of Rs. 2.39 Crores in comparison to net loss of Rs. 0.62 Crores in previous financial year.

Present Status of the Company

During the financial year 2018-19 the Union Cabinet has approved the closure of the Corporation on 10th October, 2018 and a letter in this regard was forwarded to us vide letter File No.11/18/2014-Jute (Vol III) dated 31st October, 2018. Further it was also mentioned to follow the closure procedure as per DPE guidelines dated 14.06.2018. As per the directives, NBCC (India) Ltd. has been engaged for doing Pre LMA activities for verification, valuation and assessment of all the movable and immoveable assets of the organization. The first draft report of the same has been submitted. NJMC Ltd has already verified the report and the discrepancies observed have been intimated to NBCC Ltd, re verification from their end is in process.

In accordance with the same, your corporation is complying with the guidelines and the status report on closure is regularly updated to the Ministry of Textiles.

2. Profit & Loss Analysis

During the financial year under review the company has earned loss of (Rs. 2.39) crores as against loss of Rs. 0.62 crores in the previous year.

3. Subsidiary Company - BJEL

The company has one subsidiary, namely Birds Jute and Export Limited (BJEL). During the financial year 2018-19 the Union Cabinet has approved the closure of the organization on 10th October, 2018. The accounts of the subsidiary company for the financial year ended 31st March 2020 and 31st March 2021 were not finalized but since C&AG audit process is not completed and A.G.M is yet to be held, the accounts have not been merged with the Company's financial statements as on 31st March, 2020 and 31st March 2021. However, we have received a copy of signed accounts for the financial year ended 31st March 2020 and it is



observed that the net worth of the Company is negative and of which 59% (Rs. 8055.42 lacs) is to be taken into account by NJMC Ltd.

4. Memorandum of Understanding (MOU)

Due to the proposed closure of your Company, Ministry of Textiles has exempted your Corporation from signing MOU from 2016-17 and onwards.

5. Corporate Governance

5.1 Company Philosophy

The Company's philosophy on Corporate Governance is aimed at the attainment of high level of transparency, accountability and compliance of law in all facets of operations, leading to best standards of Corporate Governance.

The Company complies with the requirement of Corporate Governance as per Guidelines for Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010.

5.2 Board of Directors and details of Meetings attended during the year as on 31.03.2021.

Pursuant to the Articles of Association, all the Directors are appointed by the Government of India. The current composition of the Board and the meetings attended during the year are as follows:

Name of Director	Designation	Particulars of Board Meetings held during the year (1st April, 2020-31st March, 2021)						Whether AGM Attended
		23 rd June, 2020	25 th June, 2020 (Adjourned Meeting)	22 nd September, 2020	18 th December, 2020	31 st December, 2020	22 nd January, 2021	
Shri Moley Chandan Chakraborty	Chairman cum Managing Director (Additional Charge)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Shri Vijoy Kumar Singh, AS & FA (Cessation w.e.f. 16.12.2020)	Govt. Nominee Director	LOA	Yes	Yes	NA	NA	NA	NA
Shri Shashank Priya, AS & FA (Appointed w.e.f. 16.12.2020)	Govt. Nominee Director	NA	NA	NA	LOA	Yes	Yes	Yes
Shri Sanjay Sharan, JS	Govt. Nominee Director	LOA	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Smt. Madhavi Agarwal (Appointed w.e.f. 09.03.2020)	Non official Independent Director	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

Note:

- ❖ **Shri Shashank Priya, AS &FA has been appointed as the Govt. nominee Director in place of Shri Vijoy Kumar Singh w.e.f. 16.12.2020.**



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

5.3 Audit Committee

The Audit Committee of your Corporation was constituted in accordance with the provisions of Section 177 of the Companies Act, 2013 read with Rule 5 of Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 and regulations incidental/ancillary thereto to follow a good corporate practice keeping in view its basic requirement. The Audit Committee comprises of four members and the quorum of the Audit Committee is two members. The present members of the Audit Committee comprises of:

Sl. No.	Name of Director
1.	Shri Shashank Priya, Non-Executive Director -Chairman
2.	Shri Sanjay Sharan, Non-Executive Director -Member
3.	Shri Moloy Chandan Chakraborty, Chairman cum Managing Director-Member.
4	Smt. Madhavi Agarwal, Non-official Independent Director-Member

The current composition of the Audit Committee and meetings attended during the year are as follows:

Name of Director	Designation	Particulars of Audit Committee Meetings held during the year (1st April, 2020-31st March, 2021)				
		23 rd June, 2020	25 th June, 2020 (Adjourned Meeting)	22 nd September, 2020	18 th December, 2020	22 nd January, 2021
Shri Moloy Chandan Chakraborty	Chairman cum Managing Director (Additional Charge)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Shri Vijoy Kumar Singh, AS & FA (Cessation w.e.f. 16.12.2020)	Govt. Nominee Director	LOA	Yes	Yes	NA	NA
Shri Shashank Priya, AS & FA, (Appointed w.e.f. 16.12.2020)	Govt. Nominee Director	NA	NA	NA	Yes (Invitee)	Yes
Shri Sanjay Sharan, JS	Govt. Nominee Director	LOA	Yes	Yes	Yes	Yes
Smt. Madhavi Agarwal (Appointed w.e.f 09.03.2020)	Non official Independent Director	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

- ❖ The Audit Committee was reconstituted with the inclusion of Shri Shashank Priya, AS & FA as the Chairman of the Committee in place of Shri Vijoy Kumar Singh.
- ❖ The Company Secretary shall act as the Secretary to the Committee.

A brief description of the terms of reference of the Audit Committee are:

- a) Examination of the financial statement and auditor's report thereon.
- b) The recommendation for remuneration of auditors of the Company.
- c) Review and monitor the auditors' independence, performance and effectiveness of audit process.
- d) Approval or any subsequent modification of transactions of the Company with related parties.
- e) Scrutiny of inter-corporate loans and investments.
- f) Valuation of undertakings or assets of the company, wherever it is necessary.
- g) Evaluation of internal financial control and risk management system.
- h) Monitoring the end use of funds raised through public offers and related matters, if any.



5.4 General Body Meetings:

		2017-18 (38th AGM)	2018-19 (39th AGM)	2019-20 (40th AGM)
01	Date	07.12.2018	18.12.2019	31.12.2020
02	Time	1:00 P.M.	11:30 A.M	3:45 P.M.
03	Venue	Ministry of Textiles, Udyog Bhawan, New Delhi-110011	Ministry of Textiles, Udyog Bhawan, New Delhi-110011	Office of the Jute Commissioner, (Through Video Conferencing), C.G.O. Complex, 3rd MSO Building, 4th Floor, DF Block, Salt Lake City, Kolkata – 700064

5.5 Disclosures

- i) Disclosures required under the Companies Act, Accounting Standard practice and other Applicable Acts/Rules.
- ii) Employees are free to report of violation of Rules/Regulations to their Supervisors/CVO/CMD.
- iii) The requirement as specified in the applicable guidelines have been complied with as far as possible / applicable to it.
- iv) Presidential Directives issued by the Central Government have been complied with.
- v) No expenditure which is not for the purpose of business booked in the Books of Account.
- vi) No expenditure which is personal in nature has been incurred.

5.6 Other Information

- i) Board / Audit Committee Meeting and procedure : The information usually placed before the Board includes
 - a) Confirmation of the Minutes.
 - b) Follow up action on decisions taken in the Board.
 - c) Updated status report on various issues.
 - d) Legal Matters.
 - e) Annual Accounts.
 - f) Auditors report including Concurrent Auditors report.
- ii) Agenda for Board/Audit Committee Meetings: On fixation of dates of the Board/Audit Committee Meetings, the Agenda papers are prepared and are circulated to the Directors/Members within a stipulated time. Similarly the draft minutes of the meeting are circulated to the Directors/Members for their consideration and approval.
- iii) Post Meeting Follow up Mechanism: Follow up Reports on decisions recorded in the Draft Minutes of the previous meetings are discussed at the immediately succeeding meeting of the Board/Committee.
- iv) Recording of Minutes at Board/Committee Meetings: The Minutes of the proceedings of each Board/Committee Meetings are recorded by the Company Secretary. The Minutes are subsequently confirmed in the following Meeting of the Board/Committee and entered in the Minutes Book accordingly.

5.7 Code of Business Conduct

The Company is committed to conduct its business in accordance with the highest standards of business ethics and comply with all applicable laws, rules and regulations.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

6. Dividend

As your Corporation is in the process of closure in pursuance of a decision of the parliament, your Directors do not recommend any amount as dividend during the year 2020-21.

7. Transfer to Reserves:

During the year under review, the Board of Directors do not recommend to transfer any amount to the reserves.

8. Vigilance

Vigilance Awareness Programme was observed from 27.10.2020 to 02.11.2020. During the said period, pledge (physical as well as e-pledge) was taken by all the employees of the Corporation to bring transparency in all spheres of activities for the eradication of corruption.

During the year under review, Shri Iman Ali Mandal, COO, NJMC Ltd. was handed over the charge of Part time Chief Vigilance Officer (CVO) w.e.f. 05.10.2018 and continuing since then.

9. Promotion of Official Language

The Corporation has been making continuous efforts to implement the directives of Official Language Policy of Govt. of India during the year under review.

10. Directors' Responsibility Statement

As required by Section 134(3)(c) of the Companies Act, 2013 your Directors state that:

- (i) In the preparation of the annual accounts for the year ended 31st March 2021, the applicable accounting standards have been followed alongwith proper explanation relating to material departures;
- (ii) The Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at 31st March 2021 and of the profit and loss of the Company for that period.
- (iii) The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provision of the Companies Act, 2013, for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (iv) The Directors had prepared the annual accounts for the year 2020-21 on a going concern basis.
- (v) The Company being unlisted, sub clause (e) of Section 134(5) of the Companies Act, 2013 pertaining to laying down internal financial controls are not applicable.
- (vi) They have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all the applicable laws and that such systems are adequate and operating effectively.

11. Board of Directors and Key Managerial Personnel

● Board of Directors

Sl. No.	Name	Designation
1.	Shri Moloy Chandan Chakraborty, Jute Commissioner and Chairman cum Managing Director (Additional Charge)	Chairman
2.	Shri Shashank Priya, AS &FA	Govt. Nominee Director
3.	Shri Sanjay Sharan, JS	Govt. Nominee Director
4.	Smt. Madhavi Agarwal	Non Official Independent Director



● NOTE:

The Audit Committee was reconstituted with the inclusion of Shri Shashank Priya, AS & FA as the Chairman of the Committee in place of Shri Vijoy Kumar Singh.

Shri Shashi Ranjan Kumar, AS & FA, has been appointed as Govt. Nominee Director w.e.f. 01.07.2021 vide Letter No:11/25/2014-Jute Government of India ,Ministry of Textiles,Jute Section Dated 1 st July,2021

● **Key Managerial Personnel**

Ms. Malini Mahapatra has been appointed as the Company Secretary of the Corporation w.e.f. 16th September, 2019. Ms Malini Mahapatra has resigned and released from the Organisation on 30.09.2021.

12. Related Party Transactions

Related party transactions that were entered into during the financial year were on arm's length basis and were in ordinary course of business. There are no materially significant related party transactions made by the Company which may have potential conflict with the interest of the Company.

The Company has not entered into any transaction with the Related Parties in contravention of Section 188 of the Companies Act, 2013.

13. RTI Act, 2005

Your Corporation implemented the Right to Information Act, 2005 with the appointment of a Central Public Information Officer at the Registered Office. The information sought for is provided within stipulated time.

14. Corporate Social Responsibility

During the year under review Cabinet approval has been received on 10.10.2018 for closure of the Corporation, hence CSR provisions under section 135 of the Companies Act, 2013 and related rules are not applicable to your Corporation.

15. Deposits

During the period under review, your Corporation has neither accepted nor renewed any deposits.

16. Disclosure Under Sexual Harassment of Women At Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

During the year under review, there were no cases filed pursuant to The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013.

17. Orders Passed By Regulators/Courts/Tribunals

There is no such order passed by the Regulators/Courts/Tribunals in respect to the Company during the financial year.

18. Material Changes & Commitments

Government of India has approved the closure of the Corporation dated 10.10.2018 to that extent it affects the Corporation.



19. Conservation Of Energy, Technology Absorption And Foreign Exchange Earnings And Outgo

As required to be disclosed under the Companies Act, details relating to conservation of energy, technology absorption and foreign exchange earnings and outgo are given in the Annexure-I attached hereto and forms part of this Report.

20. Extract of Annual Return

The details forming part of the Extract of Annual Return in form MGT-9 as required under Section 92 of the Companies Act 2013 read with Rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is annexed herewith as Annexure II and forms part of this report.

21. Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Communities

Govt. of India has approved the closure of the Corporation on 10.10.2018. At present no permanent employee exists in the roll of the company, thus the above is not applicable.

22. Human Resource Policy and Industrial Relations

In view of ongoing closure of the Corporation, NJMC Ltd. was suggested to operate the business with Contractual manpower, accordingly manpower are engaged on contractual basis. The recruited manpower is selected through agencies/ service providers and in conformity with the PSU selection process of open advertisement to get the best pool of manpower.

23. Statutory Auditors

M/s. R.K.Patodi & Co, Chartered Accountants, Kolkata has been appointed as the Statutory Auditors by the Comptroller And Auditor General of India for the financial year 2020-21 pursuant to the provisions of Section 139 of the Companies Act, 2013 and applicable rules there under as amended from time to time.

Your Corporation is not required to conduct Cost Audit pursuant to Section 148 of the Companies Act, 2013 in view of the ongoing closure of the Corporation and the Company has stopped all its production.

24. Audit Observations and Comments

During the year under review, the observations made by the statutory auditors are self explanatory and do not call for further comments under section 134(3)(f) of the Companies Act, 2013.

25. Internal Control Systems and their Adequacy

The Corporation has an internal control system in place which is reviewed periodically. As a measure of internal control, the management has in place Internal Audit which is conducted by a team of Chartered Accountants every year.

26. Review of Accounts by Comptroller & Auditor General of India

The Comptroller and Auditor General of India, has reviewed the accounts of your company and their comments has been placed in Annexure 'IV'.

27. Acknowledgement:

Your Directors are grateful to the various Ministries of the Government of India particularly the Ministry of Textiles, Ministry of Finance and the Department of Public Enterprise for their support and guidance to



the company from time to time. They are also thankful for the co-operation received from the Government of West Bengal and Bihar. The Directors also place on record the continued association and support received from Company's Bankers, CAG, Statutory Auditors and all its employees.

For and on behalf of the Board of Directors

(Moloy Chandan Chakrabortty)
Chairman-cum-Managing Director
DIN - 08641793

Place :- Kolkata
Date: 09.11.2021



Annexure - I

Disclosure of particulars with respect to conservation of energy, technology absorption and foreign exchange earnings and outgo.

A. Conservation of energy:

As the Corporation has received the Union Cabinet approval for the closure dated 10th October, 2018 the conservation of energy clause has lost its relevancy with the discontinue of operation and closure of all mills.

B. Technology Absorption

As the Corporation has received the Union Cabinet approval for the closure dated 10th October, 2018 the technology absorption clause has lost its relevancy with the discontinue of operation and closure of all mills.

C. Foreign Exchange Earnings and Outgo

There was no foreign exchange earnings or outgo during the year under review.

For and on behalf of the Board of Directors

(Moloy Chandan Chakraborty)
Chairman-cum-Managing Director
DIN - 08641793

Place :- Kolkata
Date: 09.11.2021



Annexure-II

Form No. MGT-9

Extract of Annual Return as on financial year ended 31.03.2021

[Pursuant to Section 92(3) of the companies Act, 2013 and Rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the Turnover shall be stated

i)	CIN	U17232WB1980GOI032768
ii)	Date of Registration	03.06.1980
iii)	Name of the company	NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LIMITED
iv)	Category/sub. Category of the company	COMPANY LIMITED BY SHARES/ UNION GOVERNMENT COMPANY
v)	Address of the Registered office and contact details	CHARTERED BANK BUILDINGS, 4, N. S. ROAD, 2 ND FLOOR, KOLKATA-700 001. TELEPHONE: 033 22306434
vi)	Whether listed	NO
vii)	Name Address and contact Details of Registrar an Transfer Agent, of any	NA

All the six mills of the Company are not in operation which has resulted in nil production during the year 2020-21.

Sl No.	Name and Description of the main products/services	NIC Code of the Product/ Service	% of total turnover of the Company
1	N.A.	N.A.	N.A.

III . PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY, ASSOCIATE COMPANIES

Sl. No.	Name and Address of the Company	CIN/GLN	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of shares held	Applicable Section
1.	BIRDS JUTE & EXPORTS LIMITED	U17232 WB1904 GOI001579	Subsidiary Company	59%	2(87)



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

IV. SHARE HOLDING PATTERN

(EQUITY SHARE CAPITAL BREAKUP AS PERCENTAGE OF TOTAL EQUITY)

i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% change during the year	
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total Shares	% of Total Shares		
A. Promoters										
(1) Indian										
a) Individual/ HUF	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
b) Central Govt.	Nil	557974	557974	100	Nil	557974	557974	100	Nil	Nil
c) State Govt. (s)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
d) Bodies Corp.	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
e) Banks / FI	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
f) Any Other....	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Sub Total (A)(1)	Nil	557974	557974	100	Nil	557974	557974	100	Nil	Nil
(2) Foreign										
a) NRIs-Individuals	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
b) Other-Individuals	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
c) Bodies Corp	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
d) Banks / FI	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
e) Any Other	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Sub Total (A)(2)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Total shareholding of Promoter (A) = (A) (1)+(A) (2)	Nil	557974	557974	100	Nil	557974	557974	100	Nil	Nil
B. Public Shareholding										
1. Institutions										
a) Mutual Funds	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
b) Banks / FI	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
c) Central Govt	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
d) State Govt(s)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
e) Venture Capital Funds	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
f) Insurance Companies	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
g) FIIs	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
h) Foreign Venture Capital Fund	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
i) Others (specify)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Sub Total (B)(1)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil



Category of Shareholders	No of Shares held at the beginning of the year				No of Shares held at the end of the year				% change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total Shares	% of Total Shares	
2. Non-Institutions									
a) Bodies Corp, i) India	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
ii) Overseas	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
3. Individuals									
i) Individual shareholders holding nominal share capital upto ₹ 1 lakh	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹ 1 lakh	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
4. Others (specify)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Sub-total (B)(2)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Total Public Shareholding (B) = (B) (1)+(B)(2)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Grand Total (A+B+C)	Nil	557974	557974	100	Nil	557974	557974	100	Nil

(ii) Shareholding of Promoters

Sl No.	Shareholders Name	Shareholding at the beginning of the year			No of Shares held at the end of the year			% change during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the Company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the Company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	
1.	President of India	557974	100	Nil	557974	100	Nil	Nil
	Total	557974	100	Nil	557974	100	Nil	Nil

❖ The Company is a wholly owned Govt. Company, out of the total shareholding of 557972 equity shares are held by the Nominee of Hon'ble President of India and rest 2 no. of shares are held by nominated officials of Ministry of Textiles, Govt. of India.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

(iii) Change in Promoters' Shareholding *(Please specify, if there is no change)-No Change*

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No of Shares	% of total shares of the Company	No of Shares	% of total shares of the Company
	At the beginning of the year	557974	100	557974	100
	Date wise Increase / Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):	-	-	-	-
	At the End of the year	557974	100	557974	100

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No of Shares	% of total shares of the Company	No of Shares	% of total shares of the Company
1.	President of India				
	At the beginning of the year	557974	100	557974	100
	Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus / sweat equity etc):	-	-	-	-
	At the end of the year (or on the date of separation, if separated during the year)	557974	100	557974	100

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

	For Each of the Directors and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No of Shares	% of total shares of the Company	No of Shares	% of total shares of the Company
	At the beginning of the year	Nil	Nil	Nil	Nil
	Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus / sweat equity etc):	Nil	Nil	Nil	Nil
	At the end of the year (or on the date of separation, if separated during the year)	Nil	Nil	Nil	Nil



V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

(Rupees in Crores)

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount	-	218.52	-	-
ii) Interest due but not paid	-	12.72	-	-
iii) Interest accrued but not due	-	-	-	-
Total (i + ii + iii)	-	231.24	-	231.24
Change in Indebtedness during the financial year				
Addition	-	-	-	-
Reduction	-	-	-	-
Net Change	-	231.24	-	231.24
Indebtedness at the end of the financial year:				
i) Principal Amount	-	218.52	-	-
ii) Interest due but not paid	-	12.72	-	-
iii) Interest accrued but not due	-	-	-	-
Total (i + ii + iii)	-	231.24	-	231.24

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Your Corporation being a Central Public Sector Enterprise (Government Company), the appointment of Directors are made by the Govt. of India. Remuneration to the functional directors are made as per terms of their appointment by Govt. of India. During the year the remuneration paid to Non official Independent Director is Rs. 10000 by way of sitting fees and Key Managerial Personnel (Company Secretary) is Rs. 4.31 lacs.

VII. PENALTIES / PUNISHMENT / COMPOUNDING OF OFFENCES

There were no penalties / punishments / compounding of offences for breach of any section of the Companies Act, 2013 against the Company, it's Directors or other officers in default, during the financial year ended March 31, 2021.

For and on behalf of the Board of Directors

(Moloy Chandan Chakrabortty)

Chairman-cum-Managing Director

DIN - 08641793

Place :- Kolkata

Date: 09.11.2021



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

Annexure 'A' to Form MGT - 8

To
The Board of Director
National Jute Manufactures Corporation Limited
Chartered Bank Buildings,
4 Netaji Subhas Road, 2nd Floor, Kolkata - 700 001.

Our Certificate on the Annual Return (Form MGT-8) of even date is to be read along with this letter.

1. The Management of the Company is responsible for the preparation of documents relating to Annual Return as per the provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder as specified by the Ministry of Corporate Affairs. Our responsibility is to provide a Certificate in MGT-8 and certify the e-Form MGT-7 based on our examination and to the best of our knowledge and belief and according to the information, explanations and representations given to us by the management of the Company,
2. Maintenance of Secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
3. We have followed the audit practices and process as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in the Annual Return (Form MGT-7). We believe that the process and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
4. The Compliance of the provisions of Companies Act, 2013, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of records on test basis.

R. N. Paul & Associates
Company Secretaries
Firm Unique Code No. - I2011WB805400

CS Rudra Narayan Paul
Membership No. F8494
CoP No. 9772

Date: 09.02.2022
Place: Kolkata

UDIN: F008494C002480788



COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021

The preparation of financial statements of National Jute Manufactures Corporation Limited for the year ended 31 March 2021 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on these financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 10 September 2021.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of National Jute Manufactures Corporation Limited for the year ended 31 March 2021 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to inquiries of the statutory auditor and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place: Kolkata
Date: 03 Nov 2021

(Suparna Deb)
Director General Audit (Mines)
Kolkata



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO

THE MEMBERS OF NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LIMITED

Report on the Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the accompanying standalone Financial Statements of **NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LIMITED** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2021, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of matters described in the *Basis for Qualified Opinion* section of our report, the aforesaid Financial Statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2021, its loss and cash flows for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

A) Going Concern Assumption:

The accounts have been drawn up on a going concern basis which is not appropriate under the circumstances because of the following reasons:

- a) The Union Cabinet has approved the closure of National Jute Manufactures Corporation Limited (NJMC) and its subsidiary Birds Jute & Exports Limited (BJEL) at its meeting held on 10th October, 2018. Disposal of all assets will be in accordance with the guidelines of DPE dated 14.06.2018 and the proceeds from the sale of assets, after meeting the liabilities will be deposited in Consolidated Fund of India. The Board of Directors of NJMC Limited at its 177th meeting nominated M/s. MSTC as Auctioning Agency for disposal of all movable assets including Building and NBCC (India) Limited has been appointed as Land Management Agency (LMA) for disposal of fixed assets. Further NBCC Ltd has been appointed as Pre LMA for verification, assessment and valuation of assets before undertaking disposal in accordance with the DPE guidelines which is in process.
- b) In terms with the closure notification, the company has refunded Rs 200 crores towards Interest Free Loan to the Government of India. The income of the company in previous years was primarily from the Interest income on Fixed Deposits which have reduced significantly.
- c) The Financial Statements indicate that the company's current and non-current liabilities exceeded its total assets by Rs. 22,498.34 Lakhs (P.Y. Rs. 22,259.31 Lakhs). The mills were not in operation throughout the year.

These factors confirm the inability of the company to continue as a going concern and to discharge its liabilities in the normal course of business.

B) Non Compliance with Accounting Standards:

B.1 Accounting Standard -2 Valuation of Inventories

As stated in accounting Policy 1.4, Inventories are valued at lower of cost and net realizable value/ market



price. Most of the inventories are being carried forward since long and there is no movement in inventory for a number of years. The relevant cost details and the basis of determination of net realizable value/market price were not made available to us and, hence, it is not possible to ascertain whether AS-2 has been complied with. Moreover, age-wise analysis of inventory as well as identification of obsolete and non-marketable inventories has not been ascertained. Hence, it is not possible to determine whether the carrying value of inventories represents its fair value.

B2. Accounting Standard 9 - Revenue Recognition

The Company has recognized interest income of Rs. 88.34 Lakhs on the loans granted by it to its subsidiary, Birds Jute & Exports Ltd. but, at the same time it has also made provision on this account towards doubtful interest receivable, net of TDS. The subsidiary company has defaulted in making payment of loan amount and interest to the extent of Rs. 4818.59 Lakhs upto 31st March, 2021. Moreover, the Union Cabinet has also approved the closure of Birds Jute & Exports Ltd. on 10th October, 2018. In view of significant uncertainty in the ultimate collection, the interest income should not have been recognized as revenue as per (AS) 9 “Revenue Recognition” in our opinion.

B3. Accounting Standard-21 -Consolidated Financial Statements

The Company has a subsidiary company namely Birds Jute & Exports Ltd. The company has not prepared and presented consolidated financial statements as required by (AS) 21, ‘Consolidated Financial Statements’. The subsidiary has not held AGM for the financial year 2019-20 and is yet to finalize its Financial Statements for the financial year 2020-21. The matter is now pending before the NCLT.

B4. Accounting Standard-22- Accounting for Taxes on Income

The Company has not complied with AS-22 Accounting for Taxes on Income. Ascertainment of Deferred Tax Asset & Liability and its recognition in terms with the said standard has not been done in the Financial Statements.

B5. Accounting Standard-29 – ‘Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets’:

According to the information and explanations given to us, the company is in litigation with various parties on diverse matters, some of which are pending for several year. However, against a number of such cases, the company has not estimated and disclosed the amount of possible financial implication of the dispute, as required under AS 29 ‘Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets’.

C) Under /Over Statement of Income / Expenses and Assets / Liabilities:

C.1 Property, Plant & Equipment & Depreciation

a) As stated in Note 10(2), Fixed Assets include certain machines of the Company having WDV of Rs. 637/- lying with a third party since Nationalization. But the company has not ascertained the actual existence of those machineries as on Balance Sheet date.

b) As disclosed in Note 10(4), ‘Land & Building’ includes property at 5, Alipore Road, Kolkata, which is not in the possession of the Company though vested in the company under the Jute Companies (Nationalization) Act, 1980. The property is under litigation and the legal experts are having divergent views regarding the ownership of the property. Though the ownership is disputed, the company is providing liability in respect of municipal taxes payable to Kolkata Municipal Corporation, which amounted to Rs. 4.45 Lakhs for the



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

financial year 2020-21(Previous Year: Rs. 4.45 Lakhs).The cumulative liability so provided upto 31.03.2021 is Rs.107.57 Lakhs (upto 31.03.2020: Rs.103.12 Lakhs)

c) Certain items of movable fixed assets lying at the National Mill Unit of the company, having aggregate book value of Rs. 28,422.16 as on 31-03-2020, were not found at the time of physical verification conducted by the Mill Management during the year, for which FIR has been lodged by the company. No provision has been made towards loss on this account as the management intends to recover the same from the concerned Security Services provider at the said Mill. We have been informed that necessary adjustment in this regard will be made on settlement of the matter with the said Security Services provider.

d) During the financial year 2018-19, Land belonging to six mills of NJMC viz Khardah, Kinnison, Alexandra, National and Union in West Bengal and RBHM in Katihar, Bihar and Bungalow at 5A, Alipore Road and guest house at Kalimpong were valued by M/s. Associated Valuers, Government Registered Valuers, who determined the total Market Value of these immovable properties at Rs. 206899.69Lakhs, out of which value of encroached properties was Rs. 65369.99 Lakhs. However, the effect of such valuation, which is much higher than the aggregate book-value of these properties and the encroachment of the company's property, has not been given in the books of account.

e) The Title Deeds of the land at various location were made available for our verification but could not be properly verified and linked with the records of fixed assets. However, according to information and explanation given to us, the landed property of three mills viz. Khardah, some portion of Kinnison and Alexandra are still continuing in the name of the erstwhile companies. We have been further informed that representation has been made to the Additional District Magistrate & District Land & Land Reforms Officer – North 24 Paraganas, Barasat for updating the land records in respect of the said properties but, the matter is still pending as on 31st March, 2021.

C.2 Investments

a) No documents could be made available in respect of Investments of Govt. securities aggregating to Rs.0.74 Lakhs and Share scrips in respect of investments held in Britannia Engineering Ltd. and J.F. Low & Co. Ltd. could not be made available for our verification and were informed to be not traceable. These investments are very old and it was explained to us that the original certificates might have been provided as security to the various Govt. authorities/ departments. However, full provision have been made against these investments.

C.3 Inventories

The inventories of the company were not physically verified during the year under review. As there was no movement in inventories during the year, the closing stock has been taken by the management equal to the value of the opening stock. Since most of the items of inventory are very old and their actual condition has not been ascertained in the absence of any physical verification, the net realizable value of inventories may not be equal to the value taken by the management.

C.4 Cash and Bank Balances

Bank balances include Rs 91,523/- on account of PF Trustee, Khardah unit lying with UCO Bank, Titagarh Branch, which is a dormant account as on balance sheet date.

C.5 Short Term Loans & Advances

a) Since the party wise details, age wise analysis and relevant documents are not made available to us in



respect of Security Deposits of Rs. 190.71 Lakhs, of which Rs. 11.47 Lakhs considered doubtful and provided for, could be it is not possible to determine how much of deposits considered good are actually realisable.

b) Against the aggregate provision of Rs. 408.77 Lakhs for Income-tax, as appearing in the Balance Sheet, tax payments made by the company in the form of income tax deducted at source amounts to Rs. 1143.20 Lakhs. The Income-tax refunds determined for earlier years are being issued to the company but are being adjusted by the Income Tax department against the arrear demand for the assessment year 1990-91. The outstanding demand summary of the company with the Income Tax department is still showing a sum of Rs. 289.47 Lakhs payable for the said assessment year towards interest. We have been informed that the company is trying to obtain necessary information and documents in respect of the demand raised for the said assessment year and necessary adjustment/further provision will be made after receiving necessary documents/information.

c) The aggregate amount of Loans & Advances given to BJEL, the subsidiary of the company, including accrued interest considered thereon is Rs. 4818.59 Lakhs as per the books of account of the company. However, as per the statement of accounts received from the subsidiary, such amount aggregates to Rs. 4833.77 Lakhs. The difference as on 31.03.2021 is yet to be reconciled and we have been informed that the same will be adjusted after reconciliation.

C.6 Long Term Borrowings

a) The company has taken loans from Government of West Bengal. The loan agreements along with terms and conditions for utilization and repayments of such loans were not made available to us for our verification. As stated in Note 4c, the company has defaulted in repayment of this loan and the accumulated balance of Principal including interest unpaid as per the books of account of the company is Rs. 1553.73 Lakhs as on 31st March, 2021 (as on 31st March, 2020 Rs 1513.58 Lakhs).

b) No balance confirmation has been obtained by the company from the Central/ State Governments in respect of the above stated loans.

C.7 Trade Payables

a) Trade Payables aggregating to Rs. 2085.40 Lakhs (as at 31.03.2020 Rs. 2062.35 Lakhs) include old outstanding balances aggregating to Rs. 1009.10 Lakhs, for which no party-wise details could be made available to us. Since these Trade Payables are very old, the actual amount payable by the company on this account may be different from the amount shown in the books of accounts. Further, in the absence of necessary information, the status of parties under MSMED Act could not be ascertained and, hence, the particulars in respect of dues to Micro and Small Enterprises are not being updated and no further liability on account of interest payable under the MSMED Act is being provided for the last several years. Consequently the interest payable under the said Act may be different from the amount of interest liability shown under the head Trade Payables.

b) Trade payables also include Rs 11.12 Lakhs lying in prior period adjustment account in respect of RBHM unit. In absence of any details in respect of this amount, proper treatment of the same has not been made in the books of account.

C.8 Other Current Liabilities

a) Statutory dues amounting to Rs. 4732.60 Lakhs appearing in Note 8 include damages amounting to Rs. 3550.11 Lakhs and Rs. 592.24 Lakhs claimed by ESI authorities and Provident Fund authorities respectively. These amounts are lying outstanding for a long time. It has been explained to us that pending approval for



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

waiver, as sought for by the Company in accordance with BIFR approved scheme, no adjustment has been made in this regard.

b) Statutory dues also include liability for Fringe Benefit Tax amounting to Rs. 8.93 Lakhs, Interest on Professional Tax amounting to Rs. 68.69 Lakhs, which are being brought forward for a long time. In the absence of relevant information, it is not possible for us to ascertain how much of these liabilities are ultimately payable or whether the same have been adequately provided.

c) In the absence of party-wise details and other necessary information in respect of undisbursed claim of Commissioner of payment: Rs. 40.29 Lakhs; Performance Guarantee: Rs. 57.47 Lakhs, Security Deposit/ EMD: Rs. 85.07 Lakhs and Advance from parties: Rs. 98.83 Lakhs, it is not possible for us to ascertain how much of these liabilities are ultimately payable or whether the same have been adequately provided.

d) Creditors for accrued wages and salaries of Rs. 339.40 Lakhs include old outstanding aggregating to Rs. 226.55 Lakhs on account of VRS payable, Gratuity payable and Arrear Salary Payable. In the absence of relevant information, it is not possible to ascertain how much of these liabilities are ultimately payable.

In view of the aforesaid observations, we are unable to determine the impact of these matters on the statement of affairs of the company and the corresponding impact on the Statement of Profit & Loss.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134 (5) of the Companies Act, 2013 ('the Act') with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting standards specified under section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent, design & implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibilities for the audit of the Financial Statements

Our responsibility is to express an opinion on these standalone financial statements based on our audit.

In conducting our audit, we have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and Rules made thereunder and the Order issued under Section 143(11) of the Act.

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those standards required that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statement, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of



the financial statement that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion on the standalone financial statement.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Statements, including the disclosures, and whether the Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statement that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factor in (1) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (2) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of section 143(11) of the Act, we give in Annexure-A, a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

2. As required by section 143 (3) of the Act, based on our audit report, to the extent applicable, that:

(a) We have sought and, except for the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

(b) Except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of the books;

(c) The Balance Sheet, Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flow dealt with by this report are in agreement with the books of account.

(d) Except for the effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, In our opinion, the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss, Cash Flow Statement comply with the accounting standards specified under section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

(e) The matters described in the basis for Qualified Opinion Paragraph, in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the Company.

(f) We have been informed that the provisions of section 164(2) of the Act in respect of disqualification of directors are not applicable to the Company, being a Government Company in terms of notification No.G.S.R.463(E) dated 5th June, 2015.

(g) The qualification relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith are as stated in the Basis for Qualified Opinion Paragraph above.

(h) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in Annexure B.

(i) With respect to other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditor's) Rules, 2014, in our opinion and to the best our information and according to the explanations given to us:

a. In the absence of complete details, we are not in position to comment whether the Company has disclosed the full impact of pending litigations on its financial position in its financial statements.

b. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

c. There were no amounts which required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

3. In response to the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under section 143(5) of the Act, we report that:

(i) The company does not have an ERP Accounting System or fully integrated IT system among its units and corporate office. The accounts of each unit and corporate office are maintained on accounting software. Consolidation of accounts of the corporate office and the various divisions are done through a separate data entry mode.

The present system adopted by the company leaves a scope of absence of data integrity and increases audit risk.

(ii) According to the information and explanations given to us and the records of the Company examined by



us, there have been no cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc made by a lender to the company due to company's inability to repay the loan.

(iii)(a) The Company is carrying Interest Free loan, sanctioned by the Government of India as additional budgetary support for restructuring/revival of the Company as approved by Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA) and BIFR, as Long Term Borrowings.

(b)The Company has obtained a Loan of Rs. 281.48 lakhs from Government of West Bengal in earlier years, repayment of Loan and Interest on which have been defaulted in since 31st March 1994. The accumulated balance of Loan and Unpaid Interest is Rs. 1553.73 Lakhs as on 31.03.2021. In absence of loan documents, terms & conditions, adequacy of the interest provision made cannot be commented upon.

(c) As disclosed in Note 3 of the Financial Statements, the Company had received grants from Bihar Government and IJIRA in 1988-89 and subsidy from West Bengal Industrial Development Corporation in 1982-83. The detailed papers of such grant/subsidy as well as the assets acquired out of such grant were not made available to us.

For R. K. Patodi & Co.
Chartered Accountants
FRN: 305091E

Saibal Gangopadhyay
Partner
Membership number: 300680
UDIN: 21300680AAAAAD6255

Place: Kolkata
Date: 10.09.2021



Annexure A to Independent Auditor's Report

The Annexure referred to in Independent Auditors' Report to the members of National Jute Manufactures Corporation Limited (the company) on the Financial Statements for the year ended 31 March 2021,

We report that:

(a) The Company has maintained records of fixed assets which lacks details like sufficient description to make identification possible, location/situation, year of purchase, adjustment for revaluation, useful life, impairment and components of fixed assets.

(b) The fixed assets have not been physically verified by the management at any time during the year except in case of National Unit of the company. During such verification, certain items of fixed assets located at the said unit, having book value of Rs. 28,422 as on 31.03.2020, were physically not found, for which an FIR has been lodged by the company. In this connection, we have been informed by the management that the company intends to recover the loss on this account from the concerned security services agency and, accordingly, no provision has been made for the same. Further, during the year under review, the company appointed a valuer for determining the estimated realizable value of its Plant & Machinery and Furniture & Fixtures lying at the various mills except the Union Mill. Though the said valuer has prepared a list of various items of fixed assets physically found at the Mill premises, the same were not verified by it with the records of fixed assets and, hence, we are unable to comment whether there existed any material discrepancy in the fixed assets of these mills. Furthermore, we are unable to comment on the discrepancy, if any, in the fixed assets lying at Head Office of the company as no physical verification was done during the year.

(c) The Title Deeds of the land at various location, though made available to us could not be thoroughly verified and linked with the fixed asset register for want of proper details. The landed property of three mills viz Khardah, some portion of Kinnison and Alexandra continue to be in the name of erstwhile companies. We have been informed that representation has been made to the Additional District Magistrate & District Land & Land Reforms North 24 Paraganas, Barasat for updating the land records but the updation is still pending.

ii) The inventories of the company were not physically verified during the year and hence we are unable to comment whether any discrepancy was there between the physical inventory and book inventory.

Further, most of the inventories are very old and there are no movement in inventory for a number of years. Moreover, age-wise analysis of inventory as well as identification of obsolete, damaged and non-saleable inventories has not been done. The net realizable values of the inventories have also not been determined. Hence, it is not possible for us to determine whether the carrying value of inventory represents the fair value and whether there exists any discrepancy.

iii. a) The Company had granted unsecured loan to its subsidiary, which amounted to Rs. 4818.59 Lakhs as on 31.03.2021 including interest amounting to Rs. 3735.46 Lakhs accrued till that date. The Union Cabinet has approved the closure of the said subsidiary company and consequently the said loan is being considered doubtful but the company is charging interest on the loan given to its subsidiary at the agreed rates and also made full provision for the same since the amount is considered irrecoverable, besides the difference in between the advance given to a subsidiary and interest receivable needs to be reconciled and adjustment be made. The terms and conditions of the loan granted to its subsidiary were not made available to us and therefore, we are unable to comment whether the same were prejudicial to the interest of the Company. Besides, the company has also granted non-interest bearing loan to a central public sector unit, the outstanding balance of which as on 31.03.2021 is Rs 10.78 Lakhs. As per terms of sanction, the said loan is repayable within a maximum period of two years from the date of disbursement of the loan from the sale proceeds of its assets. Apart from



these, the Company has not granted any loan, secured or unsecured, to any Company, firm, Limited Liability Partnership or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013.

b. The company is charging interest for the loan provided to its subsidiary and also making full provision for the same as the amount is considered irrecoverable.

c. The loan given to subsidiary together with interest remains overdue for more than 90 days. There is no recovery of loan and interest for several years. Since the Union Cabinet has approved closure of the subsidiary there is no realistic chance of recovery of loan amount and interest.

iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not granted any loan, made investment, provided any guarantee or security, which attracts the provisions of section 185 and 186 of the Act.

v) The Company has not accepted any deposit from the public during the year within the meaning of sections 73 to 76 of the Act and the rules framed there under to the extent notified and does not have any unclaimed deposits as at 31st March, 2021 and therefore the provisions of clause 3(v) of the Order are not applicable to the company.

vi) During the year under review, the company was not engaged in any such activities which attracts the maintenance of cost records under section 148 of the Act.

vii) a) According to the information and explanations given to us, the company was generally regular in depositing its undisputed statutory dues with the appropriate authorities. According to the information given to us, there were no undisputed statutory dues outstanding at the year-end for a period of more than six months from the date they became payable;

b) According to the information and explanations given to us, the following statutory dues have not been deposited as on 31st March, 2021 on account of dispute:

Nature of the Statute	Nature of Dues	Forum where dispute is pending	Amount Due (Rs. in lacs)	Period to which dues relate
Finance Act 1994	Service Tax	Deputy Commissioner, Service Tax	0.10	Very Old
West Bengal Value Added Tax, 2003	CST	Deputy Commssioner of Commercial Tax	223.08	2010-11 to 2017-18

In addition to above, the following old statutory dues stated to be disputed, remain outstanding in the books of the company as on 31st March, 2021 for which details are not available:

- a) Provident Fund Rs. 903.05 Lakhs
- b) Employees State Insurance Rs. 3727.35 Lakhs
- c) Profession tax Rs. 69.40 Lakhs
- d) Fringe Benefit tax Rs. 8.92 Lakhs
- e) VAT/CST Rs. 9.74 Lakhs

viii) According to the records of the Company examined by us and the information and explanations given to us, the Company has defaulted in repayment of loan taken from Government of West Bengal amounting to Rs 1553.73 Lakhs (including interest thereon Rs. 1272.25 Lakhs) as on 31.03.2021. The company has made



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

request for adjustment of principal amount against the compensation receivable by the company towards acquisition of land and conversion of Rs 922 Lakhs out of interest payable into a soft loan as disclosed in Additional Information to Note 4 of Financial Statements.

ix) The Company did not raise any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments). The Company has obtained loans from both Government of West Bengal and Government of India in earlier years. However, the terms and conditions subject to which the company has obtained the loans including purpose for which such loans were sanctioned were not made available to us. Therefore, we are unable to comment whether the loans were applied for the purposes for which those were obtained.

x) According to the information and explanations given to us, no material fraud by the Company or on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the course of our audit.

xi) The provisions contained in section 197 of the Companies Act, 2013 relating to payment of managerial remuneration are not applicable to the company, being a Government Company, in terms of Ministry of Corporate Affairs Notification No.G.S.R.463(E) dated 5th June, 2015.

xii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is not a Nidhi Company. Accordingly, paragraph 3(xii) of the Order is not applicable.

xiii) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of the Act, where applicable, and details of such transactions have been disclosed in the Financial Statements as required by the applicable accounting standards.

xiv) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year.

xv) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not entered into non-cash transactions with directors or persons connected with him. Accordingly, paragraph 3(xv) of the Order is not applicable.

xvi) The Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

For R. K. Patodi & Co.

Chartered Accountants

FRN: 305091E

Saibal Gangopadhyay

Partner

Membership number: 300680

UDIN: 21300680AAAAAD6255

Place: Kolkata

Date: 10.09.2021



Annexure B

To Independent Auditor's Report

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LIMITED** ("the Company") as on 31st March, 2021 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;

(2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and

(3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the company has not established its internal financial control over financial reporting on criteria based on or considering the essential components of internal control stated in Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by ICAI, e.g control environment, risk assessment, control activities, information system and communication and monitoring. The Board's report also does not include any risk management policy for the company including identification therein of elements of risk.

In view of above observations, Internal Financial Controls in the Company as on 31.03.2021 is inadequate based on the internal control over financial reporting criteria as stated in Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the ICAI.

We have considered the qualified opinion reported above in determining the nature, timing and extent of audit tests applied in our opinion on the financial statements of the company.

For R. K. Patodi & Co.
Chartered Accountants
FRN: 305091E

Saibal Gangopadhyay
Partner
Membership number: 300680
UDIN: 21300680AAAAAD6255

Place: Kolkata
Date: 10.09.2021



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.
(A Government of India Undertaking)

Balance Sheet
as at
31st March 2021



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2021

(₹ In Lakh)

	Note no.	As at 31st March, 2021		As at 31st March, 2020	
(A) EQUITY AND LIABILITIES					
(1) Shareholders` Funds:					
(a) Share Capital	2	5,579.74		5,579.74	
(b) Reserves and Surplus	3	(28,078.08)	(22,498.34)	(27,839.04)	(22,259.30)
(2) Non-Current Liabilities					
(a) Long-Term Borrowings	4	23,125.14		23,085.00	
(b) Long-Term Provisions	5	11.52	23,136.66	11.52	23,096.52
(3) Current Liabilities					
(a) Short-Term Borrowings	6	-		-	
(b) Trade Payables	7	-		-	
(i) Dues to micro and small enterprises		112.58		112.58	
(ii) Dues to Others than micro and small enterprises		1,972.82		1,949.77	
(c) Other Current Liabilities	8	5,596.63		5,615.57	
(d) Short-Term Provisions	9	189.08	7,871.11	189.08	7,867.00
TOTAL			8,509.43		8,704.22
(B) ASSETS					
(1) Non-Current Assets					
(a) Property, Plant and Equipment					
(i) Tangible Assets	10	918.02		957.90	
(ii) Capital Work-in-Progress	10	-		-	
(b) Non-Current Investments	11	-	918.02	-	957.90
(2) Current Assets					
(a) Inventories	12	627.31		627.31	
(b) Trade Receivables	13	-		-	
(c) Cash and Bank Balance	14	4,755.58		4,994.35	
(d) Short-Term Loans and advances	15	1,992.30		1,964.36	
(e) Other Current Assets	16	216.22		160.29	
(f) ISDS Project	17	-	7,591.41	-	7,746.32
TOTAL			8,509.43		8,704.22

Summary of Significant Accounting Policies 1
Notes forming integral part of the Financial Statements 1-26

For and on behalf of the Board

For R. K. Patodi & Co.
Chartered Accountants
Registration No.305091E

(Mr. Moloy Chandan Chakrabortty)
Chairman-cum-Managing Director
DIN: 08641793

Saibal Gangopadhyay
Partner
Membership No. 300680
UDIN: 21300680AAAAAD6255

(Malini Mahapatra)
Company Secretary
Membership No. A39997

Place: Kolkata
Date: 10.09.2021



STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

(₹ In Lakh)

	Note no.	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
INCOME			
1	18	-	-
2	19	357.90	549.46
3		357.90	549.46
EXPENSES			
4	20	-	-
	21	-	-
	22	67.74	78.42
	23	35.53	32.39
	10	39.96	46.18
	24	453.60	454.20
		596.83	611.20
5		(238.94)	(61.72)
6		-	-
7		(238.94)	(61.72)
8		-	-
9		(238.94)	(61.72)
10		-	-
		-	-
11		(238.94)	(61.72)
12			
	25	(42.82)	(11.06)
	25	(42.82)	(11.06)

Summary of Significant Accounting Policies 1
Notes forming integral part of the Financial Statements 1-26

For and on behalf of the Board

For R. K. Patodi & Co.
Chartered Accountants
Registration No.305091E

(Mr. Moloy Chandan Chakrabortty)
Chairman-cum-Managing Director
DIN: 08641793

Saibal Gangopadhyay
Partner
Membership No. 300680
UDIN: 21300680AAAAAD6255

(Malini Mahapatra)
Company Secretary
Membership No. A39997

Place: Kolkata
Date: 10.09.2021



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

(₹ In Lakh)

		For the year ended 31st March, 2021		For the year ended 31st March, 2020	
A.	Cash Flow from Operating Activities				
	Net Profit / (Loss) before extraordinary item and Tax.		(238.94)		(61.72)
	Adjustments for:				
	Interest on Borrowings	40.14		32.39	
	Depreciation	39.96		46.18	
	Prior Period Depreciation	-		0.14	
	Interest Income	(267.55)		(403.86)	
	Adjustment for Govt. Grant (Reserve)	(0.10)	(187.54)	(0.10)	(325.26)
	Operating Profit before Working Capital Change		(426.48)		(386.98)
	Change in Inventories	-		-	
	Decrease Trade Receivables	-		-	
	Increase in Short Loan & Advances	(27.94)		(61.18)	
	Increase in Other Current Assets	(55.93)		(94.57)	
	Increase/(Decrease) in Trade Payables	23.67		(6.02)	
	Decrease in Other Current Liabilities	(18.94)		(37.24)	
	Decrease in Long term Provisions	-		(11.83)	
	ISDS Fund expenditure	-		-	
	Net Cash Flow from working capital charges		(79.14)		(210.84)
	Net Cash from Operating Activities (A)		(505.62)		(597.81)
B.	Cash Flow from Investing Activities				
	(Increase)/Decrease in Fixed Deposits	(831.91)		1,219.45	
	Purchase of Fixed Assets	(0.71)		-	
	Interest on Fixed Deposits	267.55	(565.06)	403.86	1,623.31
	Net Cash from Investing Activities (B)		(565.06)		1,623.31
C.	Cash Flow from Financing Activities				
	Net cash from Financing Activities (C)		-		-
	Net Inc. / (Dec.) in Cash & Cash Equivalents (A+B+C)		(1,070.68)		1,025.50
	Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year		1,202.06		176.56
	Cash and Cash Equivalents at the end of the year		131.38		1,202.06



CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021 (Contd.)

(₹ In Lakh)

		For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
a)	Component of Cash and Cash Equivalents		
	(i) In bank accounts	130.94	1,201.72
	(ii) Cash in hand	0.44	0.34
		131.38	1,202.06

Summary of Significant Accounting Policies 1
Notes forming integral part of Financial Statements 1-26

For and on behalf of the Board

For R. K. Patodi & Co.
Chartered Accountants
Registration No. 305091E

(Mr. Moley Chandan Chakrabortty)
Chairman-cum-Managing Director
DIN: 08641793

Saibal Gangopadhyay
Partner
Membership No. 300680
UDIN: 21300680AAAAAD6255

(Malini Mahapatra)
Company Secretary
Membership No. A39997

Place : Kolkata
Date : 10.09.2021



NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021.

NOTE - 1 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1.1 BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

The financial statements are prepared in accordance with Generally Accepted Accounting Principles and the Company follows Mercantile system of accounting and recognises income and expenditure on accrual basis. The Company has complied with the accounting standards specified in under section 133 of The Companies Act, 2013 (the Act') read with Rule 7 of The Companies (Accounts) Rules 2014 (as amended) and other relevant provisions of The Companies Act 2013 to the extent applicable.

1.2 PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT

1.2.1 Fixed Assets are stated at cost/revalued amount in case certain items of fixed assets which were revalued during the financial year 1997-98. Fixed assets acquired at the time of nationalisation are being stated at their book value on the date of nationalisation.

1.2.2 Depreciation:

Depreciation on fixed assets is charged on written down value as per Schedule - II to the Companies Act, 2013. The company has re assessed the useful life of its existing fixed assets in accordance with schedule - II and a new rate of depreciation on written down value method has been arrived at to depreciate the assets over the remaining useful life. Since most of the fixed assets were procured long back and the useful life has already been exhausted, no further depreciation is being provided on those fixed assets as their book value has already been reduced to 5% or lower residual value.

1.3 INVESTMENTS

Investments are carried at book value as on the date of nationalisation or at cost of acquisition/procurement in respect of investments made afterwards. Out of the total investments, documents in respect of investments made in various Government authorities, Britannia Engineering Co Ltd. and J.F. Low & Co. Ltd. are not traceable since nationalisation.

Investments are valued at cost / book value as on the date of nationalisation as well as the cost of procurement of Investments afterwards.

1.4 VALUATION OF STOCK

1.4.1 Raw Jute is valued at cost, determined on FIFO basis, or market price whichever is lower.

1.4.2 Finished Goods are valued at cost or market value whichever is lower. Cost includes all direct cost and applicable manufacturing overheads.

1.4.3 Work-in-process is valued at estimated cost based on percentage of specific stage of processing or realisable value whichever is lower.

1.4.4 Stores and spares are valued at cost.

1.5 REVENUE RECOGNITION

Sales to Director General of Supply & Disposal (DGS&D) are accounted on the basis of delivery of goods and for other cases on generation of Paid Delivery Order. Other income is accounted on accrual basis.

1.6 CONTINGENT AND OTHER LIABILITIES

When the demands are raised against show cause notices issued by Government / Revenue Authorities, after considering Company's views, these demands are either paid or treated as liabilities, if accepted by the Company and are treated as contingent liability, if disputed by the Company.



NOTE - 1 (Contd.)

1.7 RETIREMENT BENEFITS

1.7.1 Gratuity: Liability for gratuity is provided on the basis of actual liability in respect of employees on roll as on the Balance Sheet date .

1.7.2 Leave Encashment: Liability for Leave Encashment is provided for on the basis of actual liability as on the Balance Sheet Date.

NOTE - 2 SHARE CAPITAL

	(₹ In Lakh)	
	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
AUTHORISED		
600000 Equity Shares of ₹ 1,000/- each (Previous Year 600000 Equity Shares)	6000.00	6000.00
ISSUED, SUBSCRIBED AND FULLY PAID UP		
557974 Equity Shares of ₹ 1,000/- each (Previous Year 557974 Equity Shares)	5579.74	5579.74
TOTAL	5579.74	5579.74

ADDITIONAL INFORMATION

- a) Out of total 557974 shares, 366000 Equity Shares of Rs. 1,000/- each were allotted as fully paid up shares against Nationalization Adjustment Account, without payment having been received in cash.
- b) There has been no change / movement in number of shares outstanding as at the beginning and as at the end of the year.
- c) The Company has only one class of Equity Shares having face value of is Rs. 1,000/- per shares. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share and equal right for dividend.
- d) Shareholders holding more than 5 percent shares in the Company :

Name of the Shareholders	As at 31st March, 2021		As at 31st March, 2020	
	No. of Shares	(%)	No. of Shares	(%)
Honourable President of India	557972	99.99	557972	99.99



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021.

NOTE - 3 RESERVES AND SURPLUS

	(₹ In Lakh)	
	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Capital Reserve		
Against Government Grants		
Opening Balance	0.99	1.09
Add :- Addition / Transferred during the year	-	-
Less :- Utilised / Transferred during the year	<u>0.10</u>	<u>0.10</u>
Closing Balance	0.89	0.99
Revaluation Reserve		
Opening Balance	441.81	441.81
Add :- Addition during the year	-	-
Less :- Utilised / Transferred during the year	<u>-</u>	<u>-</u>
Closing Balance	441.81	441.81
(Deficit) in Statement of Profit and Loss		
Opening Balance	(28,281.84)	(28,220.11)
Balance in Statement of Profit and Loss	<u>(238.94)</u>	<u>(61.72)</u>
Closing Balance	(28,520.78)	(28,281.84)
TOTAL	<u>(28,078.08)</u>	<u>(27,839.04)</u>

ADDITIONAL INFORMATION

Capital Reserve

- | | | |
|---|-------------|-------------|
| a) Against balance of grant received from Bihar Government, amounting to Rs. 150 Lakhs, in 1988-89 for acquiring Fixed Assets after adjustment of depreciation on the assets so procured out of the above funds in respect of RBHM and against balance of grant received from IJIRA, amounting to Rs. 5.44 Lakhs, in 1988-89 for installation of Ring Spinning Frame under UND Project after adjustment of depreciation on the assets so procured out of the above funds in respect of Unit Kinnison. | 0.77 | 0.87 |
| b) Subsidy of Rs. 0.01 Lakh being the balance of grant received from WB Industrial Development Corporation Limited in 1982-83 amounting to Rs. 6.97 Lakh for installation of captive diesel power generating set in respect of Unit Kinnison after adjustment of depreciation from the date acquisition (P.Y. 0.01 Lakh.) | 0.01 | 0.01 |
| c) The difference between market value and book value of Investments in respect of Unit RBHM as on the date of nationalisation. | <u>0.11</u> | <u>0.11</u> |
| | <u>0.89</u> | <u>0.99</u> |

Revaluation Reserve

The difference between the revalued amount (as per valuation report in 1997-98) and book value as on 31.03.1993 in respect of Land situated at Katihar and Land and Building situated at Kalimpong and Forbesgunj in respect of Unit RBHM (Reference : Additional Information No. 5 and 6 in Note 10 on Fixed Assets)

441.81	441.81
<u>441.81</u>	<u>441.81</u>



NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021.

NOTE - 4 LONG TERM BORROWINGS

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
A) Other loans and advances (Unsecured)		
i) From Government of India	21,571.41	21,571.41
ii) From Government of West Bengal	281.48	281.48
iii) Interest accrued and due on borrowings from Government of West Bengal	1,272.25	1,232.11
TOTAL	23,125.14	23,085.00

ADDITIONAL INFORMATION

- a) Loan received from Government of India as additional budgetary support is interest free as per the restructuring/revival scheme of NJMC approved by Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) and BIFR. The Company has repaid Rs.20000 Lakh in terms with closure notification during 2018-19.
- b) The Company has not provided any security or any guarantee in respect of the above Loans from Government of India and Government of West Bengal.
- c) The Company has defaulted in repayment of loans and interest in respect of the following :

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2021		As at 31st March, 2020	
	Period of default	Amount (₹ In Lakhs)	Period of default	Amount
Loan from Government of West Bengal :				
i) Principal	Since 31.03.1994	281.48	Since 31.03.1994	281.48
ii) Interest	Since 31.03.1994	1,272.25	Since 31.03.1994	1,232.11
TOTAL		1,553.73		1,513.59

The company is yet to receive the formal consent from Government of West Bengal in respect of:

- i) Adjustment of Principal Amount of Rs. 281.48 Lakhs above against compensation receivable for acquisition of Land by them as referred to in Additional Information 3 in Note 10 on Fixed Assets and
- ii) Conversion of accrued interest of Rs. 922 Lakhs included in the above Interest amount of Rs. 1272.25 Lakhs (P. Y. Rs. 1232.11 Lakhs) into a Soft Loan in accordance with BIFR Approved Scheme.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021.

NOTE - 5 LONG TERM PROVISIONS

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Provision for Employee Benefits		
i) Provision for Leave encashment	-	-
ii) Provision for Gratuity	11.52	11.52
TOTAL	11.52	11.52

ADDITIONAL INFORMATION

1. Gratuity : No provision for gratuity has been made during the current financial year since all the employees are on contract basis.
2. Leave Encashment : No provision for Leave Encashment has been made on the same ground as mentioned above. However, actual payment is charged to revenue accounts as and when payment is made.

NOTE - 6 SHORT TERM BORROWINGS

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
	-	-
TOTAL	-	-

NOTE - 7 TRADE PAYABLES

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
i) Creditors for Goods, Expenses & Services	1,958.79	1,935.74
ii) Interest provided on Trade Payables	126.61	126.61
TOTAL	2,085.40	2,062.35

ADDITIONAL INFORMATION

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
i) Disclosure Under Section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprise		
a) Principal amount remaining unpaid to any supplier as at the end of the year	55.06	55.06
b) Interest due and payable upto the end of the last year	57.52	57.52
TOTAL	112.58	112.58



NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021.

NOTE - 8 OTHER CURRENT LIABILITIES

	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
	(₹ In Lakh)	
i) Statutory Dues (Contributions to PF and ESIC, Withholding Taxes, Excise Duty, Vat, Service Tax, Interest on PF etc.)	4732.60	4727.18
ii) Undisbursed claim of Commissioner of Payments	40.29	40.29
iii) Performance Guarantee	57.47	57.47
iv) Security Deposit/EMD	85.07	80.75
v) Provision for Interest on ISDS Fund	19.02	19.02
vi) Advance from Parties	98.83	98.83
vii) Property Tax/Municipal Tax & Rates & Taxes	223.95	246.60
viii) Creditors for accrued wages and salaries	339.40	345.42
TOTAL	5,596.63	5,615.57

ADDITIONAL INFORMATION

- Statutory Liabilities includes damages amounting to ₹ 3550.11 Lakhs (Previous Year ₹ 3550.11 Lakh) and ₹ 592.24 Lakhs (Previous Year ₹ 592.24 Lakh) claimed by ESI Corporation and PF Commissioner respectively for which waiver has been sought from the competent authorities in accordance with BIFR Approved Scheme.
- Statutory Dues also includes Fringe Benefit Tax amounting to ₹ 8.93 Lakhs (Previous Year ₹ 8.93 lakh), Interest on Professional tax ₹ 68.69 Lakhs (Previous year ₹ 68.69 lakh) for long time.
- Property Tax reflects the demand made by K.M.C for the premises 5 Alipore Road, Calcutta, which is under subjudice. The breakup of which is as under.

	(₹ In Lakh)			
	Principal	Penalty	Interest	Total
	61.78	7.21	38.58	107.57
	57.33	7.21	38.58	103.12
d) Property Tax also includes ₹ 2.82 Lakh (Previous Year ₹ 29.92 Lakh) for other units.				
e) Creditors for accrued wages and salaries include old outstanding aggregating to ₹ 226.55 Lakhs payable on account of VRS, Gratuity payable and arrear salary payable which are still under reconciliation.				

NOTE - 9 SHORT TERM PROVISIONS

	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
	(₹ In Lakh)	
Provision for Contingency (On account of Gratuity payable to workmen after reconciliation)	189.08	189.08
TOTAL	189.08	189.08



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021.
NOTE- 10 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

(₹ In Lakh)

Tangible Assets	GROSS BLOCK			DEPRECIATION			NET BLOCK			
	As at 31st March, 2020	Addition (+)	Deduction (-)	As at 31st March, 2021	Upto 31st March, 2020	For the Year	Arrear Depn	Upto 31st March, 2021	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
(a) Land -Freehold	605.59	-	-	605.59	-	-	-	-	605.59	605.59
(b) Buildings & Roads	1,003.41	-	-	1,003.41	834.28	14.12	-	848.39	155.02	169.13
(c) Plant and Equipment	3,730.16	-	-	3,730.16	3,557.25	23.92	-	3,581.16	149.00	172.91
(d) Furniture and Fixtures	88.71	0.09	-	88.80	82.93	1.37	-	84.30	4.50	5.78
(e) Vehicles	47.21	-	-	47.21	44.38	0.56	-	44.94	2.27	2.83
(f) Computer	67.90	-	-	67.90	66.29	-	-	66.29	1.61	1.61
(g) Railway Siding	1.55	-	-	1.55	1.51	-	-	1.51	0.04	0.04
Total Tangible Assets (A)	5,544.53	0.09	-	5,544.62	4,586.64	39.96	-	4,626.59	918.03	957.89
Previous year (A)	5,543.92	0.62	-	5,544.54	4,540.33	46.18	0.13	4,586.64	957.90	1,003.60
Capital Work in Progress	24.86	-	-	24.86	-	-	-	-	24.86	24.86
Less: Provision	24.86	-	-	24.86	-	-	-	-	24.86	24.86
Total Capital Work-in Progress (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previous year (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Fixed Assets (A+B)	5,544.53	0.09	-	5,544.62	4,586.63	39.96	-	4,626.59	918.03	957.89
Previous year(A+B)	5,543.92	0.62	-	5,544.54	4,540.33	46.18	0.13	4,586.64	957.90	1,003.60



NOTE 10 FIXED ASSETS (contd)

ADDITIONAL INFORMATION

- 1) Government of India has approved the closure of NJMC Ltd. on 10.10.2018. As per the directive of the competent authority, the closure has to be made in accordance with the DPE Guidelines issued vide O.M.No. DPE/5(1)/2014-Fin(Part-I) on 14.06.2018. NBCC(India) Ltd. has been appointed as Land Management Agency (LMA) and M/S. MSTC Ltd. has been appointed as E-Auctional agency for disposal of Plant & Machinery etc. with approval of Board of Directors of NJMC Ltd.

Process of closure in line with the DPE Guidelines dated 14.06.2018 is under progress. Also NBCC India Ltd has been entrusted for pre LMA activities for verification, assessment and valuation of assets of NJMC Ltd with the approval of the Board of Directors which is under process.

- 2) Plant and Equipments include 8 Nos. Herackle Machines pertaining to Unit Alexandra which is lying with a third party on the date of Nationalisation.
- 3) Land includes Leasehold Land, pertaining to Unit Khardah, the value of which could not be ascertained.
- 3a) Land includes 4.48 acres of land of Unit Khardah acquired by Govt. of West Bengal, for setting up Titagarh Thermal Power Plant of Calcutta Electric Supply Corporation Ltd. Necessary adjustment will be made on receipt of compensation amount.
- 4) Fixed Assets vested under the provision of the Jute Companies (Nationalisation) Act, 1980 on 20th December, 1980 with National Jute Manufactures Corporation Ltd., include land and building at 5, Alipore Road, Kolkata, in respect of unit-Alexandra but not in possession of the Company. This property was mortgaged prior to the date of take-over of the Management of the Alexandra Jute Mills Ltd under the Industries (Development & Regulations) Act, 1951 [I (D&R) Act, 1951] and was under an “Agreement to Sale” on the date of such take over. The Sale Agreement was, however, not concluded & was challenged by the Management under the provision of Industries (Development & Regulations) Act, 1951 at Alipore Court, Calcutta. An Interim order of injunction was ultimately issued by the High Court on 8th September, 1981 directing that all further proceedings at Alipore Court be stayed. Subsequently the mortgagee had filed a writ petition in the Calcutta High Court challenging the applicability of the provisions of I (D&R) Act, 1951. Thereafter Alexandra Jute Mills Ltd was nationalised under Jute Companies (Nationalisation) Act, 1980 with effect from 20.12.1980 and the Assets were vested to this Corporation free from all encumbrances. The mortgagee thereafter another writ petition in the Calcutta High Court challenging the provisions of the Jute Companies (Nationalisation) Act, 1980 and their validity. The Writ Petition filed by the mortgagee challenging the applicability of provisions of Industries (Development & Regulations) Act, 1951 has since been dismissed by the Hon`ble High Court, Calcutta and thereafter an interim order of status quo is passed by the Hon`ble High Court, Calcutta.

The opinion of standing counsel M/s, Fox & Mondal that premises No.5, Alipore, Kolkata vested in Central Govt. which has again vested in NJMC under Section 6 of the Jute Companies (Nationalisation) Act, 1980 and NJMC is the owner of the said property free from all mortgages or lien or encumbrances, However, NJMC has sought for opinion at the instruction of MOT vide their letter F. No. 17/16/2006 - JE dated 24/12/2007 wherein MOT asked NJMC to examine the issue from Legal point of view. Accordingly NJMC has referred the matter of Ministry of Law Justice & Company affairs vide letter No....received from Ministry of Law & Justice and Barrister Sri Anindya Kumar Mitra were forwarded to MOT vide letter No. NJMC/CMD/8 dated 28/01/2008 and also to Barrister Sri Anindya Kumar Mitra on the aforesaid matter. The opinions NJMC/CMD/08/239 dated 3rd April, 2008 along with opinion of our dealing Counsel M/s. Fox & Mondal. The MOT vide their letter No. 17/1/2006 - JE dated 30th April, 2008 stated that the opinion of Sri Anindya Kumar Mitra, Barister and Sr. Advocate as well as



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE-10 FIXED ASSETS (contd...)

of Ministry of Law and Justice Bench Secretariat, Kolkata is that the ownership of the premises No. 5, Alipore Road, cannot be deemed as vesting in Central Govt./NJMC under the Nationalisation Act. On the other hand the standing counsel on behalf of NJMC has opined otherwise. MOT further directed that the affidavits in reply on behalf of NJMC and Union of India (MOT) may be amended in the Hon'ble High Court, Calcutta based on the above majority legal opinion which included legal opinion from Ministry of Law & Justice Bench secretariat Kolkata, that the Nationalisation Act, should not be applicable on the said property as the property was no longer a property of Alexandra during the time of Nationalisation. However, the affidavits were filed on June 2019.

In 2019 writ petition 5292 of 1981 was restored, exchange of affidavits completed and will come up for hearing. No further development has taken place during the financial year 2020-21 due to pandemic

Since the matter is subjudice no adjustment has been made in the accounts.

- 5) Value of land pertaining to Unit RBHM, measuring 96 Bighas 15 Kattahs, 5 Dhurs has been capitalised for Rs. 373.02 Lakhs in 1999-2000 with the approval of Board of Directors on 21.06.2000 as per valuation report as on 31.03.1993 of M/s Esjay consultants Pvt Ltd. appointed by IIBI.
- 6) Value of Land includes 4.03 acres of land valued at Rs. 41.55 Lakh and Value of Building includes building valued at Rs. 27.24 Lakh situated at Kalimpong & Forbesgunj of Unit R.B.H.M as per valuation Report as on 31.03.1993 of M/s Esjay Consultants Pvt Ltd. appointed by IIBI duly approved by the Board of Directors on 24th December, 1997 and the same have been capitalised during the year 1997-98.
- 7) The Title deeds of land which were mortgaged to IIBI, has been received by the Company during the year 2006-07. Some of the Title Deeds are torn and in precarious condition. Hence it is not possible to physically verify the same. The Company's management is not in a position to reconcile their records of title deeds with the immovable properties acquired on the date of nationalisation in the name of the Company.
- 8) Plant & Machinery declared as discarded and / or obsolete are shown as current assets at their book value amounting to Rs. 8.14 lakhs (Previous Year Rs. 10.01 lakhs) which is fully provided for.
- 9) During the Financial Year 2016-17 the Company has disposed off a substantial portion some of the fixed assets of Alexandra and National, which are all closed units.

Name of Mills	Name of the Fixed Assets	Gross Block as on 31.03.2017 (₹)	WDV as on 31.03.2017 (₹)
Alexandra	Plant & Machineries	148,276.00	1,483.75
National	Plant & Machineries	3,745,379.30	61,424.22
Total		3,893,655.30	62,907.97



NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021.

NOTE - 11 NON CURRENT INVESTMENT

(₹ In Lakh)

As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020		As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Trade Investments				
Number	Number			
(A) INVESTMENT IN EQUITY INSTRUMENTS- EQUITY SHARES IN SUBSIDIARY COMPANIES-UNQUOTED				
14415	14415	Birds Jute & Exports Ltd., Ordinary Share (Face value ₹100/- each)*	-	-
10	10	Birds Jute & Exports Ltd., Ordinary Share (Face value ₹100/- each)*	-	-
143	143	Birds Jute & Exports Ltd., 7% Cumulative Preference Share (Face value ₹100/- each)	0.01	0.01
			0.01	0.01
EQUITY SHARES IN CO-OPERATIVE SOCIETIES-UNQUOTED				
250	250	Union North Jute Mills Employees' Co-Operative Stores Ltd. (Face value ₹10/- each)*	-	-
			-	-
EQUITY SHARES IN ASSOCIATED COMPANIES-UNQUOTED)				
5	5	The Kinnison Jute Mills Co. Ltd., (Face value ₹100/- each)*	-	-
EQUITY SHARES IN OTHER COMPANIES-QUOTED)				
180	180	Duncans Agro Industries Ltd. (Face value ₹10/- each)	0.01	0.01
111	111	Birla Corporation Limited (Face value ₹10/- each)	0.01	0.01
63	63	Cheviot Company Ltd. (Face value ₹10/- each)*	-	-
			0.02	0.02
EQUITY SHARES IN OTHER COMPANIES-UNQUOTED				
180	180	Hathikhira Tea Co. Ltd. (Face value ₹10/- each)	0.01	0.01
1200	1200	Jaipur Udyog Ltd. (Face value ₹10/- each)	0.02	0.02
95	95	Budge Budge Co. Ltd. (Face value ₹10/- each)	0.01	0.01
95	95	Delta Jute & Industries Ltd. (Face value ₹4/- each)*	-	-
20	20	The Ganges Manufacturing Co. Ltd. (Face value ₹100/- each)	-	-
2	2	Anglo India Jute Mills Co. Ltd. (Face value ₹100/- each)*	-	-
26	26	The Empire Jute Co. Ltd. (Face value ₹10/- each)*	-	-
600	600	Willard India Ltd. 600 Nos. (Face value ₹10/- each)	0.01	0.01
3	3	Lawrence Investment & Property Co. Ltd. 3 Nos. (Face value ₹100/- each)	0.01	0.01
100	100	Waverly Jute Co. Ltd. (Face value ₹50/- each)	0.01	0.01
36972	36972	Britannia Engineering Co. Ltd. (in liquidation) (Face value ₹100/- each)*	-	-
2700	2700	2700 Stock of 1 Pound each in Titagarh Jute Factory PLC (Face value ₹1/- each)*	0.11	0.11
			0.18	0.18



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021.

NOTE - 11 NON CURRENT INVESTMENT (CONTD.)

(₹ In Lakh)

**Number of Share /
Security / Bonds / Units**

(B) INVESTMENT IN PREFERENCE SHARES

700	700	J. F. Low & Co. Ltd. (Face value Rs. 100/- each)*	-	-
			-	-

(C) INVESTMENT IN GOVERNMENT SECURITIES

3% Conversion Loan 1986 (Face value ₹ 700/- Matured)	0.01	0.01
3% Conversion Loan 1986 (Face value ₹ 5,300/-)	0.04	0.04
7 Years National Savings Certificate :-		
Old Series	0.05	0.05
New Series	0.15	0.15
The West Bengal Estate Acquisition Compensation Bonds	0.01	0.01
12 Years National Plan Saving Certificate	0.01	0.01
Government of India 5.5% Loan 1999 (Face value ₹ 42,500/-)	0.42	0.42
12 Years National Defence Certificate	0.01	0.01
12 Years National Savings Certificate	0.04	0.04
	0.74	0.74

(D) INVESTMENT IN DEBENTURES-UNQUOTED

East Indian Clinic Ltd., 5% Non redeemable Debentures	0.36	0.36
	0.36	0.36

TOTAL

	1.31	1.31
--	-------------	-------------

Less Provision

	1.31	1.31
--	-------------	-------------

TOTAL

	-	-
--	---	---

* Denotes the Book Value of which is below ₹ 1,000/-.

Aggregate Book value of Quoted Non-Current Investment	-	-
---	---	---

Aggregate Book value of Unquoted Non-Current Investment	-	-
---	---	---

less Provision	-	-
----------------	---	---

Total Quoted and Non-quoted Non-current investment	-	-
--	---	---

Aggregate Market value of quoted Non Current Investment	NA	NA
---	----	----

ADDITIONAL INFORMATION

	UNIT	(₹ In Lakh)	(₹ In Lakh)
(1) Provision made for doubtful of recovery :	National	7857	7857
	Union	31172	31172
	Kinnison	65328	65328
	Khurdah	4883	4883
	R.B.H.M	21340	21340
	Corporate	903	903
	Alexandra	3	3
	TOTAL	131486	131486

(2) Out of the total investments, documents in respect of investments made in various Govt. authorities, Britannia Engineering Co. Ltd. and J.F. Low & Co. Ltd. are not traceable since long. This matter has been taken up with Board and it has been advised to include the same in the forensic audit to be held shortly. However full provision has been made in the Books of Accounts.



NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021.

NOTE - 12 INVENTORIES

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2021		As at 31st March, 2020	
a) Raw Materials (At Lower of Cost or Market price)	138.57		138.57	
Add : In Transit	-	138.57	-	138.57
b) Work in Process (At Lower of estimated cost or realisable value)		63.38		63.38
c) Finished Goods (At Lower of Cost or Market price)		199.48		199.48
d) Stores & Spares (At Cost)	380.81		380.81	
Less - Provision for diminution in value	154.93	225.88	154.93	225.88
TOTAL		627.31		627.31

ADDITIONAL INFORMATION

- a) Due to Covid 19 pandemic it was not possible to take physical inventories as on 31.03.2021. As there was no movement in inventories during the F.Y.20-21 and all the items of inventories are lying in the safe custody of the company, the value of inventories were taken at the same figures as that on 31.03.2020.
- b) Closing stocks are valued as per the Company's approved Policy, vide Note. No. 1.4.

NOTE - 13 TRADE RECEIVABLES

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2021		As at 31st March, 2020	
Outstanding for a period exceeding six months				
a) Unsecured - Considered Good	-		-	
- Considered Doubtful	283.36		283.36	
	283.36		283.36	
Less : Provision for Doubtful Trade Receivables	283.36	-	283.36	-
b) Other Receivables-Considered Good		-		-
TOTAL		-		-



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021.

NOTE - 14 CASH AND BANK BALANCE

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020	
a) Cash & Cash Equivalent			
(i) Balance with Bank Accounts	130.94	1,201.72	
(ii) Cash on hand	0.44	0.34	
	<u>131.38</u>	<u>1,202.06</u>	
b) Other Bank Balances			
(i) In Fixed Deposit Accounts with Banks			
(a) Having original maturity period of more than 12 months	223.90	1,521.98	
(b) Other Fixed Deposits with Bank	4,400.29	2,270.31	
(ii) Margin Money	3.10	3.10	
	<u>4,627.30</u>	<u>3,795.39</u>	
Less:- Provision against Margin Money	3.10	3.10	3,792.29
	<u>4,624.20</u>		
TOTAL	<u>4,755.58</u>	<u>4,994.35</u>	

ADDITIONAL INFORMATION

- a) Balances in Bank accounts include Rs. 18.10 Lakhs lying in current account with Bank of India, which has been attached by Certificate Officer, Gratuity in connection with its dues. (Previous Year Rs. 18.10 Lakhs).
- b) Margin Money of Rs. 3.10 lakhs is a very old balance being carried forward without any details. Accordingly full provision has been made.



NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021.

NOTE - 15 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020	
a) Loans and advances			
Unsecured - Considered Good <i>(other than related party)</i>	1,078.21 -	1,078.62 -	
Unsecured - Considered doubtful <i>(to related party)</i>	4,818.59	4,739.09	
	<u>5,896.80</u>	<u>5,817.30</u>	
Less: Provision	4,818.59	4,739.09	
	1,078.21	1,078.21	
b) Income Tax deducted as Source			
- Considered good	734.43	706.44	
- Considered doubtful	408.77	408.77	
	<u>1,143.20</u>	<u>1,115.21</u>	
Less:- Provision	408.77	408.77	706.44
c) Advances recoverable in cash or kind or for value to be received			
i) Security deposits			
Unsecured - considered good	179.24	179.24	
- considered doubtful	11.47	11.47	
	<u>190.71</u>	<u>190.71</u>	
Less: Provision	11.47	11.47	
	179.24	179.24	
ii) Balances with Government Authorities			
Unsecured - considered good	-	-	
- considered doubtful	12.10	12.10	
	<u>12.10</u>	<u>12.10</u>	
Less: Provision	12.10	12.10	
	-	-	
iii) Others			
Unsecured - considered good	-	-	
- considered doubtful	414.64	414.70	
	<u>414.64</u>	<u>414.70</u>	
Less: Provision	414.22	414.21	
	0.41	0.47	
TOTAL	<u>1,992.29</u>	<u>1,964.36</u>	



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST March, 2021.

NOTE - 15 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES (CONTD.)

ADDITIONAL INFORMATION

a) Birds Jute & Export Limited (BJEL) is a subsidiary company of NJMC Ltd. Due to financial crisis of BJEL, the Board of NJMC Ltd had granted temporary loans from time to time since 29th December 1986. The last instalment of loan had been granted by Board in the year 2004-05. NJMC Ltd, in its Board meeting held on 23rd December 1991 also resolved to charge interest at 18.50% with effect from 01.04.1991 on the existing and future loans as may have to be advanced to BJEL.

In view of failure to refund the accumulated loan as well as interest thereon and the approval of the Government of India to the closure of BJEL., the Board of NJMC Ltd decided to make the provision for doubtful debts for the amount receivable from BJEL and, accordingly, provision is being made every year in respect of interest accrued net of TDS on the loans granted to BJEL.

The aggregate amount of Loans & Advances given to BJEL, the subsidiary of the company, including accrued interest considered thereon is Rs. 4818.59 lakhs as per the books of account of the company. However, as per the statement of accounts received from the subsidiary, such amount aggregates to Rs.4833.77 lakhs. The difference is yet to be reconciled. After reconciliation, the account will be placed before the management for appropriate decision in the matter.

b) Security Deposit includes an amount of Rs.1.87 lakhs which has been recovered by Provident Fund authority in spite of provision for waiver of damages in BIFR revival scheme as well as existence of injunction by the High Court of Kolkata against W.P.No.471(W)/2016. The provision for the entire Rs. 1.87 Lakhs has been made in the Account.

c) Others Include

i) An amount of Rs. 11.33 Lakh in respect of Unit Khardah (Previous Year Rs. 11.33 Lakhs) which represents money in course of misappropriation of deposit/payment of railway freight in 1982-83. The matter is subjudice. However, full provision has been made in the accounts.

ii) An amount of Rs. 24.00 Lakhs in respect of Unit National (Previous Year Rs. 24.00 Lakhs) paid to the Trustees of National Company Limited Jute Mill works' Provident Fund as interest free loan to cover the loss of interest to the fund caused by non receipt of Securities from the Brokers on the condition that the proceeds from the said securities to be obtained from the Brokers would be appropriated towards refund of the said loan. Since the proceeds have not yet been realised no adjustment was carried out and full provision has been made in the accounts.

iii) An amount of Rs. 32.76 lakhs (Previous Year Rs. 32.76 Lakhs) and an amount of Rs. 2.24 Lakhs (Previous Year Rs. 2.24 lakhs), being the balance of claim towards value of the stock of finished goods and the balance of claim towards the value of the fixed assets destroyed by fire on 31st August, 1986 respectively pertaining to Unit National. The insurance claim was finally settled by the National Insurance Company after disallowing the above balances. The Company referred the matter to the concerned Ministry, New Delhi for further referring the matter to the arbitrator, as required under the guidelines for settlement of disputes between two Public Sector Undertakings. The matter has not yet been resolved and full provision against the same has been made in the accounts.

iv) An amount of Rs. 10.39 lakhs represents advanced towards VRS Package to officers of the Company provision has been made for the entire amount of Rs. 10.39 lakhs in the Account.



NOTE - 15 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES (CONTD.)

- v) An amount of Rs. 4818.59 lakhs is receivable from BJEL on account of transactions carried out in the preceeding year and full provision has been made in the accounts.
- vi) During the financial year 2018-19 the Company has given an Interest free loan amounting to Rs.1200.00 Lakhs to Hadricrafts & Handlooms Exports Corporation of India Ltd. This loan was given on the basis of directive from Ministry of Textiles, Government of India vide its letter no.F.No.21/2/2018/HHEC/PSU dated 03.07.2018. The outstanding balance as on 31.03.2021 was Rs.1078.21 Lakhs. As per condition of MOU the loan will be repaid by sale of assets of the Company within 2 years from date of disbursement of loan.
- d) (i) The amount of Income Tax deducted at Source (TDS) is Rs.1141.19 Lakh. The details of above assessment year wise as under:

Financial Year	Assessment Year	TDS Amount (In Lakh)
Old balance		13.10
2014-15	2015-16	167.73
2015-16	2016-17	161.76
2016-17	2017-18	412.38
2017-18	2018-19	173.19
2018-19	2019-20	130.52
2019-20	2020-21	54.51
2020-21	2021-22	28.01
Total		1141.19

The Income Tax Refund determined by the Income Tax department in respect of earlier assessment years together with interest allowable thereon are being adjusted by the department against arrear demands in respect of assessment years 1990-91. The details/documents in respect of such demand could not be traced by the company. Accordingly, the company took up the matter with the jurisdictional Income Tax Authority which expressed its inability to provide copies of relevant orders vide which the demand for the said assessment year was raised and advised the company to contact CPC Bangalore.

CPC-Bangalore was also contacted under RTI Act.2005 from whom clarification is yet to be received.

The company intends to deal with the matter in appropriate manner and necessary adjustment in this regard will be made after obtaining necessary information/details from the Income Tax department.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021.

NOTE - 16 OTHER CURRENT ASSETS

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2021		As at 31st March, 2020	
a) Accruals				
Interest accrued on deposits	8.17		44.54	
Less :- Provision	1.80	6.37	1.80	42.74
b) Others				
Other Current Assets	454.47		362.17	
Less :- Provision	244.62		244.62	
		209.85		117.55
TOTAL		216.22		160.29

ADDITIONAL INFORMATION

Other Current Assets of Rs. 454.47 lakhs (Previous Year Rs. 362.17 Lakhs) includes input GST credit of Rs. 164.56 lakhs (Previous Year Rs. 107.80 Lakhs) which is expected to be adjusted against future GST liabilities.

NOTE - 17 ISDS PROJECT

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2021		As at 31st March, 2020	
	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

NOTE - 18 REVENUE FROM OPERATIONS

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Sale of Jute Products	-	-
Other Operating Revenue	-	-
TOTAL	-	-

ADDITIONAL INFORMATION

The three revival mills namely Kinnison, Khardah and RBHM (Katihar) remained inoperative since mid of 2016. In line with the erstwhile BIFR GOI has taken a decision to close National, Union and Alexandra mills. So there is no revenue from operation for the F.Y. 2017-18, 2018-19, 2019-20 & 2020-21.



NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021.

NOTE - 19 OTHER INCOME

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2021		For the year ended 31st March, 2020	
a) Interest Income				
Interest from Banks Deposit	267.55		403.86	
Interest income on Loan to Subsidiary	88.34	355.89	88.25	492.10
b) Other Non-operating Income		2.01		57.36
TOTAL		357.90		549.46

ADDITIONAL INFORMATION

- A) Govt of India has sanctioned interest free loan amounting to Rs.48,362 lakhs for revival of NJMC Ltd. Out of that a sum of Rs.41,571.41 lakhs has been released till 31.03.18. Unspent amount out of that has been invested in Term Deposit for the time being which has earned an interest amounting to Rs.267.55 lakhs (Previous Year Rs. 403.86 lakhs) during the year . The same is being considered as Company's income consistently since 2011-12. ISDS fund of Rs. 144.00 lakhs released on 31st March'2016 has also been invested in Fixed Deposit. This interest is also included in the Interest income from Bank Deposits.
- B) Interest income on loan to subsidiary company calculated on compound interest basis, whereas the same is calculated on simple interest basis by the subsidiary company. The aggregate amount of loans and advances given to the subsidiary of the company, including accrued interest considered there on is Rs. 4818.59 lakhs as on 31.03.2021 as per books of accounts of the company. However , as per the statement of ac counts received from the subsidiary, such amount aggregates to Rs. 4833.79 lakhs. The difference is yet to be reconciled.

(₹ In Lakh)

A) Other Non-operating Income comprises of	For the year ended 31st March, 2021		For the year ended 31st March, 2020	
i) Depreciation Adjustment for assets acquired with Govt. Grant	0.10		0.10	
ii) Interest from CESC	-		-	
iii) Prov. Written back	1.11		51.52	
iv) Interest on I Tax Refund	-		3.45	
v) Others	0.80	2.01	2.29	57.36
TOTAL		2.01		57.36



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021.

NOTE - 20 COST OF RAW MATERIALS CONSUMED

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Opening Stock	138.57	138.57
Add :- Purchase	-	-
	<u>138.57</u>	<u>138.57</u>
Less: Jute Loss	-	-
Less :- Closing stock	<u>138.57</u>	<u>138.57</u>
Cost of Raw Materials Consumed (Including Process Loss)	<u>-</u>	<u>-</u>
ADDITIONAL INFORMATION		
i) Raw Materials consumed comprises :- Raw Jute		
ii) Indegenous	-	100%

The three revival mills namely Kinnison, Khardah and RBHM (Katihar) remained inoperative since mid of 2016. In line with the erstwhile BIFR GOI has taken a decision to close National, Union and Alexandra mills. So there is no consumption of Raw materials.

NOTE - 21 CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS AND WORK-IN-PROCESS

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Inventories at the beginning of the year		
Finished Goods	199.48	199.48
Work in Process	63.38	63.38
	<u>262.86</u>	<u>262.86</u>
Adjustment of Stock	-	-
	<u>262.86</u>	<u>262.86</u>
Inventories at the end of the year		
Finished Goods	199.48	199.48
Work in Process	63.38	63.38
	<u>262.86</u>	<u>262.86</u>
Net increase / (decrease)	-	-
TOTAL	<u>-</u>	<u>-</u>

NOTE - 22 EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Salaries	66.40	76.97
Contribution to Provident Fund & Other Fund	1.32	1.41
Gratuity	-	-
Staff Welfare Expenses	0.02	0.04
TOTAL	<u>67.74</u>	<u>78.42</u>



NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021.

NOTE - 23 FINANCE COSTS

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Interest on Borrowings from Govt. of West Bengal	35.53	32.39
TOTAL	35.53	32.39

NOTE - 24 OTHER EXPENSES

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
a) Manufacturing Expenses		
Power and fuel (Electricity)	3.82	5.58
Repairs and Maintenance - Buildings	-	0.04
Repairs and Maintenance - Machinery	-	-
Repairs and Maintenance - Others	1.32	0.14
	5.14	5.76
b) Administrative Expenses		
Rent	16.78	16.94
Rates and taxes	4.74	4.83
Insurance	3.37	6.77
Security Expenses	1.20	5.25
Professional Charges	1.85	1.26
Car Hire Charges	3.49	4.55
Travelling and Conveyance	2.84	5.11
Communication	0.52	0.55
Printing and stationery	1.10	0.48
Digitalization Charges	-	-
Computer Expenses	0.25	-
Branch Division Expenses	302.71	293.63
Legal Charges	5.37	2.76
Bank Charges	0.13	0.14
Provision for doubtful trade and other receivables	79.50	70.14
Provision for Input GST	-	-
Prior period Items(Net)	6.51	10.12
Miscellaneous expenses	11.89	14.13
Interests & penalties on delayed payments	2.80	5.82
Advertisement	1.68	3.85
	446.73	446.31



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021.

NOTE - 24 OTHER EXPENSES (CONTD.)

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Auditors Remuneration :		
a) Statutory Audit:		
i) Statutory Audit Fees	1.37	1.37
ii) Tax Audit Fees	-	-
b) Others Auditors		
i) Tax Audit Fees	0.36	0.36
ii) Others Audit Fees	-	0.38
	1.73	2.11
TOTAL	453.60	454.20

ADDITIONAL INFORMATION

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
i) Prior Period items (net) include:		
Prior Period Expenses	6.51	9.98
Depreciation	-	0.14
	6.51	10.12

NOTE - 25 EARNING PER SHARE

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Profit / (Loss) after tax as per Statement of Profit and Loss (₹ In Lakh)	(238.94)	(61.72)
Weighted average Number of equity share	557974	557974
Earnings per share (₹) - Basic	(42.82)	(11.06)
Earnings per share (₹) - Diluted	(42.82)	(11.06)



NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021.

NOTE - 26

- 1) Government of India has approved the closure of NJMC Ltd. on 10.10.2018. As per the directive of the competent authority, the closure has to be made in accordance with the DPE Guidelines issued vide O.M. No. DPE/5(1)/2014-Fin(Part-I) on 14.06.2018.

In line with the directive, Rs.20,000 Lakhs has been refunded to Government of India towards the repayment of Interest free loan and NBCC (India) Ltd. has been appointed as Land Management Agency (LMA) and M/S. MSTC Ltd. has been appointed as E-Auctional agency for disposal of Plant & Machinery etc. with approval of Board of Directors of NJMC Ltd. Process of closure in line with the DPE Guidelines dated 14.06.2018 is under progress. Also NBCC India Ltd has been entrusted for pre LMA activities for verification, assessment and valuation of assets of NJMC Ltd with the approval of the Board of Directors which is under process. NBCC India has started the assignment and submitted their first draft report on 21st September, 2020. A committee was constituted for verification of report. The committee has observed some discrepancies which were conveyed to NBCC India. Reverification of the assets is under process.

- 2) These Financial Statements incorporate the Accounts pertaining to the Units of Corporate Office and 6 mills of the company viz Kinnison, RBHM, Khardah, National, Union and Alexandra.
- 3) Related Party Transactions
- i) Details of Parties :

Description of Relationship	Name of related Parties
Subsidiary Company	Birds Jute & Exports Limited
Key Management Personnel	Sri Moloy Chandan Chakraborty (CMD)
	Ms. Malini Mahapatra (CS)

Note :- Related parties have been identified by the Management

- ii) Details of related party transaction during the year ended 31 March 2021 and balances outstanding as at 31 March 2020:

- a) With subsidiary company:

(₹ In Lakh)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Opening Balance of loan to Subsidiary	4,739.09	4,668.95
Transactions during the year	-	-
Interest charged	88.34	88.25
Less: TDS FY 2020-21	(8.83)	-
Less: TDS FY 2019-20	-	(8.82)
Less: TDS FY 2018-19	-	(9.28)
Closing Balance	4,818.60	4,739.09

Provision against the above balance is mentioned in note no. 15(a)

With Key Managerial Personnel : Remuneration paid as Company Secretary	4.39	2.56
--	------	------

- 4) Employee Benefits expenses include Director's Remuneration as below :-

Particulars	Current Year	Previous Year
Remuneration	Nil	Nil
Contribution to P.F. Fund	Nil	Nil
Gratuity	Nil	Nil



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021.

NOTE - 26 Condt.....

(₹ In Lakh)

5	Particulars	For the year ended	For the year ended
		31st March, 2021	31st March, 2020
a)	Expenditure/Remittance in Foreign Currency	Nil	Nil
b)	Earnings in Foreign Exchange	Nil	Nil

- 6) The Company's operations pertain to manufacture and selling of single Jute Product for sale in the Domestic Market only. As such reporting under Accounting Standard 17 (Segment reporting under Section 133 of Companies Act 2013) is not applicable.
- 7) The company has net deferred tax asset at the year end. However in view of the substantial losses incurred in a number of past years and suspension of manufacturing activities by the Company, the Deferred Tax Assets have not been recognized as a matter of prudence as there is no reasonable certainty that sufficient future taxable income would be available against which such Deferred Tax Assets can be adjusted.
- 8) The Company has not assessed the Impairment loss on its fixed assets as per Accounting Standard 28.
- 9) Disputed liabilities and commitments not provided for:-

(₹ In Lakh)

Sl. No.	Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
A) Contingent Liabilities			
i)	Claims against the Company not acknowledged as debt towards Central Excise for Unit Kinnison	21.35	21.35
ii)	Claim against the Company by the West Bengal Commercial Tax Authority And Bihar Commercial Tax Authority as regards non-submission of "C" forms, not acknowledged by the Company as debt and preferred appeal accordingly. (Financial Year 2010-11 Rs 0.003 Lakh, Financial Year 2011-12 Kinnison Rs. 0.002 Lakh, Khardah - Rs.2.88 Lakh, Financial Year 2012-13 Kinnison - Rs. 43.96 Lacs, Khardah - Rs. 38.04 lakh, Financial Year 2013-14 Kinnison - Rs. 67.02 Lakh, Khardah - Rs. 40.18 Lakh & Financial Year 2014-15 Kinnison - Rs. 27.47 Lakh, Financial Year 2015-16 Kinnison - Rs. 3.18 Lakh & 0.01 Lakhs, Financial Year 2017-18 Khardah Rs 0.11 Lakh and Kinnison Rs 0.22 Lakh)	223.09	220.18
iii)	Service Tax demand	0.10	0.10
iv)	This amount was paid to PAO(DGMS), Dhanbad, towards appeal case of Mr. Sheo Kumar Shukla for unit. This amount is refundable after decision	-	-
v)	Balance with Bank of India Rs.18.10 lacs and balance with Indian Bank Rs.1.87 lacs attached by Certificate Officer, Gratuity & Provident Fund Commissioner respectively for recovery of their dues	19.97	19.97



NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021.

NOTE - 26 Condt.....

vi)	Claim against the Company by the Income Tax Authority as per the CPC website as on date is Rs.436.80 Lakh. The matter has been taken up with Jurisdictional Income Tax Authority who informed that they do not have any knowledge regarding the demand and advised us to take up the matter with CPC-Bangalore. Accordingly NJMC Ltd. sought the clarification under RTI Act. 2005. NJMC Ltd. is yet to receive any reply. In addition to above in the portal of CPC-Bangalore shows a demand on TDS of Rs.3.21 Lakh relating to previous year but there is no manual demand from Jurisdictional Assessment Officer. Accordingly the Company does not acknowledge the same as on date and the same in being taken up with CPC-Bangalore.	440.01	440.01
B)	Commitments	-	-
	Total	704.51	701.61

10) Contingent liabilities and commitments not provided for:-

SL. NO.	Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
	Contingent Liabilities		
i)	Guarantees extended by the Corporation to SBI Home Finance Ltd for granting House Building Advance to the employees of this Corporation	0.97	0.97
ii)	Guarantee issued to Sales tax Authority by the banks on behalf of the Company	0.50	0.50
	Total	1.47	1.47

Other Contingent Liabilities not provided for :

- iv) Claims made by Ex- Employees/ officers of the company pending before various legal forums : Not Ascertained.
 - v) Claims for interest demanded by the creditors of the company pending before various legal forums: Not Ascertained
 - vii) "Income Tax refunds determined in respect of past Assessment years & Interest allowed there on adjusted by the Income Tax department towards arrear demands : Amount could not be ascertained for want of complete information from the Income Tax Department. Outstanding demand on account of interest payable in respect of demands already collected for earlier assessment years as per portal of Income Tax department amount of Rs. 28947064/=."
- 11) Figures of the previous year have been regrouped / rearranged wherever necessary to make them comparable with the current year figures.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021.

Summary of significant Accounting Policies & Other	1
Notes form an integral part of this financial statement	1-26

For and on behalf of the Board

For R.K. Patodi & Co.
Chartered Accountants
Registration No. 305091E

(Mr. Moley Chandan Chakraborty)
Chairman-cum-Managing Director
DIN: 08641793

Saibal Gangopadhyay
Partner
Membership No. 300680
UDIN: 21300680AAAAAD6255

(Ms. Malini Mahapatra)
Company Secretary
Membership No: A39997

Place : Kolkata
Date : 10.09.2021



Registered Office:

**Chartered Bank Buildings, 2nd Floor
4, N. S. Road, Kolkata - 700 001**

Phone: 033 - 22306434, Fax: 91 - 33 - 22305103

Email: njmc ltd@gmail.com

Web: www.njmc.org.in